खण्ड-376, अंक-8
शुक्रवार, 23 फाल्गुन, शक संवत् 1907
(14 मार्च, 1986 ई0)

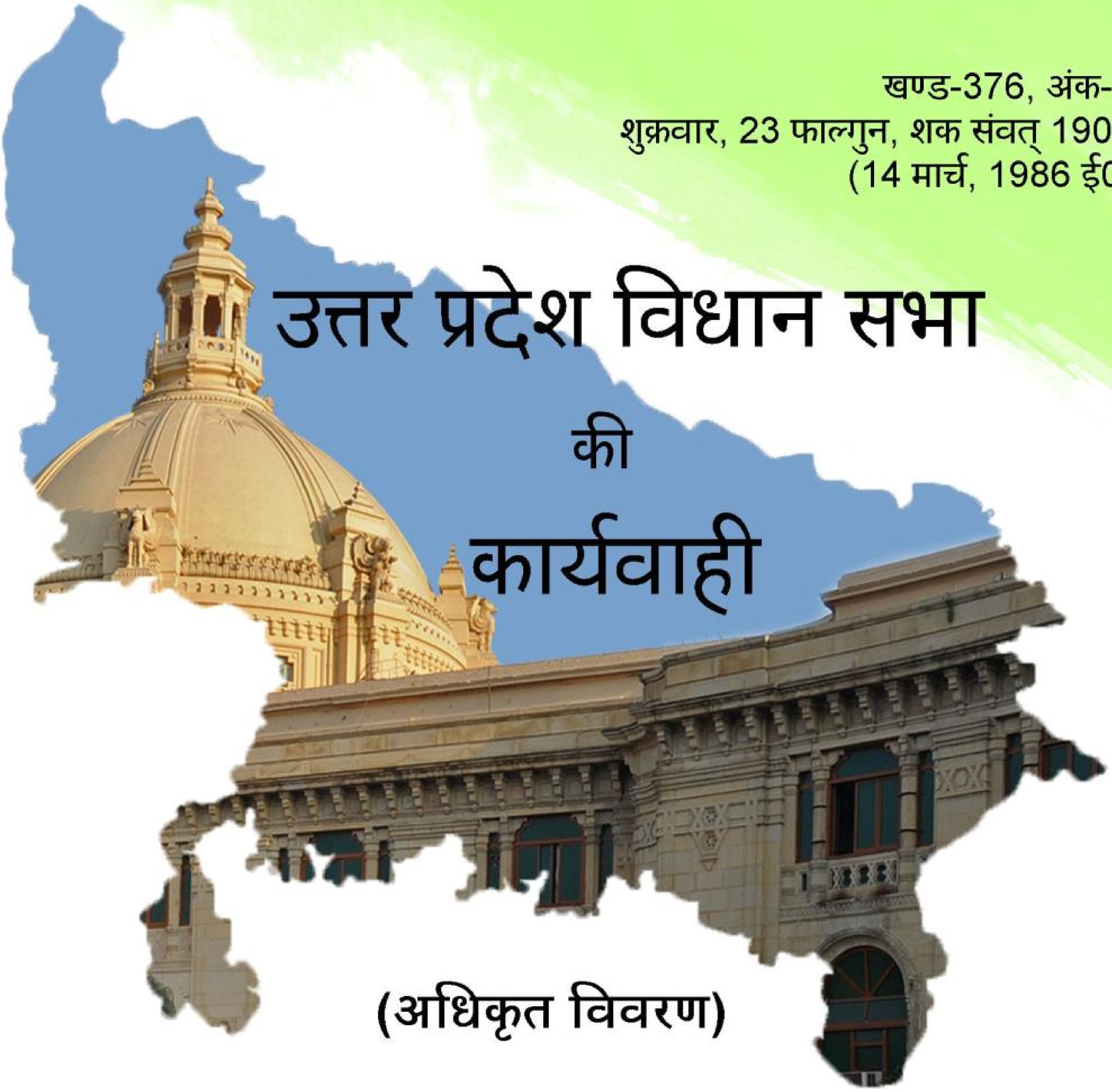

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 376 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1–2
प्रश्नोत्तर	3–50
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास	50–51
मंझनपुर, इलाहाबाद तथा प्रदेश में अन्य स्थानों पर चल रहे आश्रम पद्धति विद्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	51
इलाहाबाद में विद्युत आपूर्ति उपक्रम के मस्टर-रोल के मजदूरों के वेतन निर्धारण तथा विनियमितीकरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	51–52
लहरपुर तथा खैराबाद, सीतापुर के बुनकरों से खरीदे हुए सामान के मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	52
नगरपालिका, सीतापुर के विस्तार से प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों को आवश्यक सुविधाएं न दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	52
गंगोह तथा नकुड़ नगरपालिका सहारनपुर में बिजली की अनियमित आपूर्ति से जनता को कठिनाई होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	52–53
आजमगढ़ में छतवारा–मेहनगर मार्ग पर मेहनगर के निकट बाईपास निर्माण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	53
आयुर्वेदिक महाविद्यालय, गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन को मान्यता दिलाने एवं उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को राजकीय सेवा में लिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	53–54
सत्रकाल एवं उपवेशन के दिनों में जिले के अधिकारियों द्वारा मीटिंग बुलाए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	54–55
बस्ती जनपद को वर्ष 1984–85 की जिला योजना हेतु मांगी गयी धनराशि से कम आवंटन करने तथा उसके पूर्ण रूप से व्यय न किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	55–57
उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अध्यादेश के अननुमोदन के संकल्प तथा विधेयक पर संशोधन प्रस्तुत करने हेतु कार्य-सूची में नाम अंकित न होने पर भी नेता विरोधी दल को अवसर दिए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	57–62
जिलाधिकारी मुरादाबाद द्वारा श्री मुहम्मद आजम खां को राष्ट्रीय मार्ग से मुरादाबाद होते हुए दिल्ली जाने पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	62–65
उत्तर प्रदेश शोरा नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 1986 (विधान परिषद् से वापस आने की सूचना)	65
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1986 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	65
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1986 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	65–66

विषय	पृ0 सं0
जनपद उन्नाव के ग्राम हिलौली को टाउन एरिया घोषित किए जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी)	66
कार्य-स्थगन-प्रस्तावों की सूचनाएं	66–81
1986–87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या–4 उद्योग विभाग (खान और खनिज), अनुदान संख्या–5 उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग), अनुदान संख्या–6 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग), अनुदान संख्या–7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या–8 उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) तथा अनुदान संख्या 9–उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) (जारी)	81
सदस्यों को बजट से सम्बन्धित साहित्य का वितरण समय से न किए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	82
1986–87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 4–उद्योग विभाग (खान और खनिज), अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग), अनुदान संख्या 6–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग), अनुदान संख्या 7–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या 8–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) तथा अनुदान संख्या 9–उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) (जारी)	83
पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री श्री राम औतार दीक्षित द्वारा उद्योग विभाग का बजट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में आपत्ति	83
1986–87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या–4 उद्योग विभाग (खान और खनिज); अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग), अनुदान संख्या–6–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग), अनुदान संख्या 7–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या–8 उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) तथा अनुदान संख्या–9 उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) (जारी)	83–92
पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री श्री राम औतार दीक्षित द्वारा बजट भाषण में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	92
1986–87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 4–उद्योग विभाग (खान और खनिज), अनुदान संख्या–5 उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग), अनुदान संख्या–6 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग), अनुदान संख्या 7–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या 8–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) तथा अनुदान संख्या 9–उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) (जारी)	92–93
आज सदन में घटी घटना के सम्बन्ध में कतिपय सदस्यों तथा संसदीय कार्य राज्य मन्त्री द्वारा खेद प्रकाश एवं सम्बन्धित अंश को कार्यवाही से निकाले जाने का सुझाव	93–94

विषय	पृ0 सं0
1986–87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या –4 उद्योग विभाग (खान और खनिज), अनुदान संख्या–5 उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग), अनुदान संख्या–6 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग), अनुदान संख्या–7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या–8 उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) तथा अनुदान संख्या–9 उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत)	94–117
नियम 51 के अन्तर्गत-सूचनाएं	118
सेकेण्ड एडीशनल सेशन जज, गोण्डा द्वारा श्री फसीउर्रहमान सदस्य, विधान सभा को कारावास व जुर्माना किए जाने का सूचना	118
बस्ती जिले के डुमरियागंज तहसील मुख्यालय पर एक जन सभा में पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से श्री रामवृक्ष पाण्डेय की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	118–124
नत्थियां	125–131

विधान सभा उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 14 मार्च, 1986

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:-

अचल सिंह, श्री	फतेहपुर	निरोत्तम सिंह, श्री	बदायूं
अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर	पुष्कर सिंह, श्री	गढ़वाल
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री	मेरठ	प्रभुदयाल, प्रधान	मेरठ
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	बदन सिंह, श्री	आगरा
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
अशोक सेहरा, श्री	आगरा	बालेश्वर, श्री	देवरिया
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा	बैजनाथ, श्री	देवरिया
कल्यान सिंह, श्री	अलीगढ़	ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	भगवती प्रसाद, चौधरी	मिर्जापुर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	भोपाल सिंह, श्री	मेरठ
कुशल पाल सिंह, श्री	मथुरा	महावीर सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
कृष्ण कुमार शर्मा, श्री	गाजियाबाद	महेन्द्र सिंह भाटी, श्री	गाजियाबाद
कृष्ण वीर सिंह कौशल, डा0	आगरा	मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा
खान गुफरान जाहिदी, श्री	फतेहपुर	मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
गौरी शंकर भइया, श्री	बलिया	मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली	मैनेजर सिंह, श्री	बलिया
जगवीर सिंह, श्री	अलीगढ़	मोहम्मद आकिल, श्री (उर्फ मुन्ना मियां)	मुरादाबाद
जनार्दन प्रसाद आभा, श्री	गोरखपुर		
जफर अली नकवी, श्री	लखनऊ	मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री	मुरादाबाद
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ	मोहम्मद वसीम अंसारी, श्री	रायबरेली
जागन सिंह, श्री	रामपुर	रजना कान्त दत्त, डा0	वाराणसी
तिलक सिंह, श्री	अलीगढ़	राजा मोहम्मद अमीर	सीतापुर
धनराज यादव, श्री	बस्ती	मोहम्मद खां, श्री	
नत्थू लाल विकल, श्री	बरेली	राजेन्द्र शर्मा, श्री	मेरठ
नरेन्द्र देव, श्री	मिर्जापुर	राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
नरेश चन्द्र, श्री	लखनऊ	राजेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	बुलन्दशहर
नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़	राजेश कुमार खैरा, श्री	ललितपुर
		राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया

राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री	बाराबंकी
रामपाल सिंह एडवोकेट, श्री	गोण्डा
राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
राम सजीवन, श्री	बांदा
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लालता प्रसाद निषाद, चौधरी	गाजीपुर
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर
विजय सिंह राणा, श्री	आगरा
विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री	मुरादाबाद
शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	गोरखपुर
शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टेहरी गढ़वाल
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
सईदुज्जमा, श्री	मुजफ्फरनगर
सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली
समरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
सरोज वर्मा, श्रीमती	मेरठ
सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	फैजाबाद
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
सुरेन्द्र सिंह, श्री	गढ़वाल
सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री	अलीगढ़
सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
हरशरन सिंह, श्री	मेरठ
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरिश्चन्द्र, हरीश जी, श्री	बस्ती
हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

नोटः—श्री सिब्ते रजी, शिक्षा मंत्री, कु0 सरस्वती अम्माल, श्रम राज्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, दिनांक 14 मार्च, 1986

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को दिया जा रहा यात्रा भत्ता

**1—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जब भारत सरकार द्वारा अब एक, दो तथा तीन नये पैसे का चलन बन्द कर दिया गया है तो प्रदेशीय सरकार द्वारा अब भी कर्मचारियों को यात्रा भत्ता में माइलेज के रूप में दो तथा तीन नये पैसे की अनुमन्यता का क्या औचित्य है ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

कदाचित माननीय सदस्य अपने उक्त प्रश्न के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि एक पैसे, दो पैसे तथा तीन पैसे के सिक्कों का प्रचलन बंद हो जाने से भारत सरकार में अब 1, 2 तथा 3 पैसे के रूप में किसी धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है। राज्य सरकार में भी अब कोई भुगतान ऐसे नहीं किये जाते जिनमें 5 पैसे से कम का भुगतान निहित हो। यात्रा भत्ता बिल में दरों के हिसाब से विभिन्न मदों में देय धनराशियों का अलग-अलग आगणन किया जाता है और तत्पश्चात ऐसी समस्त धनराशियों को जोड़कर बिल के अंतिम योग की धनराशि 5 पैसे के गुणांक में पूर्णांकित कर दी जाती है और तद्नुसार उक्त पूर्णांकित धनराशि का ही भुगतान किया जाता है।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसे आदेश कब से जारी किये गये हैं? क्या यह आदेश सभी विभागों में प्रसारित कर दिये गये हैं ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन्, 15 दिसम्बर, 1983 से यह आदेश लागू है और इसको फिर से जब इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुईं कुछ जगहों से कि इस तरह का गुणांक न करके भुगतान किया जा रहा है, तो दुबारा 23 दिसम्बर, 1985 को रिमाइन्डर भेजा गया है।

कर्नल केसरी सिंह—

मान्यवर, जब 1, 2, 3 पैसे के सिक्के उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो जो लोगों को धनराशि देय है यात्रा भत्ते या अन्य भत्तों पर, तो कम से कम 5 पैसे या अधिक कर दिया जाये न कि 1, 2, 3 पैसे का कलकुलेशन करके 5 पैसे के गुणांक करके दें। इसलिये क्या मंत्री जी इन सिक्कों 1, 2, 3 की जगह पर जो एथाराइजेशन देय धनराशि का हो गया है उसको 5 पैसे या उसके ऊपर करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन्, चूंकि इस तरह एकदम से करने पर जो वित्तीय भार आयेगा, और वित्तीय स्थिति के बारे में सदन अवगत है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि 1, 2, 3 या साढ़े तीन पैसे का जो इंसीडेंटल यात्रा करने पर दिया जाता है इससे क्या कोई कलकुलेशन करने में कठिनाई आती है ? यदि आती है, तो ऐसा करने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन आप देखें कि 8 किलोमीटर के

नीचे यात्रा पर यह देय नहीं है, 8 किलोमीटर से ऊपर देय है. तो साढ़े तीन पैसे के हिसाब से 28 पैसे चार्ज आयेगा, तो 28 पैसे को 5 पैसे के गुणांक से 30 पैसे हम देते हैं। यह टी0 ए0, डी0 ए0 के साथ जोड़ा जाता है। इसलिये इकट्ठा भुगतान होता है और 5 पैसे के गुणांक में ही भुगतान होता है। इसलिये जो माननीय सदस्य ने कहा है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं पैदा होता है।

राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण हेतु दिये जाने वाले ऋण में आरक्षण की मांग

**2—श्री दीप चन्द्र सोनकर—

(अनुपस्थित)

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि अब तक राज्याधीन सेवाओं के अधिकारियों व कर्मचारियों को भवन निर्माण हेतु ऋण स्वीकृत करने में अनुसूचित जाति के लिए कोई आरक्षण नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार अनुसूचित जाति के लिए कम से कम 18 प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान कब तक करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

जी हां।

राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिमों की स्वीकृति में जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का आरक्षण करने का प्राविधान नहीं है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में बढ़ाई गई विद्युत दरों को कम करने की मांग

*1—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि यदि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के तापीय विद्युत घरों का प्लांट लोड फैक्टर 70 प्रतिशत कर दिया जाए तो हाल ही में बढ़ाई गई विद्युत दरों को पुनः कम करके भी परिषद् का वार्षिक घाटा समाप्त किया जा सकता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी प्लांट लोड फैक्टर को अविलम्ब बढ़ाने तथा विद्युत दरों को पुराने स्तर पर लाने की कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)—

जी नहीं, ऐसी कार्यवाही सम्भव नहीं है। प्लांट लोड फैक्टर बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं, परन्तु विद्युत दरों को पुराने स्तर पर लाना सम्भव नहीं है क्योंकि विद्युत उत्पादन की प्रति यूनिट लागत विक्रय मूल्य से काफी अधिक है तथा प्रति यूनिट लागत प्लांट लोड फैक्टर के अतिरिक्त अन्य कारणों पर भी निर्भर करती है जैसे प्रति यूनिट तेल व कोयले की खपत, अनुरक्षण एवं अधिष्ठान में व्यय, लाइन हानि इत्यादि।

श्री जयदीप सिंह बरार—

माननीय विद्युत मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया था कि यदि प्लान्ट लोड फैक्टर एक परसेंट बढ़ता है तो विद्युत परिषद् को दो करोड़ की बचत होती है, तो मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि यदि प्लान्ट लोड फैक्टर बढ़ा लिया जाए तो क्या कारण है जितना घाटा है वह बिना विद्युत दरों को बढ़ाये वाइपै-आउट न हो जाए ?

श्री सुनील शास्त्री—

इस समय जो हमारी दर है, उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाने का जो खर्च है, वह लगभग 70.8 पैसे आ रहा है और उसमें से हम वसूल कर रहे हैं 53.0 पैसे प्रति यूनिट। तो आप देखेंगे कि यदि इसको बढ़ा भी लें तो इस समय

की विद्युत दरों से यह कहीं अधिक है। इसलिए उनके पुनरीक्षण करने या कम करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मंत्री जी ने जो खर्च बताया है, वह 80 पैसे प्रति यूनिट आ रहा है। इस समय जो प्रोडक्शन हो रहा है, उस आधार पर यह आ रहा है। किन्तु यदि उतने ही ईंधन में, लाईन खर्च में प्लान्ट लोड फैक्टर बढ़ जाता है, प्रति यूनिट उत्पादन बढ़ जाता है तो किस कारण यह सम्भव नहीं है कि उत्पादन लागत कम हो जाये?

श्री सुनील शास्त्री–

यदि प्लान्ट लोड फैक्टर हम बढ़ाते हैं, जिसका प्रयास किया जा रहा है और उसमें कुछ सफलता भी मिली है, हमारा लक्ष्य है कि 86-87 में 50 प्रतिशत हम प्लान्ट लोड फैक्टर कर लेंगे। यहां पर चूंकि प्लान्ट लोड फैक्टर बढ़ने पर मशीनों के रख रखाव और उनके कोयले और आयल की जो खपत है, कोयले और आयल की खपत बढ़ती है, इसको देखते हुए जो वृद्धि हुई है, उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाने का जो खर्च है उसमें ज्यादा कमी नहीं लाई जा सकती है। जहां तक वसूली का प्रश्न है और दर का प्रश्न है और दर पुनरीक्षण करने का प्रश्न है, वह सम्भव नहीं है, क्योंकि वसूली और खर्च में बड़ा फर्क है। आप खुद इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो रेट बढ़ाया भी है उसके हिसाब से 64 पैसा की वसूली अपने उपभोक्ताओं से अब कर लेंगे, लेकिन जो खर्च बिजली पहुंचाने का है, वह अधिक है। इसलिए इस प्रश्न का सवाल नहीं उठता है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैंने मंत्री जी के बयान की ओर ही ध्यान आकर्षित किया था जैसा उन्होंने कहा था हम एक प्रतिशत प्लाण्ट लोड फैक्टर बढ़ाकर दो करोड़ की बचत कर लेंगे, तो उसके बारे में अब मंत्री जी का क्या कहना है ?प्लाण्ट लोड फैक्टर को बढ़ायेंगे तो एक प्रतिशत पर जो दो करोड़ की आय बढ़ेगी, उसके हिसाब से मौजूद राज्य विद्युत परिषद् का क्या घाटा नहीं समाप्त हो जाएगा? तो उसके बावजूद बढ़ी हुई दर को घटाने हेतु पुनरीक्षण न करने का क्या कारण है?

श्री सुनील शास्त्री–

यह हमने कहा था कि 1 परसेन्ट बढ़ता है तो दो करोड़ के करीब हमारी आय होगी मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, (सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी) देश भर में बिजली की मशीनों को और उनके रख रखाव आदि को देखकर उनका औसत प्लांट लोड फैक्टर निर्धारित करती है। तो 1986-87 के लिये लगभग 55 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर रखा है। इसी के हिसाब से हमने नवीनीकरण और आधुनिकीकरण का कार्यक्रम बनाया है और 147 करोड़ रुपये इसके लिये रखे गये हैं। 3 वर्षों में हम नवीनीकरण और आधुनिकीकरण करेंगे। तो धीरे-धीरे प्लांट लोड फैक्टर क्षमता बढ़ रही है। इस समय औसत 42-43 प्रतिशत है। हमारा प्रयास है कि अगले वर्ष तक 50 प्रतिशत लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। जैसा माननीय सदस्य का कहना है कि तुरन्त इसको 70 प्रतिशत क्यों नहीं कर दिया जाता है तो श्रीमन्, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हमारी मशीनें इतनी पुरानी हो गयी हैं कि अगर उनका नवीनीकरण और आधुनिकीकरण नहीं करेंगे तो उनसे

क्षमता के विपरीत उत्पादन करना संभव नहीं होगा। अभी इसमें समय लगेगा। प्रयास हमारा है कि हमारा प्लांट लोड फैक्टर बढ़े। हमने जो इस तरफ प्रयास किया है उसमें सफलता मिली है और आगे आने वाले समय में भी सफलता मिलेगी।

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का कहना है कि 70 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर हो ही नहीं सकता तो फिर उनको यह कहने में क्या आपत्ति है कि जब प्लांट लोड फैक्टर 70 प्रतिशत हो जायगा तो दर घटा देंगे।

(हंसी)

जनपद कानपुर में हुई खड़गोई बैजामऊ नाव दुर्घटना में मृतकों की संख्या तथा दी गई सहायता

*2–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

(अनुपस्थित)

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद कानपुर में दिनांक 27-11-85 को काल भैरों के मेले से लौटते हुए यात्रियों में खड़गोई बैजामऊ नाव दुर्घटना में लगभग 36 लोगों की मृत्यु हो गयी है? यदि हां, तो नाव दुर्घटना का कारण क्या है तथा कुल कितने लोगों की जानें गईं तथा मृतकों के आश्रितों को कोई सरकारी सहायता प्रदान की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)–

जी नहीं। केवल 13 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। दुर्घटना के कारणों की जांच के निर्देश दे दिये गये हैं। मृतक व्यक्ति 10 परिवारों के थे, प्रति परिवार 2000 रुपये की अहेतुक सहायता स्वीकृत कर दी गई जिसमें से एक परिवार ने सहायता लेना स्वीकार नहीं किया।

सचिव, रेलवे हैण्डलिंग लेबर कान्टेक्ट कोआपरेटिव सोसाइटी, लि0 चारबाग, लखनऊ के विरुद्ध दिये गये शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

*3–श्री विश्राम दास तथा
श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे हैण्डलिंग लेबर कान्टेक्ट कोआपरेटिव सोसाइटी लि0, चारबाग, लखनऊ के सचिव के विरुद्ध समिति के 52 सदस्यों का शिकायती पत्र प्रशासक, समिति एवं जिला सहायक निबन्धक, लखनऊ को माह जनवरी, 1986 में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त समिति के सचिव के भ्रष्टाचार में प्रशासक, समिति भी शामिल है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी प्रशासक, समिति जो कि विभागीय अधिकारी भी हैं, के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो समिति के समस्त सदस्यों द्वारा शिकायत करने पर भी प्रशासक द्वारा वर्तमान सचिव को उसके पद से क्यों नहीं हटाया गया जबकि वह सेवा निवृत्त की आयु सीमा भी पार कर चुका है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त समिति का सचिव, विगत 17 वर्षों से समिति के खाते का केवल अपने हस्ताक्षरों से संचालन कर रहा था? यदि हां, तो यह किन नियमों के अन्तर्गत?

सहकारिता मंत्री (श्री अरूण कुमार सिंह)–

जी हां, सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां लखनऊ द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 1986 को शिकायती पत्र पर जांच हेतु निर्देश श्री देवराज, अपर जिला सहकारी अधिकारी लखनऊ को दिये

गये । उक्त अधिकारी ने इसकी जांच दिनांक 16 फरवरी, 1986 को करके 17 फरवरी, 1986 को जांच रिपोर्ट दी । सचिव के विरुद्ध तथा कथित भ्रष्टाचार में प्रशासक के शामिल होने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया, अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता । समिति के सचिव को प्रशासक द्वारा 18 फरवरी, 1986 को पद से अवमुक्त कर दिया गया है । वर्ष 1968 से 20 दिसम्बर, 1979 तक और अप्रैल व मई, 1985 में केवल सचिव के हस्ताक्षर से बैंक खाते का संचालन किया गया जिसके लिये समिति के संचालक मंडल व प्रशासक द्वारा अधिकृत किया गया था । 4 जून, 1985 से खाते का संचालन प्रशासक तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से हो रहा है । समिति की उपविधि संख्या 49 के अनुसार सचिव को अकेले चेकों पर हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत करने का प्राविधान है ।

श्री विश्राम दास–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि सेवा निवृत्त किये जाने के बाद पुनः सेवा में लिये जाने के क्या कारण हैं और कितने दिनों तक उन्होंने कार्य किया ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

प्रश्न मैं आपका समझ नहीं पाया।

श्री विश्राम दास–

पुनः नियुक्ति क्यों की गयी ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, इनकी सेवा निवृत्ति अभी 18-2-86 को हुई है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सरकारी नौकरियों में आवेदन करने हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क

*1–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार के इस निर्देश के बावजूद, कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में आवेदन पत्र के साथ आवेदन तथा परीक्षा शुल्क नहीं देना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह व्यवस्था नहीं की है और अभ्यर्थियों को शुल्क देना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी)–

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से परीक्षा शुल्क न लेने की आयोग की सिफारिश हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में प्राप्त नहीं हुई है ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क लिया जाता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि अधिकृत रूप से चाहे आयोग की रिपोर्ट न मिली हो, लेकिन क्या उनको जानकारी है कि ऐसा कोई

आयोग गठित हुआ था और उसने अनुशंसा की है कि परीक्षा शुल्क न लिया जाय ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी–

आयोग गठित है, यह तो ठीक है लेकिन उन्होंने परीक्षा शुल्क न लेने के बारे में कोई सिफारिश की है, इसके निर्देश केन्द्र सरकार से आते हैं, तो इसके निर्देश हमारे पास नहीं हैं और सिफारिश के संबंध में भी यह जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

माननीय मंत्री जी ने जैसा कहा है कि 81 से जांच का सैल गठित है । जो विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सैल सक्रिय है ? क्या इसको सक्रिय करने के लिये कहेंगी ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी–

यह कौन से सैल की बात कर रहे हैं? सैल नहीं है, एक आयोग है । यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, इसके विषय में अलग से प्रार्थना-पत्र दें, तो उसके भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये कृत-संकल्प हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि जिस आयोग की चर्चा की है, ऐसा कोई आयोग गठित हुआ था ? यदि हां, तो क्या उसकी रिपोर्ट शासन को मिली है या नहीं? केन्द्रीय सरकार से पत्र मिला हो या न मिला हो।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

केन्द्र से सम्बन्धित यह आयोग है । अगर कोई सिफारिश की है केन्द्र सरकार को, तो अगर आपकी आज्ञा होगी तो सिफारिश जरुर मंगवा लेंगे और अगर उसमें लिखा होगा कि परीक्षा शुल्क माफ कर दिया जाय, तो जरुर विचार करेंगे । मैं सूचना दे दूं कि पी0 सी0 एस0 के सम्बन्ध में आदेश है कि जो परीक्षाशुल्क हरिजनों से ले लिया जाता है, वह फीस का 1/4 लिया जाय ,इस पर कार्यवाही हो रही है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

उन्होंने कहा कि अगर आप आज्ञा दे दें तो केन्द्र सरकार से रिपोर्ट मंगा ली जायेगी, तो आप आज्ञा दे दें।

श्री अध्यक्ष–

अब आपकी आज्ञा तो हो ही गयी।

(हंसी)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जैसी आपकी आज्ञा, मान्यवर।

(हंसी)

श्री सुखपाल पाण्डे–

अभी हरिजन समाज कल्याण मंत्री जी ने कहा है कि अगर शिकायत की जायेगी तो उस पर वे कार्यवाही करेंगी । जबकि माननीया मंत्री जी को स्वतः ही जानकारी है इनके विभाग में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, जिसमें कि वे स्वयं लिप्त हैं और इसलिये जांच कराने में यह असमर्थ हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनके यहां 21 स्वर्णों को फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर सरकारी नौकरी मिल गयी है और मंत्री जी कुछ नहीं कर पा रही हैं और यहां पर कह रही हैं कि अगर आप शिकायत की दरखास्त देंगे तो उस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

आप अपना प्रश्न करिये।

श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या माननीया मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि जो आयोग गठित हुआ है इसके संबंध में जो रिपोर्ट आयी है, उसे कब तक मंगा कर इस सदन में रखने की कृपा करेंगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मैं वहां से तुरन्त मंगा लूंगी, अब वहां से पत्र कब आता है, उनका उत्तर जैसे ही आयेगा, उस पर कार्यवाही की जायेगी।

(शुक्रवार दिनांक 14 मार्च, 1986 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न)

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा बांटे गये प्रतिकर में हुई अनियमितता की जांच

*1–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा प्रतापगढ़ जिले को नहरों हेतु किसानों से ली गई भूमि के बदले में जो प्रतिकर 81-82 तथा 82-83 में बांटा गया उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की विशेष जांच राजस्व परिषद् के लेखा दल द्वारा 82-83 तथा 83-84 में कराई गई? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये? क्या जांच रिपोर्ट लेखा दल द्वारा 15 जनवरी, 85 को लेखाधिकारी, फैजाबाद को दे दी गई थी तथा रिपोर्ट राजस्व परिषद् को कब मिली?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

जी हां।

विशेष जांच में निम्न तथ्य प्रकाश में आये :–

(1) रु0 32,880·82 पैसे का संभावित गबन होना पाया गया।

(2) रु0 2,44,615·40 पैसे का संभावित अधिक भुगतान होना पाया गया।

(3) रु0 24,85,604·67 पैसे का संदेहात्मक भुगतान होना पाया गया जिसकी पुष्टि कराई जा रही है।

(4) रु0 19,63,650·95 पैसे का अनियमित भुगतान होना पाया गया।

लेखा दल द्वारा विशेष जांच रिपोर्ट 15-1-85 के बाद लेखाधिकारी को दी गयी जो राजस्व परिषद् को 15-6-85 को प्राप्त हुई।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि इस पूरी विशेष जांच में करीब-करीब 43 लाख रुपये का गबन हुआ है, इस संबंध में लेखा दल की रिपोर्ट 15-1-85 को मिली। उसके बाद से आज तक एक वर्ष का समय व्यतीत हो गया है और यह जांच रिपोर्ट अभी तक लम्बित है, तो इसके इतने दिनों तक लम्बित रहने के क्या कारण हैं? इस गबन के लिए जो अधिकारी दोषी पाये गये उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी, उसका विवरण क्या है?

(इस समय 11 बजकर 58 मिनट पर उपाध्यक्ष श्री त्रिलोक चन्द्र पीठासीन हुए)।

श्री गौरी शंकर–

माननीय गुप्ता जी ने जिस गम्भीरता से प्रश्न किया उसी गम्भीरता के साथ इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। अब जो गुप्ता जी ने जानकारी चाही है उसमें मैं यह निवेदन करूंगा कि जो विशेष दल के रूप में आडिट पार्टी गयी, यह जांच शासन स्तर पर बोर्ड आफ रेवन्यू के

द्वारा करायी गयी और उसमें सारे तथ्य प्रकाश में आये । उसमें जो अधिकारी दोषी पाये गये उनके खिलाफ जो अनियमिततायें पायी गयीं उसमें बोर्ड आफ रेवेन्यू ने एप्वाइन्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट को लिखा है । एडमिनिस्ट्रेटिव जांच के बाद यह मामला सन्दर्भित हो गया नियुक्ति विभाग को । उसके बाद यह विशेष जांच दल की रिपोर्ट आ गयी उसके बाद यह हुआ कि आरोप-पत्र में इन सब चीजों का समावेश कर लिया जाय। जब इन सब चीजों का परीक्षण हो रहा था तब यह 31-8-85 को प्राप्त हुई । 17-10-85 को इसे जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को भेजा गया । 16-10-85 को जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ ने इसे भेजा । श्री बी0 डी0 शर्मा, जिसे दोषी माना गया, जब इसका परीक्षण हो रहा था कि इसी बीच ये रिटायर हो गये। लेकिन रिटायर होने से यह मतलब नहीं है कि कोई विभागीय कार्यवाही रोक दी जायेगी । जो धनराशि उन्होंने ज्यादा भुगतान की है, अनियमित की है, उनसे रिकवरी होगी और जो भी कर्मचारी उसमें दोषी हैं, उनको भी दन्डित किया गया है । एक तो शीतला प्रसाद श्रीवास्तव और वकील चन्द्र को निलम्बित कर दिया गया है और इसी तरह से लाल बहादुर दुबे मुख्य लिपिक, चिन्तामणि, अहलमद, श्री वीरेन्द्र सिंह, अमीन और श्रीकान्त अमीन को आरोप पत्र दिया गया है । माता प्रसाद अमीन को 30-12-1985 को नौकरी से अलग कर दिया गया है और इस प्रकार इस पर शासन गम्भीरता से शासन विचार कर रहा है, लेकिन चूंकि मामला अभी भी सम्भावित है, सम्भावित अनियमितता है, सम्भावित गबन है, तो इन सब चीजों की जांच के लिये जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ से कहा गया है कि इन सब चीजों को देख लें और छान बीन कर लें कि कौन मामला यह है और कितने का गबन है, ताकि ठीक से कार्यवाही हो सके ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जो गबन है, उसकी जांच हो गयी है, तो फिर डी0 एम0 प्रतापगढ़ से जांच कराने का क्या औचित्य है। जो रिपोर्ट 1985 में आ गयी, उस पर आप कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, क्या आप इस पर विजिलेंस से जांच करायेंगे ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, इसके सारे प्रकरण में मैं बताना चाहता हूं कि इस मामले में एफ0 आई0 आर0 हुई । जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के यहां से अनुपालन आख्या प्रतीक्षित है, कि इनके खिलाफ यह एक्शन लिया जाये। तो वह आनी है और जो सूचना आयी है, उसके आधार पर बता दिया है। एक अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होनी थी, लेकिन वह रिटायर हो गये हैं। इस मामले में शासन बड़ी तत्परता के साथ कार्यवाही कर रहा है और उसकी सदाशयता में शंका करने का माननीय गुप्ता जी का कोई औचित्य नहीं है। हम निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे और कुछ कर्मचारियों को दण्डित किया गया है और शेष जो रह गये हैं, उनको भी दण्डित किया जायेगा।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट लिखायी गयी है, उसको किस धारा में लिखाया गया है और किस-किस के विरुद्ध लिखाया गया है और अब तक कौन से तथ्य प्रकाश में आये हैं?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, ऐसा है कि यह जांच बोर्ड आफ रेवेन्यू के निर्देश पर हुई तथा कलेक्टर प्रतापगढ़ द्वारा भी इस अवधि

की शिकायतों के सम्बन्ध में कुछ गांवों की जांच कराई गयी। सत्यापित तथ्यों के आधार पर बी0 डी0 शर्मा तथा 2 कर्मचारियों के विरुद्ध थाना रानीगंज में अपराध सं0 275/84 धारा 467/409/420 के अन्तर्गत दिनांक 24-9-84 को दर्ज कराया गया और एक अन्य मामले में भी उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध एक मुकदमा अपराध सं0 267/85 धारा 467/468/471/409 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दिनांक 25-9-1985 को दर्ज कराया गया और विवेचना चालू है। मान्यवर, इस पर तो माननीय सदस्यों को मेजें थपथपानी चाहिये और शासन को बधाई देनी चाहिये। मुझे दुख है कि इतनी तत्परता के साथ कार्यवाही करने के उपरान्त भी आप लोग सन्तुष्ट नहीं हो रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सरकार की सदाशयता में विश्वास करना चाहिये, लेकिन पूरे उत्तर में कहीं पर यह नहीं है, इसकी गम्भीरता का बर्दाफाश हो गया है। संभावित गबन कहा है, आडिट रिपोर्ट साफ कहती है कि गबन है, अधिक भुगतान किया गया है, गलत लोगों को भुगतान किया गया है और माननीय मंत्री जी संभावित गबन की बात करते हैं। जिलाधिकारी ने उन लोगों को बचाना चाहा है। जब आडिट कराया गया और आरोप सिद्ध हो गया तो भी साल भर इसको डाले रहे और जब श्री शर्मा रिटायर हो गये, तब कार्यवाही की गयी। क्या इस बिन्दु पर भी जांच करायेंगे और इस मामले को टालने के लिए जिन लोगों ने जानबूझकर समय देने की प्रक्रिया की है, क्या इन लोगों के विरुद्ध भी जांच करायेंगे? और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, जो रिपोर्ट श्री बी0 डी0 शर्मा, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के विरुद्ध आयी थी, उसके आधार पर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये नियुक्ति विभाग को लिखा गया।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, मुकदमा लिखाया गया, तो मैं जानना चाहता हूं कि गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है, क्या कार्यवाही हुई है?

श्री गौरी शंकर—

जो प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है, उस सन्दर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि नियुक्ति विभाग में मामले पर छानबीन की जा रही थी, कि इनको आरोपित कर दिया जाये, आरोप पत्र बन रहा था, लेकिन इसी बीच में मान्यवर, वह रिटायर हो गये। अगर उन्होंने गबन किया है, तो उसकी वसूली होगी, दूसरे जो कर्मचारी हैं, तो उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है। दो व्यक्तियों को निलम्बित किया गया है और सेवा से भी हटा दिया गया है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब इस प्रकरण में पूरी छानबीन हो जायेगी और अगर किसी स्तर पर इस प्रकार की कोई बात पायी जायेगी कि जानबूझकर विलम्ब किया गया है, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी, उनको छोड़ा नहीं जायेगा।

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने एफ0 आई0 आर0 की चर्चा की है तो क्या रिपोर्ट के आधार पर जिनके

विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज है, उन कर्मचारियों अधिकारियों की गिरफ्तारी की गयी या नहीं?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि उसकी विवेचना जारी है, एफ0 आई0 आर0 का प्रश्न नहीं रहा। जब विशेष जांच दल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट और एक दूसरी रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव की करायी गयी जब जहां-जहां यह कारण सत्यापित हो गये, जो-जो चीजें सत्यापित होती गयीं, हम लोग उन-उन अधिकारियों कर्मचारियों को दण्डित करते गये और जो-जो चीजें भविष्य में सत्यापित होती जायेंगी, उनको दण्डित कर दिया जायेगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित कि जो रिपोर्ट लिखायी गयी है उसमें धारा 420 भी है। मान्यवर, यह कांगजनेबुल आफेंस है नानबेलेबुल आफेंस है। जो इसमें गैर दस्तंदाजी और गैर जमानती दफायें हैं इनको देखते हुए क्या अभी तक गिरफ्तारी की गयी?

श्री गौरी शंकर–

ऐसा हुआ कि मिस्टर बी0 डी0 शर्मा जिनको लिख दिया गया था नियुक्ति विभाग को कि इनको निलम्बित करके इनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। जब मामला एप्वाइन्टमेन्ट विभाग को गया, उनके द्वारा कार्यवाही होनी थी। लेकिन यह बीच में रिटायर हो गये और इन्होंने एक एफ0 आई0 आर0 दर्ज करा दी अपनी ओर से ताकि यह सिद्ध हो जाय कि उनका इनवाल्वमेन्ट नहीं है। दो लोगों के खिलाफ बी0 डी0 शर्मा द्वारा रिपोर्ट की गई थी। उसके अनुसार दिनांक 9-12-82 को एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी गई। यह रिपोर्ट श्री वकील चन्द्र शर्मा तथा शीतला प्रसाद के विरुद्ध थी। इस पर एस0 आई0 एस0 द्वारा विवेचना चल रही है।

मान्यवर, मैंने निवेदन किया था कि दूसरी जांच जो हुई थी उसके अन्तर्गत शीतला प्रसाद और वकील चन्द्र को निलम्बित किया गया है और शेष दो अमीनों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इन सब पर कार्यवाही हुई। मैं समझता हूं कि यदि माननीय सदस्य इससे सन्तुष्ट न हों तो फिर जैसे आपके आदेश हों।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, एक लाइन का सवाल था और एक ही लाइन का जवाब आना चाहिए था। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं थी। गैर जमानती और दस्तन्दाजी रिपोर्ट लिखाने के बाद भी गिरफ्तारी न करने के क्या कारण हैं? (व्यवधान)

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, एफ0 आई0 आर0 का सन्दर्भ दिया गया था उसमें विवेचना चल रही है। (व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

प्राइमा फैसी साबित है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसका क्या कारण है?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं जिस पर माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने आपका ध्यान आकृष्ट किया। अगर सरकार साफ जवाब नहीं देती है तो जैसा मैंने पहले अपने

सवाल में आरोप लगाया था कि इस पूरे प्रकरण में हर स्तर पर अधिकारियों को जानबूझकर बचाने की कोशिश की गई है। मेरा आरोप है कि इस भ्रष्टाचार में उच्च अधिकारियों का हाथ है। इसलिये मैं साफ बात जानना चाहता हूं और जैसा कि शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा, विवेचना हो रही है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। विवेचना तो हो रही है लेकिन मान्यवर, जब संगीन अपराध किया जाता है तो उसमें गिरफ्तारी बहुत आवश्यक है। आप यह बतायें कि जब नामजद अभियुक्त हैं तो उनको अभी तक गिरफ्तार न किये जाने के क्या कारण है?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, क्रिमिनल आफेंस में वह अपने स्तर पर पुलिस द्वारा विवेचना के उपरान्त ही होगा। (व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मुझे अफसोस है कि माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री बैठे हैं, वे वकील हैं, जानकार हैं, मैं चाहूंगा कि वे मेरे प्रश्न का जवाब दें। नामजद और संगीन अपराध होने पर भी अब तक उनको गिरफ्तार न किये जाने का क्या कारण है?

(व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

इतने दिनों तक यह केस क्यों रुका रहा?

श्री उपाध्यक्ष–

एक-एक प्रश्न का जवाब दें लेने दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने पूछा है कि उनको गिरफ्तार न किये जाने का क्या कारण है? माननीय मंत्री जी हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सरमन दे रहे हैं। कह रहे हैं कि विवेचना हो रही है। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं कि संगीन अपराध में नामजद मुल्जिम को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री राम सरन–

मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गई है वह किसी चपरासी या किसी गांव वाले ने तो लिखाई नहीं है। कलेक्टर ने लिखाई है। उससे बड़ा कौन होगा। जब वह रिपोर्ट करते हैं कि यह गबन का मामला है, 409 और 420 की धारायें हैं। तो आप को इसमें कौन सी परेशानी है? क्यों आप गिरफ्तारी नहीं होने देते? क्या आप चाहते हैं कि जब मिनिस्टर रिपोर्ट करायें तभी गिरफ्तारी होगी, कलेक्टर द्वारा नहीं होगी? मान्यवर, यह सीधा-सादा मामला है। इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। आप तुरन्त गिरफ्तारी करायें।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि गिरफ्तारी न करने की वजह यह थी कि क्योंकि यह राज्य मंत्री हैं और किसी कैबिनेट मंत्री के दबाव से नहीं की जा रही है तो वह कौन कैबिनेट मंत्री हैं?

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

इसमें काफी सवाल हो चुके हैं। (व्यवधान) ऐसा कर लें या तो आप इसमें चर्चा मांग लें नियम 49 के अंतर्गत या

फिर प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंप दिया जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इसको स्थगित करा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

दोनों में से एक कर लीजिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

ठीक है नियम 49 में चर्चा करा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लिख कर भेज दीजिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

ठीक है ।

*2–श्री जयदीप सिंह बरार–

[दि0 12-7-85 को अता0 प्र0 सं0 54 द्वारा उत्तरित]

ग्राम अमौनी, पोस्ट रामपुरजनक, बाराबंकी के हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण

*3–श्री सूर्य प्रताप शाही (अनुपस्थित)–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, विधायक के पत्र संख्या 2378/1982, दिनांक 28-5-1982 जो ग्राम अमौनी, पो0 रामपुरजनक, जिला बाराबंकी के हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वर्ष 1982 से जून, 1985 तक शासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां।

वर्ष 1982 से जून, 1985 तक प्रश्नगत पत्र पर इसलिये कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी, क्योंकि ग्राम अमौनी, किसी भी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत नहीं है। सामान्य योजना के अन्तर्गत 15 प्रतिशत रिटर्न के आधार पर भी ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा सकता है, परन्तु इस ग्राम में कोई भी व्यक्ति कनेक्शन लेने का इच्छुक नहीं है । इस कारण उक्त ग्राम तथा उसकी हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण नहीं किया जा सका है।

प्रदेश के विद्युत बकायादारों की संख्या तथा वसूली की कार्यवाही

*4–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में ऐसे कितने बकायादार हैं, जिन पर बिजली का 50,000/- या उससे अधिक धनराशि बकाया है और इसको वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री सुनील शास्त्री–

विद्युत परिषद् के अन्तर्गत माह नवम्बर, 1985 के अन्त तक कुल 1012 ऐसे विद्युत उपभोक्ता हैं जिन पर 50,000/- रुपया तथा उससे अधिक के विद्युत देयों की धनराशि बकाया है। इनके विरुद्ध कुल बकाया धनराशि लगभग 67.92 करोड़, रुपया है। लगभग 212 मामले न्यायालय/पंच निर्णय में लम्बित हैं और विद्युत परिषद् इन मामलों के निस्तारण में तत्परता से कानूनी कार्यवाही कर रही है। लगभग 297 मामले सरकारी विभागों सिंचाई विभाग, जल संस्थान इत्यादि के हैं और वसूली के लिये निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। शेष मामलों में भी विद्युत परिषद वसूली के लिये सतत् प्रयास कर रही है।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि लगभग 68 करोड़

रु0 जिन उपभोक्ताओं पर बाकी है, उनके वसूले जाने की अब तक की क्या कार्यवाही हुयी और 5 जो बड़े-बड़े बकाये दार हैं, वह कौन-कौन हैं और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सुनील शास्त्री–

जिन पर हमारा ज्यादा बकाया है वह है हिण्डालिको और कनौड़िया व मोदी आदि हैं और मैं मा0 सदस्य को बताना चाहता हूं कि अधिकांश मामले न्यायालय में हैं और जैसा कि इसका विवरण मैंने पहले भी सदन में दिया है कि मोदी के विरुद्ध जो मामले हैं न्यायालय में उसमें हमको सफलता भी प्राप्त हुयी है और करीब 2 करोड़, 30 लाख रुपये उनसे हमने मुकदमा जीतकर वसूल कर लिए हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

रिमीटेशन के लिए भी वह गये थे अगर गये थे, तो क्या कार्यवाही हुयी?

श्री सुनील शास्त्री–

इसमें मान्यवर, सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या बिजली विभाग के जो अधिकारी व कर्मचारी हैं वह निश्चित रूप से बड़ी-बड़ी पार्टियों जैसे बिड़ला और कनौड़िया आदि से मिलकर सरकार को मुकदमा हरवाने का जो काम करते हैं तो क्या आप इस मामले में विशेष सेल द्वारा जांच कराकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

इसका प्रश्न से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि गढ़वाल जल संस्थान पर जो लाखों रु0 विद्युत परिषद् का बकाया है, और जिसके तहत वहीं पर विद्युत के काटे जाने के आदेश दे दिए गये हैं तो क्या इस विभाग को जो नोटिस दिया गया है, उसे जनहित में रोकने की कृपा करेंगे?

श्री सुनील शास्त्री–

जहां तक बकाया धनराशि का प्रश्न है, हम शासन स्तर पर इस संबंध में विचार कर रहे हैं और उनसे वसूली के प्रयत्न भी हमारे जारी हैं और जैसा कि आपने जनता के हित की बात कही, उसी को देखते हुए जो एक्शन उन पर होने जा रहा था, उसे रोक दिया गया है।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, सरकारी विभागों पर जो काफी रु0 बकाया है, यह बकाया सबसे ज्यादा किस विभाग पर है और उनसे वसूली की कार्यवाही अब तक क्या हुयी?

श्री सुनील शास्त्री–

सरकारी विभागों में सबसे ज्यादा जल-संस्थान, नगर पालिका व सिंचाई विभाग हैं जिन पर 33 करोड़ 88 लाख रु0 297 मामलों में है और इनके वसूले जाने के लिए विद्युत परिषद् बड़ी तत्परता से कार्य कर रहा है।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, क्या मा0 विद्युत मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो 212 मामले पंच निर्णय में लम्बित हैं, यह कितने दिनों से लम्बित है और किस पर कितना-कितना रु0 है क्या इससे संबंधित पूरा विवरण मा0 मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे?

श्री सुनील शास्त्री–

जैसा कि माननीय सदस्य इस मामले को पूरे विस्तार से जानना चाहते हैं तो आवश्यकता पड़ेगी जानकारी की, परन्तु इसमें इतना अवश्य बताना चाहूंगा कि जो मामले हमारे न्यायालयों में विचाराधीन हैं, इनके निस्तारण के लिए विद्युत परिषद् पूरी तरह से प्रयास में लगा हुआ है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हिंडालको, कनकोडिया और मोदी पर कितना करोड़ रुपया विद्युत देयों का बकाया है और इसकी वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गयी? मेरा मान्यवर, दूसरा प्रश्न यह है कि जो आपके वकीलों ने पैरोकारी नहीं की, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही माननीय मंत्री जी करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

पहला सवाल तो ठीक था, वकीलों पर वह क्या कार्यवाही करेंगे? माननीय मंत्री जी पहले सवाल का उत्तर दे दीजिए?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, उपभोक्ताओं से रिकवरी के बारे में माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी ने जो जानकारी चाही है, इस संबंध में मान्यवर, उनकी जो देय धनराशि है, उसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करके माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दी जायगी। मोदी पर जो हमने मुकदमा दायर किया था, उसमें हमें सफलता मिल गयी है और हमने 2 करोड़, 30 लाख रु0 वसूल कर लिया है।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, 1,012 लोगों पर बकाया था, जिसमें 212 के बारे में आप बता रहे हैं कि मुकदमें आर्बिटेशन में हैं, कुछ विभागीय हो गये, लेकिन 500 से ऊपर और व्यक्ति ऐसे पड़ते हैं, जिन पर बकायेदारी है, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? उन्हें नोटिस दी गयी या लैन्ड रेवन्यू की भांति वसूली करा रहे हैं और बकाया देय धनराशि का मामला कब से लम्बित है? उसके बारे में क्या कार्यवाही माननीय मंत्री जी कर रहे हैं?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, इसमें जो 500 से ऊपर मामले रह गये हैं, उनमें से 50 ऐसे मामले हैं, जिनका डिस्कनेक्शन कर दिया गया है, 69 मामलों में सेक्शन 5 के द्वारा रिकवरी की नोटिस जारी कर रखा है। 17 मामलों में सेक्शन 3 की नोटिस जारी कर रखी है। कुछ उपभोक्ता ऐसे भी हैं, जिनके ऊपर हमने किश्तें बांध दी है, उनकी संख्या 16 है। आंशिक उपभोक्ता 25 हैं। हमारे अन्य 4 ऐसे उपभोक्ता हैं जो अन्य प्रदेश के हैं। परमानेंट डिस्कनेक्शन जिनका किया गया है, उनकी संख्या 12 है। पूर्व लाइसेंस धारी 2 हैं।

अवर अभियन्ता, विद्युत, बुलन्दशहर के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर कृत कार्यवाही

*5–श्री किरनपाल सिंह–

(अनुपस्थित)

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम फरीदा बांगर, ब्लाक ऊंचागांव जनपद बुलन्दशहर के कुछ किसानों से अवर अभियन्ता द्वारा मोटी रकम अनियमित रूप से वसूल कर लेने का मामला इस वर्ष (1985) में प्रकाश में आया है जिससे विद्युत बोर्ड को भी बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी है ? यदि हां, तो उक्त भ्रष्टाचार करने वाले अवर अभियंता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सही है कि अधिशासी अभियंता

विद्युत वितरण खण्ड तृतीय ने उक्त अनियमितता को नियमित कर दिया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां । एक शिकायत प्राप्त हुई थी किन्तु जांचोपरान्त यह आरोप प्रमाणित नहीं हो सका ।

कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद् द्वारा कथित आयोग का गठन

*6–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद् ने कर्मचारियों एवं प्रशासनिक पुनर्गठन के लिये कोई आयोग का गठन किया है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी नहीं, राज्य विद्युत परिषद् द्वारा ऐसे किसी आयोग का गठन नहीं किया गया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या आप यह विचार करेंगे कि जो आज प्रशासनिक ढांचा है, वह आउट डेट हो गया है और इसलिए विद्युत परिषद् की कार्य-कुशलता ठीक नहीं है, वहां के कर्मचारियों में असंतोष बहुत व्याप्त है । तो क्या एन0 टी0 पी0 सी0 की भांति कोई आयोग बना कर या कोई और तरीके से जिसे माननीय मंत्री जी अच्छा समझते हों, उसकी भांति विद्युत परिषद् का प्रशासनिक ढांचा ठीक कराने का कष्ट करेंगे, ताकि विद्युत परिषद् का संचालन ठीक प्रकार से हो सके ?

श्री सुनील शास्त्री–

इस पर विचार कर लिया जायगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इस सदन में और सदन के बाहर विद्युत परिषद् के प्रशासनिक ढांचे के बारे में काफी चर्चा है । क्या सरकार इस विद्युत परिषद् के पुनर्गठन के बारे में विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, पहले भी मैंने सदन में इस बात की जानकारी दी है कि विद्युत परिषद् के कार्य में किस तरह से सुधार लाया जा सके, इसके लिए रि-आर्गेनाईजेशन की योजना बनाई है, जिस पर सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है । हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं । सबसे ज्यादा वितरण प्रणाली में उपभोक्ता उत्पादन से चिन्तित नहीं रहता है, वितरण से ज्यादा चिंतित रहता है ।

इस बात को ध्यान में रखकर वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए तीन मुख्य अभियंताओं की क्षेत्रीय अभियंता के रूप में नियुक्ति की गई है और इनको यह अधिकार दिये गये हैं कि वे वहां पर जायेंगे जिससे कि वे वहां पर व्यवस्था देखें और उनके ऊपर हम उत्तरदायित्व सौंप सकें ।

राज्य विद्युत परिषद् में विभिन्न अभियन्ताओं के पद तथा वेतन की धनराशि

*7–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974 में राज्य विद्युत परिषद्

में कुल कितने मुख्य अभियन्ता, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता कार्यरत थे ? उन पर वेतन आदि पर कुल कितना व्यय होता था और मई, 1985 के अन्त में कितने मुख्य अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता नियुक्त थे ? उन पर कितना व्यय हो रहा है ?

श्री सुनील शास्त्री–

वर्ष 1974 में राज्य विद्युत परिषद् में कुल 7 मुख्य अभियन्ता, 11 अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, 80 अधीक्षण अभियन्ता, 456 अधिशासी अभियन्ता तथा 1411 सहायक अभियंता कार्यरत थे । उनके वेतन आदि पर औसत व्यय रु0 23.70 लाख प्रतिमाह था, और मई, 1985 के अंत में 15 मुख्य अभियंता तथा 715 अधिशासी अभियंता नियुक्त थे । उन पर औसत रु0 24.63 लाख प्रतिमाह व्यय हो रहा है ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

माननीय विद्युत मंत्री के उत्तर से संबंधित, यह जो 23.70 लाख रु0 प्रति माह वेतन भुगतान किया जाता था, यह दिसम्बर, 1985 में कितने प्रमुख अभियंता और मुख्य अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता तथा सहायक अभियन्ताओं को दिसम्बर तक कितना भुगतान किया गया है क्या इसका पूरा विवरण देने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

यह तो पूरा इतिहास हो जायेगा ।

श्री सुनील शास्त्री–

श्रीमन्, 1974 का पूर्ण विवरण प्रश्न के उत्तर में दिया गया है और 1985 में मई, 85 के अन्त तक 15 मुख्य अभियंता, 23 अतिरिक्त अभियंता 163 अधीक्षण प्रभियंता, 715 अधिशासी अभियन्ता और 2389 हमारे सहायक अभियंता हैं ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस समय संख्या कितनी थी और बिजली का अनुपात क्या था तथा इस समय क्या है ?

श्री सुनील शास्त्री–

श्रीमन्, वह भी देखें । 1974 में कुल हमारे इन्जीनियर्स की संख्या 1965 थी । मई, 85 में 2205 हुई । जहां तक विद्युत की बढ़ोत्तरी हुई है वह लगभग तिगुनी प्रगति हुई है विद्युत के क्षेत्र में । वर्ष 1974 में हमारी अधिष्ठापित क्षमता 1529 मेगावाट थी और 1985 में 4084 मेगावाट हुई है । इसी प्रकार मिलियन यूनिट में हमारा उत्पादन 1974 में 6154 मिलियन यूनिट था और अब 1985 में यह 11327 मिलियन यूनिट हुआ है । इसी प्रकार ट्रान्समिशन सरकिट 1974 में 7226 किलो मीटर थे और इस समय ट्रान्समिशन सरकिट 15247 किलोमीटर। इसी प्रकार ग्रामीण विद्युतीकरण में, हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण में, हर क्षेत्र में वृद्धि हुई है । औसतन दुगनी-तिगुनी वृद्धि हुई है ।

आगरा जनपद के दलहन की फसल को हुई क्षति एवं दी गई सहायता

*8–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा और फिरोजाबाद में सितम्बर, अक्टूबर, 1985 की वर्षा से उर्द, मूंग, रमास, मोठ, अरहर

की दलहनी फसल बरबाद हो गई ? यदि हां, तो शासन ने किसानों को इस बरबादी के खिलाफ क्या सहायता दी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर–

जनपद की विभिन्न तहसीलों के विभिन्न क्षेत्रों में 25 से 100 प्रतिशत तक क्षति हुई थी । कृषकों को निम्नलिखित सहायताएं दी गई:–

1–तहसील बाह को छोड़कर शेष 6 तहसीलों में भू-राजस्व/लगान की वसूली स्थगित की जा चुकी है ।

2–तहसील बाह को छोड़कर शेष 6 तहसीलों में भू-राजस्व में छूट दिये जाने का प्रस्ताव है,

3–तहसील फतेहाबाद में 36,250 रु0 की आपदा तकावी बांटी गयी है, तथा

4–विकास खण्डों के माध्यम से बीज, खाद्य व उर्वरक उपलब्ध कराया गया जिसमें लघु एवम् सीमान्त कृषकों को 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया गया है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जहां फसल की 100 प्रतिशत हानि हुई है, उनको अब तक भू राजस्व में छूट न देने का क्या कारण है ? 50 प्रतिशत नुकसान होने पर छूट स्वतः देय हो जाती है । दूसरा मैं यह जानना चाहूंगा कि लगान वसूली के स्थगन आदेश कब निर्गत किए?

श्री गौरी शंकर–

माननीय सदस्य की भावना को दृष्टिगत रखते हुए, जिन 5 तहसीलों में 75 से 100 प्रतिशत की क्षति हुई है, छूट देने के लिए जिलाधिकारी से प्रस्ताव आता है । जिलाधिकारी से प्रस्ताव 12-3-86 को आया, इन तहसीलों को छूट प्रदान करने का निर्णय ले लिया गया है । जहां तक माननीय सदस्य ने दूसरी बात जानना चाहा है हमारे यहां प्रक्रिया यह है कि जिलाधिकारी का पत्र आता है, किसी समय किसी जनपद में 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है तो इसके लिए जिलाधिकारी को पहले से यह अधिकार नियमों में दिया गया है कि तीन महीने तक वसूली को स्वतः स्थगित कर सकते हैं । शासन से तीन महीने के लिए स्थगित करने हेतु आदेश निर्गत होने की आवश्यकता नहीं है । इसके आगे के लिए प्रस्ताव राजस्व परिषद् में आता है, उसके बाद छूट दी जाती है ।

श्री मनोहर लाल–

पिछली बार मैंने एक प्रश्न किया था उन्नाव के बारे में, वहां 80 प्रतिशत का नुकसान हुआ था तो मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि शासन की नीति नहीं है कि छूट दी जाय । आज मंत्री जी कह रहे हैं कि 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान बाढ़ या सूखा से हो तो जिलाधिकारी को अधिकार है तीन महीने की छूट देने का। इसमें कौन सा उत्तर सही है, जो पहले कहा गया था या जो अब कहा गया है । उन्नाव जनपद में 80 प्रतिशत का नुकसान हुआ था तो छूट क्यों नहीं दी गई ?

श्री अध्यक्ष–

तीन महीने के लिए मुलतबी का है ।

श्री मनोहर लाल–

मुलतबी नहीं किया गया ।

श्री गौरी शंकर–

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी प्रकरण पर विभाग की ओर से यह नहीं कहा गया है कि तीन महीने के लिए वसूली स्थगित करने का अधिकार जिलाधिकारी को नहीं है। अगर किसी जनपद में 50 प्रतिशत से

अधिक नुकसान हो जाय तो जिलाधिकारी को नियमों में यह अधिकार दिया गया है कि वह वसूली को स्थगित कर सकते हैं, तीन महीने के लिए । छूट देने का प्रस्ताव बोर्ड आफ रेवेन्यू में आता है और उस पर शासन स्तर से निर्णय लिया जाता है । स्थगित करने का अधिकार जिलाधिकारी को है । माननीय सदस्य बताएं यदि कोई गांव 50 प्रतिशत से अधिक क्षति में घोषित किया गया हो और स्थगित न किया गया हो, लिखकर भेज दें, मैं दिखलवा लूंगा । इसमें कहीं भी कोई कन्ट्राडिक्शन की बात नहीं है, इस बात को मैं विशेष रूप से स्पष्ट करना चाहूंगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसका नम्बर दो देखें । इसमें लिखा है तहसील बाह को छोड़कर शेष 6 तहसीलों में भू-राजस्व में छूट दिए जाने का प्रस्ताव है । फिर जिलाधिकारी की अनुशंसा मंगाने की क्या आवश्यकता है ?

श्री गौरी शंकर–

माननीय सदस्य हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं और शासन में भी रह चुके हैं । जो भ्रांति हो रही है, वह साफ हो जानी चाहिए । जो उत्तर में कहा गया है, उसी में हमने बताया कि जो छूट देने का प्रस्ताव था उस पर अब शासन ने अपने स्तर से निर्णय ले लिया है । छूट दे दी गई है । मान्यवर, आगरा में टोटल 12 लाख 43 हजार 666 रुपए की भू-राजस्व में छूट दी गई है । और 1155/- रुपए हमारे लगान में छूट स्वीकृत हो गई है । अब इसमें और कोई जिज्ञासा नहीं रहनी चाहिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो मा0 वर्मा जी का सवाल है, एक जगह का है लेकिन यह समस्या पूरे प्रदेश की है, तो मैं मा0 मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जानना चाहता हूं कि जो भी शासन ने मानक बनाए हैं छूट दिए जाने के बारे में, जैसा इस प्रश्न के उत्तर में दिया गया है, क्या इस पर यह सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे कि पूरे प्रदेश में जो जिलाधिकारियों के प्रस्ताव आए हैं, उनके आधार पर छूट के आदेश निर्गत कर दिए जाएंगे, क्या शासन तत्काल ऐसे आदेश देगा ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, मा0 सदस्य की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए और पूरे सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसी तरह के मानक और जितने भी जनपदों से आए हैं और जिलाधिकारियों ने जहां-जहां जिन-जिन तहसीलों के लिए छूट के लिए प्रस्ताव भेजे होंगे और वह लम्बित होंगे तो उनको दिखवा लिया जायगा और जैसा इसमें निर्णय लिया गया है, उनमें भी निर्णय लिया जायेगा ।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया । अतः मैं विशेषाधिकार की सूचना देता हूं, आप को लिखकर भेज दूंगा ।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, मा0 सदस्य को भ्रान्ति हुई है तो आपस में बात कर लेंगे, सूचना की आवश्यकता नहीं है ।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मैंने सूचना दे दी है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मा0 अध्यक्ष जी, क्या मा0 मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आपकी इस छूट के आदेश जिलों पर कब तक पहुंच जायेंगे और दूसरी बात यह जानना चाहूंगा कि, पहली बात तो यह बता दूं कि आपने,

आगरा में 5 नहीं 6 तहसील हैं बाह को छोड़कर, आपने पांच की बात कही। तो इनमें अभी तक तकावी न बांटे जाने का क्या कारण है ? यदि यहां से तकावी भेज दी है तो यदि वहां पर परगनाधिकारी ने नहीं बांटी है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, शासन ने जो नियम बना रखा है कि जिन-जिन मानकों के आधार पर जो सुविधाएं दी जाती हैं उनमें छूट के बारे में मैंने निवेदन कर दिया है। तकावी विकास खण्डों के माध्यम से दी जाती है, अतः जहां-जहां नहीं गई है वह मा0 वर्मा जी सूचना दे दें कि कहां-कहां नहीं गई। जो विलम्ब होगा उसकी जानकारी की जायगी। वैसे मैंने कहा ही है कि विकास खण्डों के माध्यम से बीज, खाद व उर्वरक उपलब्ध कराया गया जिसमें लघु एवं सीमान्त कृषकों को 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया गया है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मैंने आपदा तकावी के बारे में पूछा है।

श्री अध्यक्ष–

मैं बुलाऊं तब आप पूछें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यदि कोई दैवी आपदा आती है तो सरकारी देयों की वसूली स्थगित कर दी जाती है, यह इनके नियमों में प्राविधान है। लेकिन वसूली स्थगित की जाती है तो ब्याज बढ़ जाता है, तो क्या ऐसे मामलों में जब तक वसूली को स्थगित रखेंगे, उस समय का जो ब्याज बढ़ेगा मूलधन पर, उसे मान्यवर, सरकार सरकारी खजाने से दिलवाने की कृपा करेगी ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, यह जो मा0 पाण्डेय जी ने बात रखी है, जो भू-राजस्व और जो संस्थागत वित्त के आधार पर बैंकों का जो लोन होता है उन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। दोनों को अलग-अलग समझने की आवश्यकता है। बैंकों से जो ऋण दिया जाता है उसकी शर्तें निर्धारित होती हैं। उन्हीं शर्तों और किश्तों में सारी की सारी बातें पहले से स्पष्ट हो जाती हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मैंने सरकारी खजाने से देने की बात कही है।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, उनमें यह होता है कि किसी वित्तीय संस्था के द्वारा जो ऋण दिया जाता है, उसकी 50 परसेन्ट वसूली नहीं हो जाती है तो उसमें जो भी एक किश्त का भी डिफाल्टर बनेगा, उनका पूरा का पूरा इन्ट्रेस्ट चूंकि विभाग वसूल करता है तो राजस्व विभाग को 10 परसेन्ट वसूली करने का मिलता है। ऐसी स्थिति में पाण्डेय जी अपने महत्वपूर्ण सुझाव को लिखकर भेज दें तो उस पर शासन सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लेगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन काश्तकारों की हानि हुई है, उनकी क्षतिपूर्ति करेंगे ? दूसरे, जहां आपदा तकावी नहीं बंटी है, तहसील में, जिन्होंने इसमें विलम्ब किया, ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ आप कोई कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, यदि कहीं कोई अधिकारी कर्मचारी उस विलम्ब के लिए दोषी पाया जायेगा, तो शासन उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगा और उन्हें दण्डित करेगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय वर्मा जी ने बताया कि 5 तहसील में नहीं बंटा है, जब यह संज्ञान में आ गया कि देरी हुई है तो ऐसे दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ समुचित कार्यवाही करने का आश्वासन देंगे ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, इस कार्य के लिए शासन जो अपेक्षा करता है अपने अधिकारियों/कर्मचारियों से, यदि कर्तव्य के पालन में किसी अधिकारी या कर्मचारी ने जरा भी शिथिलता बरती है, तो इसे निश्चित रूप से देख लिया जायेगा और ऐसे दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित किया जायेगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर प्रस्तुत किया है उसमें ही इस बात को स्वीकार किया है कि 6 तहसील में से एक में बंटा है, 5 में नहीं बंटा है । दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने में इनको क्या कठिनाई है?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, इसको बांटने में कहां विलम्ब हुआ है ? अभी तक 5 में नहीं बंटा है, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं । मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं कि इसको देख लिया जायेगा और जो भी इसमें अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये जायेंगे, उनको दण्डित किया जायेगा ।

बाल विकास परियोजनाओं हेतु खाद्यान्न की आपूर्ति हेतु मांगे गये टेण्डर

*9–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–
(अनुपस्थित)

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि बाल विकास परियोजनाओं के लिये लगभग 1 करोड़ रुपये के खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए दिनांक 14 अक्तूबर, 85 को टेण्डर आमंत्रित किये गये थे तथा इसकी विधिवत घोषणा लखनऊ के एक समाचार पत्र में की गई थी ? क्या यह सही है कि उस दिन टेण्डर नहीं लिये गये? यदि हां, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां, लखनऊ जनपद की 9 समेकित बाल विकास परियोजनाओं के लिये पुष्टाहार क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये गये थे जिसे दिनांक 14 अक्टूबर, 85 को खोलना था परन्तु बाढ़ राहत कार्य में अधिकारियों/कर्मचारियों के लगे रहने के कारण टेण्डर की तिथि स्थगित कर दी गयी थी।

तहसील नौगढ़, जनपद बस्ती के ग्रामों को विभाजित करने का प्रस्ताव

*10–श्री धनराज यादव (अनुपस्थित)–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील के बर्डपुर नं0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एवं नं0 14 गांवों को जिनमें बीस-बीस, बाइस-बाइस आबाद गांव हैं, को विभाजित कर सुविधाजनक छोटे-छोटे गांव बनाने का प्रस्ताव जो जिला परिषद्, बस्ती से पारित हुआ है, राजस्व परिषद् के विचाराधीन है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां । प्रस्ताव पर मत स्थिर करने के लिये कतिपय बिन्दुओं पर राजस्व परिषद् तथा जिला प्रशासन के बीच पत्र-व्यवहार चल रहा है।

सूखे से सम्बन्धित नियमों में परिवर्तन की मांग

*11—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार सूखे से सम्बन्धित नियमों में जनहित की दृष्टि से कुछ परिवर्तन करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री गौरी शंकर—

जी नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए जब राजस्व पर चर्चा हुई थी उसमें भी बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया था कि सूखे में राहत देने के जो नियम या मानक बने हैं उससे वास्तव में गरीब और निर्बल वर्ग के लोगों तक सहायता नहीं पहुंच रही है । आपने अब उत्तर दिया है कि जी नहीं । मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए सूखा राहत के जो नियम बने हुए हैं, उसमें गरीब लोगों को सहायता नहीं मिल पाती है । मैं एक उदाहरण देता हूं आप कहते हैं कि केन्द्र सरकार ने नियम बनाये हैं । सहायता उन्हीं को मिलेगी जिनकी आमदनी 200 रु0 माह से कम है या 50 फीसदी नुकसान हुआ हो और उसको आप पट्टी के आधार पर करते हैं । तो क्या शासन कोई योजना बनायेगा कि इन नियमों में फिर से पुनर्विचार कर लिया जाय ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए शासन ने पहले से मानक निर्धारित किए हैं इस सम्बन्ध में पहले से ही शासनादेश जारी है दिनांक 26 अप्रैल, 1985 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है । उसमें यही है कि पीने के पानी की व्यवस्था टैंकर से करना, पशुओं के लिए चारा भूसा आदि की व्यवस्था पशुपालन विभाग द्वारा करना, इसी तरह से स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कार्यवाही स्वास्थ्य विभाग द्वारा करना तो इस प्रकार अलग-अलग विभागों को उत्तरदायित्व दिया गया है । सूखे की स्थिति से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर राहत कार्य करें इसके लिए आदेश है । यह लम्बा जी0 ओ0 है जो माननीय सदस्यों के संज्ञान में है कि हम युद्ध स्तर पर सूखे की स्थिति से निपटने के लिए करते हैं । ऐसी स्थिति में वर्तमान में यह मामला विचाराधीन नहीं है। इसीलिए मैंने मूल उत्तर में "जी नहीं" कहा है । शासनादेश को पूरी तरह से लागू कर दिया जाय इस बात की संस्तुति की जा रही है ।

*12—श्री किशन सिंह दिलेर—

[33वें मंगलवार में तारां प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अधिशासी अभियन्ता श्री सुरेश पाल के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*13—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लगभग चार वर्ष पूर्व अधिशासी अभि-

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या 11 श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की रुचि पर लिया गया ।

यन्ता श्री सुरेशपाल के कार्यकाल में विद्युत वितरण खण्ड अकबरपुर, जिला फैजाबाद का स्पेशल आडिट किया गया था और भारी मात्रा में गड़बड़ियां पायी गयीं? यदि हां तो चार वर्ष व्यतीत होने के बाद भी अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है? क्या सरकार कार्यवाही न करने वाले उच्चाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां। तत्पश्चात् यह मामला राज्य विद्युत परिषद् द्वारा विस्तृत जांच हेतु परिषद् की सतर्कता शाखा को सौंप दिया गया। सतर्कता शाखा की जांच रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् उस पर विचारोपरान्त ही किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करना सम्भव हो सकेगा।

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उस प्राप्त आडिट रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गयी? दूसरे, कार्यवाही में विलम्ब के लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे तथा स्पेशल आडिट रिपोर्ट, जिस पर जांच कार्य चल रहा है, उसके मूल बिन्दु क्या हैं? क्या इस जांच को शीघ्र पूरा करा लेंगे?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, उस आडिट रिपोर्ट के पश्चात इस अधिकारी का वहां से स्थानान्तरण कर दिया गया था। चूंकि आडिट रिपोर्ट में गंभीर आरोप दिये गये थे, जिसके आधार पर राज्य विद्युत परिषद् की जो सतर्कता शाखा है, उसे इसकी विस्तृत जांच करने के लिये कहा गया था। मान्यवर, माननीय सदस्य ने जैसा कि कहा इसमें विलम्ब काफी हो गया है, इससे मैं पूर्ण रूप से माननीय सदस्य के साथ सहमत हूं। यह निर्देश राज्य विद्युत परिषद् को दिये जा रहे हैं कि इस जांच कार्य को 3 महीने में पूर्ण कर लिया जाय और उसके बाद जो भी आरोप उसमें सिद्ध हों, उसके अनुसार सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो स्पेशल आडिट हुआ, उसमें मुख्य-मुख्य आरोपित बिन्दु क्या थे, जिसके चलते यह जांच हो रही है?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य से पूर्ण रूप से सहमत हूं। आरोप गम्भीर हैं। इसी आधार पर इस मामले को सतर्कता विभाग को दिया गया। मैं यह भी मान रहा हूं कि इसमें काफी विलम्ब हुआ है, इसीलिए मैंने परिषद् को निर्देश दिये हैं कि वह तीन महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें। रिपोर्ट आने के बाद दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी और जो विलम्ब हुआ है उस पर भी जांच हो रही है। इसमें भी, जो भी दोषी पाया जायेगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि विलम्ब हुआ है और उन्होंने राज्य विद्युत परिषद् को तीन महीने के अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये भी कहा है लेकिन इस के पहले माननीय मंत्री जी ने बताया कि मामला विजिलेंस के विचाराधीन है, जबकि विजिलेंस इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। आदेश तो इन्होंने विद्युत

परिषद् को दिये होंगे। माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि आरोप गम्भीर थे, इस पर विभागीय जांच भी हुई होगी, जब प्राग्दर्शन में ही यह दोषी पाये गये तो फिर विजिलेंस को यह मामला संदर्भित क्यों किया गया और अभी तक विभाग ने इन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, जो यह सतर्कता विभाग है यह विद्युत परिषद् का ही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा कहना था कि इसमें विभागीय जांच हुई है और जांचोपरान्त आरोप सिद्ध हुए इसके बावजूद भी विभाग का कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि आडिट रिपोर्ट के पश्चात् ही यह आरोप मालूम पड़ पाया तभी यह मामला सतर्कता विभाग को जांच के लिये दिया गया। यह सही है कि इसमें काफी विलम्ब हो गया है। इसलिये विद्युत परिषद् को तीन महीने के अन्दर अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है और यह भी कहा गया है कि यदि हो सके तो, परिषद् खुद निर्णय ले ले यदि किन्हीं कारणोंवश सम्भव न हो तो वह शासन को भेज दे।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकरण पर जांच हो रही है उसमें मुख्य-मुख्य कितने रुपयों की आडिट आपत्तियां हैं? विभागीय जांच में कितने लोग दोषी पाये गये और सतर्कता विभाग की जांच में कितने लोग दोषी पाये गये?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, जहां तक आडिट रिपोर्ट की सूचना का सम्बन्ध है और जो माननीय सदस्य ने चाही है, वह बहुत बड़ी रिपोर्ट है। यदि माननीय सदस्य इसकी पूर्ण जानकारी करना चाहें तो इससे मैं उनको अवगत करा दूंगा। जहां तक सतर्कता विभाग की जांच का सवाल है अभी इस प्रकरण पर पूरी जांच नहीं हो पायी है।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, इनका विभाग बहुत लम्बा चौड़ा है, करीब इसमें 900 करोड़ रुपए का घाटा है।

श्री अध्यक्ष–

आप भी काफी लम्बे चौड़े हैं।

कतिपय तहसीलों में पुनः चकबन्दी का प्रस्ताव

*14–श्रीमती शारदा देवी (अनुपस्थित)–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 60 व 61 में जिन तहसील में चकबन्दी का कार्य किया गया है उन तहसीलों में पुनः चकबंदी कराने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो विलम्ब का कारण क्या है और कार्य कब से प्रारम्भ होगा?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां। वर्ष 1959 तक ली गई तहसीलों में चकबन्दी प्रक्रिया कार्यान्वित कराई जा रही है। इसी क्रम में वर्ष 1960–61 की ली गयी तहसीलों में चकबन्दी प्रक्रिया कार्यान्वित कराई जायगी।

शाहगंज, जनपद जौनपुर में बाल विकास परियोजना केन्द्र खोले जाने की मांग

*15–श्री दीप चन्द्र सोनकर (अनुपस्थित)–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल में शासन द्वारा

कई बाल विकास परियोजनायें चल रही हैं जबकि पूर्वांचल के सबसे पिछड़े जनपद जौनपुर के अन्तर्गत कोई भी परियोजना नहीं चल रही है ? यदि हां, तो क्या शासन शाहगंज (सुरक्षित) क्षेत्र में बाल विकास परियोजना केन्द्र खोलेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

समन्वित बाल विकास परियोजना केन्द्र भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है अतः भारत सरकार के अनुमोदनोपरान्त ही सम्बन्धित विकास खण्डों में बाल विकास परियोजनायें प्रारम्भ की जाती हैं । वर्ष 1985–86 में जनपद जौनपुर के तीन विकास खण्डों में बाल विकास परियोजना खोले जाने हेतु शासन द्वारा प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था जिसमें शाहगंज भी सम्मिलित था। भारत सरकार द्वारा जिन विकास खण्डों में वर्ष 1985-86 में बाल विकास परियोजनायें प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है, उसमें शाहगंज सम्मिलित नहीं है । अतः शाहगंज में बाल विकास परियोजना प्रारम्भ करना संभव नहीं हुआ ।

उपगांव नाला गाढ़ा, ग्राम बमरौली कटारा जनपद आगरा में ग्राम समाज की आबादी भूमि पर अवैध कब्जा

*16–श्री विजय सिंह राणा (अनुपस्थित)–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के गांव बमरौली कटारा के उप गांव नाला गाढ़ा में ग्राम समाज की आबादी की 3 बीघा जमीन पर हरिजन लोगों को आवंटित किये गये पट्टों को प्रशासन से स्वीकृति अभी नहीं मिल सकी है तथा क्या यह सही है कि उक्त जमीन को वर्तमान ग्राम प्रधान के भतीजों ने अवैध रूप से कृषि कार्य में प्रयोग किया है? यही कारण है कि पूर्व प्रधान द्वारा हरिजनों को दिये गये पट्टे की स्वीकृति नहीं की गई ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा इस गम्भीर अनियमितता के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

प्रश्नगत ग्राम के भूखण्ड संख्या-305/2 बीघा 19 विस्वा में उपलब्ध रिक्त भूमि का आवंटन हरिजन आबादी के विस्तार हेतु नहीं किया गया है । अतः स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्नगत भूखण्ड के 17 विस्वा क्षेत्रफल पर श्री राजबीर सिंह व श्री उदय वीर सिंह ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था किन्तु वे वर्तमान प्रधान के खास भतीजे नहीं हैं तथा उन्हें बेदखल भी कर दिया गया है। ग्राम प्रधान को आरोप पत्र दे दिया गया है और परगनाधिकारी द्वारा जांच की जा रही है।

जनपद बलिया को बिजली की आपूर्ति

*17–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय (अनुपस्थित)–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के समीपवर्ती जनपदों में बिजली के रहने पर भी बलिया जनपद को बिजली उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण है? क्या इसमें कोई टेक्निकल या स्थानीय कमी है ? यदि हां, तो सरकार इसे दूर करने का क्या प्रयास कर रही है ?

श्री सुनील शास्त्री–

जनपद बलिया के समीपवर्ती जनपदों में विद्युत रहने पर भी कभी-कभी जनपद बलिया को विद्युत उपलब्ध न होने के कारण निम्न है:–

प्रदेश के सभी जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों को एक साथ विद्युत आपूर्ति कर पाना वर्तमान विद्युत उपलब्धता में सम्भव

नहीं है अतः इनको आठ समूहों में विभक्त किया गया है। अलग-अलग समूहों को अलग-अलग समय में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है। इस प्रकार यह जरूरी नहीं है कि जब बलिया जनपद में विद्युत न हो तो उसके समीपवर्ती जनपदों में भी न हो।

इसके अतिरिक्त विद्युत परिषद् की नीति के अनुसार प्रदेश में स्थित नगरों को भी विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। यह प्रथम श्रेणी, जिला मुख्यालय, विशेष श्रेणी तथा महानगर है। नगरों की निर्धारित विद्युत आपूर्ति एवं आपातकालीन कटौती उनकी श्रेणी के अनुसार ही की जाती है। अतः यह संभव है कि जब बलिया जनपद के प्रथम श्रेणी के नगरों में आपातकालीन कटौती प्रभावी हो उस समय अन्य समीपवर्ती नगरों के जनपद मुख्यालय अथवा अन्य उच्च श्रेणी के नगरों में विद्युत उपलब्ध हो।

उक्त व्यवस्था विद्युत वितरण को सुचारु रूप से करने एवं प्रणाली को पूर्ण क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए आवश्यक है।

ग्राम-गुमानी गंज, पोस्ट रसूलपुर विकास क्षेत्र बाजार शुकुल जनपद सुल्तानपुर का विद्युतीकरण

*18—श्री मैनेजर सिंह (अनुपस्थित)—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-गुमानीगंज, पोस्ट रसूलपुर, विकास क्षेत्र बाजार शुकुल, जनपद सुल्तानपुर की हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण के सम्बन्ध में उपरोक्त ग्राम के निवासियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र दिनांक 13-9-1985 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्य क्या हैं तथा सरकार ने हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण करने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां।

पत्र दिनांक 13-9-85 ग्राम-गुमानीगंज की हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण से सम्बन्धित है। उक्त पत्र के आधार पर सम्बन्धित हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण हेतु सर्वेक्षण कराया गया है।

तहसील बांसी जनपद बस्ती में भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव द्वारा आवंटित भूमि का फर्जी पट्टा

*19—श्री शारदा प्रताप (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बंशराज, घनश्याम, राम नारायन व रामदास पुत्र श्री सुखई ग्राम मनेतापुर, तहसील-बांसी, जनपद बस्ती के नाम दिनांक 23-4-68 को भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव द्वारा तत्कालीन भूमि सं0—691/1, 692/2 आवंटित की गयी थी लेकिन इसी नम्बर को किसी अन्य के नाम फर्जी तरीके से बिना प्रस्ताव के पट्टा सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा कर दिया गया है? यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों के ऊपर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

चकबन्दी क्रियाओं के पूर्व, प्रश्न में निहित गाटा संख्या—691/1 (नया नम्बर-347) तथा 692/2 (नया नम्बर 350) के आवंटन के सम्बन्ध में भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा 23-4-68 को कोई प्रस्ताव सर्वश्री बंशराज, घनश्याम, राम नारायण व रामदास पुत्रगण श्री सुखई

निवासी-ग्राम मनेतापुर के पक्ष में पारित नहीं किया गया था और न ही संबंधित कर्मचारियों द्वारा किसी अन्य के नाम फर्जी तरीके से समिति के प्रस्ताव पर पट्टा ही किया गया। किन्तु, ग्राम लेखपाल के पास उपलब्ध जिल्द आकार पत्र-45 के खाता संख्या-316 पर सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा मुकदमें में पारित आदेश दिनांक 21 जनवरी, 76 के हवाले से अमल दरामद उपलब्ध है, जिसमें उक्त गाटे से ग्राम समाज की भूमि खारिज करके श्रीमती शोभा देवी पत्नी श्री चन्द्रभाल तिवारी निवासी ग्राम मनेतापुर के नाम वर्ग-2 में अंकित किये जाने सम्बन्धी इन्द्राज उपलब्ध है। जबकि जनपद मुख्यालय पर स्थित राजस्व अभिलेखागार में उपलब्ध प्रश्नगत ग्राम के जिल्द बंदोबस्त में उक्त अमल दरामद उपलब्ध न होने के कारण, प्रश्नगत इन्द्राज संदिग्ध प्रतीत होता है, जिसकी दुरुस्ती एवं दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

लेखा वर्ग कर्मचारी एसोसियेशन का नीति सम्बन्धी ज्ञापन

*20—श्री मुहम्मद आजम खां (अनुपस्थित)—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि लेखा वर्ग कर्मचारी एसोसिएशन की ओर से नीति सम्बन्धी ज्ञापन क्रमशः 25-4-85 तथा 28-5-85 सहायक लेखाकार तथा लेखाकार के पदों के सिलसिले में मिले हैं? यदि हां, तो वह क्या हैं तथा क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)—

जी हां।

उक्त ज्ञापनों में मुख्य मांगें यह हैं कि शासनादेश सं0-वे0 आ0-1-1802/दस-34(एम)-83, दिनांक 11-8-83 में लेखाकार के पदों पर सीधी भर्ती हेतु डी0 टी0 परीक्षा के साथ निर्धारित एम0 काम0 परीक्षा को असमान मानते हुए हटा दिया जाय तथा सहकारिता विभाग के लेखा वर्ग की सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन करके लेखाकार के पदों पर सहायक लेखाकारों से शत-प्रतिशत पदोन्नति की जाय।

उक्त मांगें द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुतियों की दृष्टि से तथा प्रशासनिक दक्षता के हित में शासन द्वारा स्वीकार योग्य नहीं मानी गयीं।

अतारांकित प्रश्न

1—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

[8वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

विकास खण्ड बेलहरी जनपद बलिया में पुष्टाहार योजना में अनियमितता की शिकायत की जांच

2—श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जनपद के विकास खंड बेलहरी में पुष्टाहार योजना में गबन, धांधली एवं धन के दुरुपयोग की शिकायत दवाबा एवं बलिया क्षेत्र के विधायकगण ने नवम्बर, 85 में की है? यदि हां, तो जांच में क्या कार्यवाही हुयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

बलिया जिले के विकास खण्ड बेलहरी में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा कोई पुष्टाहार योजना नहीं चलाई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

सुपरवाइजर, सहकारी बीज भण्डार, झींझक, जनपद कानपुर देहात के विरुद्ध शिकायतों की जांच

3—कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री राकेश धर त्रिपाठी—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि दिसम्बर, 1985 के प्रथम सप्ताह में शासन को सुपरवाइजर, सहकारी बीज भंडार, झींझक जिला कानपुर देहात के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में एक मांग पत्र मिला ? यदि हां, तो मांग पत्र में अंकित शिकायत और मांगें क्या हैं तथा मांग पत्र पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां।

उसमें सहकारी बीज भंडार, झींझक जनपद कानपुर देहात के सुपरवाइजर पर रु0 4000/- का घोटाला करने की शिकायत की गयी थी तथा उसके विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की गयी थी। शिकायत की जांच कराई गयी। जांच में शिकायत सत्य नहीं पाई गयी। अतः सम्बन्धित सुपरवाइजर के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

जनपद पिथौरागढ़ की हरिजन पाठशालाओं में शिक्षक एवं विद्यार्थियों की संख्या तथा धन का आवन्टन

4—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में सीमान्त सेवा संस्थान धारचूला तथा सीमान्त अनुसूचित एवं जनजाति सेवा संस्थान पिथौरागढ़ द्वारा किन-किन स्थानों पर हरिजन पाठशालायें चलाई जा रही हैं ? इन विद्यालयों में क्रमशः कुल कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं व कितने अध्यापक कार्यरत हैं? मार्च, 1984 से इनके वेतन भुगतान के लिये जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी ने निदेशालय हरिजन एवं समाज कल्याण को कोई आख्या भेजी है? यदि हां, तो अध्यापकों के वेतन भुगतान हेतु क्या-क्या कदम उठाये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सीमान्त सेवा संस्थान धारचूला द्वारा खोतिला, नियांग, सांगलतड़ तथा बन्दर खेत में चार हरिजन पाठशालायें चलाई जा रही हैं । सीमान्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति सेवा संस्थान पिथौरागढ़ द्वारा चौकी, गोठानी, दुपरौली, बसौड़ा, विजयसार, खीरा, लीमा तथा चामी में कुल आठ हरिजन प्राइमरी पाठशालायें चलाई जा रही हैं ।

सीमान्त सेवा संस्थान धारचूला द्वारा संचालित चार पाठशालाओं में 185 छात्र पढ़ते हैं तथा चार अध्यापक कार्यरत हैं। सीमान्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति सेवा संस्थान पिथौरागढ़ द्वारा संचालित आठ हरिजन पाठशालाओं में 391 छात्र पढ़ते हैं तथा 14 अध्यापक कार्यरत हैं।

जी हां।

आवर्तक अनुदान की सूची के अन्तर्गत 3 हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं (खीरा, लीमा व चामी) के अध्यापकों का वेतन 28-2-85 तक पुराने वेतनमान से तथा वर्ष 85-86 में पूरे वर्ष का वेतन नये वेतनमान से भुगतान कर दिया गया है। दिनांक 1-7-79 से 28-2-85 तक के एरियर का भी भुगतान नये वेतनमान से इसी माह के अन्त तक करने हेतु धनावंटन कर दिया गया।

शेष 9 हरिजन प्राइमरी पाठशालाएं अनावर्तक अनुदान की सूची में हैं । अतएव उनको बजट के अभाव में वर्ष 1984-85

तथा वर्ष 1985-86 में प्रदेश के अन्य अनावर्तक विद्यालयों की भांति कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल में हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय द्वारा चलायी जा रही प्राथमिक पाठशालायें

5—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या हरिजन व समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय हरिजन एवं समाज कल्याण उ0 प्र0 की ओर से जनपद नैनीताल में कुल कितनी प्राथमिक पाठशालायें दि0 1-1-86 को चलायी जा रही थीं ? इनमें कुल कितने अध्यापक कार्यरत थे? क्या यह सही है कि निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण उ0प्र0 ने अपने पत्रांक 1576/7-84/5 शिक्षा, लखनऊ दि0 29-3-85 के द्वारा नैनीताल जनपद को बीस हजार रुपये इन कथित पाठशालओं के अध्यापकों को नये वेतनमान दिये जाने हेतु आवंटित किये जबकि वहां ऐसा कोई विद्यालय नहीं है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद नैनीताल में दिनांक 1-1-86 को कोई पाठशाला हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा नहीं चलाई जा रही थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां, निदेशालय हरिजन एवं समाज कल्याण के पत्र दिनांक 29-3-85 द्वारा नहीं बल्कि दिनांक 15-5-85 द्वारा रु0 20,000/- चूकवश आवंटित हो गया था जिसको स्थानान्तरित करने के आदेश दे दिए गए हैं ।

जनपद पिथौरागढ़ में हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय द्वारा चलायी जा रही हरिजन पाठशालाएं

6—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में निदेशालय हरिजन एवं समाज कल्याण की ओर से कितनी हरिजन प्राइमरी पाठशालायें चलायी जा रही हैं ? इन पाठशालाओं के अध्यापकों को नये वेतनमान दिये जाने हेतु दि0 1-1-86 तक इस मद में कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी? यदि नहीं, तो कब तक इन अध्यापकों को निदेशालय द्वारा स्वीकृत नये वेतनमान दे दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद पिथौरागढ़ में निदेशालय, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग की ओर से कोई भी हरिजन प्राइमरी पाठशाला नहीं चलाई जा रही है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

विकास खण्ड कोथावां, भरावन, जनपद हरदोई में हरिजनों को दुकानों/भवनों का आवन्टन

7—श्री राम पाल वर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड कोथावां, भरावन में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना द्वारा दुकानों/भवनों का निर्माण किया गया ? यदि हां, तो दुकानों/भवनों का वर्तमान में किन-किन हरिजन व्यक्तियों के नाम आवंटन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

सूची संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 125-126 पर)

उ0 प्र0 राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक में आरक्षण का कोटा

8—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक में शाखा प्रबन्धक, फील्ड आफिसर और उससे ऊपर के अधिकारियों में कितने प्रतिशत हरिजन और कितने प्रतिशत पिछड़ी जाति तथा कितने प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के अधिकारी कार्यरत हैं ? क्या आरक्षण कोटा पूर्ण है? यदि नहीं, तो उसे पूरा करने के लिए सरकार निर्देश जारी करेगी ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

उ0 प्र0 राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक में शाखा प्रबंधक संवर्ग में 1.4 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 7.2 प्रतिशत पिछड़ी जाति के तथा फील्ड आफिसर संवर्ग में 13.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 12.6 प्रतिशत पिछड़ी जाति के अधिकारी हैं । उससे ऊपर के अधिकारियों में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति दोनों वर्गों के पदधारियों का प्रतिशत 19.9 है । उक्त पदों में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है, क्योंकि उ0प्र0 सहकारी समिति कर्मचारी सेवा विनियमावली, 1975 के प्रभावी होने पर ही आरक्षण सम्बन्धी प्राविधान लागू हुआ है । उससे पूर्व भूमि विकास बैंक की सेवाओं में आरक्षण का प्राविधान नहीं था । उ0 प्र0 सहकारी समिति कर्मचारी विनियमावली, 1975 के विनियम 4 में आरक्षण का स्पष्ट प्राविधान है और आगामी भर्तियों में उ0 प्र0 सहकारी संस्थागत सेवा-मण्डल द्वारा इसके अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है ।

9—श्री शारदा नन्द अंचल—

[6ठे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 156 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फाजिलनगर, जनपद देवरिया में हरिजन आबादी के ग्रामों का विद्युतीकरण

10—श्रीमती शशि शर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के फाजिलनगर विधान सभा क्षेत्र में हरिजन आबादी के कितने गांवों में बिजली देना स्वीकृत है तथा अब तक कितने ग्रामों में बिजली दी जा चुकी है तथा शेष को कब तक बिजली मिल जायेगी?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद देवरिया के कुबेर स्थान पर विद्युत सब स्टेशन बनाने का प्रस्ताव

11—श्रीमती शशि शर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के कुबेर स्थान पर सब स्टेशन बनाने का प्रस्ताव शासन द्वारा वर्ष 84-85 में किया गया था ? यदि हां, तो कब तक पूर्ण होने का लक्ष्य रखा गया है?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

12—श्री अवधेश प्रसाद—

[दिनांक 13.3.86 को अ0सू0 ता0 प्र0 सं0 2 द्वारा उत्तरित]

ग्राम पिपराकनक, तहसील पड़रौना जनपद देवरिया की चकबन्दी

13—श्रीमती शशि शर्मा—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद के तहसील पड़रौना के कनकपिपरा ग्राम की चकबन्दी गलत की गयी थी? यदि हां, तो अब पुनः कब तक पूर्ण होने की आशा है ? पूर्व चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं । ग्राम पिपराकनक (कनक पिपरा नहीं) में चकबन्दी प्रक्रिया चल रही

है तथा 1989-90 तक समाप्त होने की आशा है ।

पूर्व चकबन्दी अधिकारी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है अत: किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं है ।

तहसील पड़रौना जनपद देवरिया में चकबन्दी की कार्यवाही

14—श्रीमती शशि शर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के पड़रौना तहसील में कितने ग्रामों की चकबन्दी हो चुकी है तथा कितने शेष हैं तथा उनकी चकबन्दी कब पूर्ण हो जाएगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

722 ग्रामों की चकबन्दी हो चुकी है। 172 ग्रामों में चकबन्दी कार्य शेष है तथा वर्ष 1989-90 तक समाप्त होने की आशा है ।

मेरठ जनपद में बोरों की बिक्री

15—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जनपद में बीज व उर्वरक वितरण के समय रबी 1985 में सहकारी बीज गोदामों पर किसानों से खाली बोरी का दाम बारह रुपये या इससे अधिक भी वसूला गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ? क्या यह कार्यवाही शासन के निर्देशों के विरुद्ध थी ? यदि हां, तो विक्रेता सुपरवाइजरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां । निबन्धक, सहकारी समितियां उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक—सी 12/बीज/लेखा दिनांक 1-11-80 में दिये गये निर्देशों के अनुसार खाली बोरों का मूल्य रु0 13.17 प्रति बोरा निर्धारित किया गया था । बोरों की बिक्री निबन्धक के उक्त निर्देशों के अनुरूप ही की गई है। अत: बिक्रेता कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

16—श्री किरन पाल सिंह—

[दि0 7.2.86 को अता0 प्र0 सं0 86 द्वारा उत्तरित]

पुरवा मोतफपुर ग्राम सभा सुरेरी जनपद जौनपुर में ग्राम समाज की भूमि का पट्टा

17—श्री राज किशोर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर की ग्राम सभा सुरेरी में पुरवा मोतफपुर (मोतफ) में स्थित ग्राम समाज की भूमिखण्ड संख्या 33 अथवा उसका कोई भाग उसी पुरवे के निवासी श्री बुद्धू कुर्मी के हक में सन् 1976 में तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बलिराम पटेल ने पट्टा किया था? यदि हां, तो इसी भूमि का पुन: आवंटन श्री रघुनाथ हरिजन अथवा उसकी मां श्रीमती दुलरा को सन् 1984 में क्यों और कैसे किया गया? क्या यह सही है कि उक्त आवण्टन व श्री पोतन सिंह ग्राम प्रधान द्वारा किये गये अन्य तमाम आवण्टनों के विरुद्ध ग्रामवासियों द्वारा आपत्तियां की गयी थीं और गांव सभा ने अविश्वास प्रस्ताव द्वारा श्री पोतन सिंह को प्रधान के पद से हटा दिया है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

श्री बुद्धू कुर्मी तथा कुछ अन्य पट्टेदारों के विरुद्ध अनियमितता के कारण अतिरिक्त जिलाधिकारी के न्यायालय में जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-198 (4) के अन्तर्गत दायर' वाद संख्या—1047 में अतिरिक्त जिलाधिकारी के निर्णय

दिनांक 27-9-79 में श्री बुद्धू कुर्मी के हक में किया गया पट्टा निरस्त कर दिया गया तथा भूमि संख्या-23 जिसकी नयी संख्या–33 है, ग्राम समाज में निहित कर दी गई। इसी भूखण्ड संख्या-33 का पट्टा रघुनाथ पुत्र पांचू के हक में वर्ष 1984 में श्री पातन सिंह प्रधान द्वारा किया गया।

जी हां।

तहसील मलिहाबाद जनपद लखनऊ के कतिपय ग्रामों में दैवी आपदा से प्रभावित किसानों को गृह अनुदान

18—श्री भगौती सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखनऊ तह0 मलिहाबाद के गांव परसहिया, गुलालपुर, हनुमन्तपुर, शाहपुर नजूल, कूम्हरावां, महिगवां, भवानीपुर, शिवरी, अर्जुनपुर, मन्डौली, चांदपुर कल्यानपुर, डेरवा आदि गांव और उनके मजरे तथा टाउन एरिया इटौंजा और महोना जो विगत बरसात में जल भराव, बाढ़ और अतिवृष्टि से बुरी तरह से प्रभावित हुये हैं और वहां के लोग बेघर हो गये हैं, उनकी स्थिति को देखते हुये क्या मुख्य मंत्री अपने विवेकाधीन कोष से विशेष सहायता देकर उनके मकान बनवाने में सहायता देने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्नगत प्रयोजन के लिए मुख्य मंत्री के विवेकाधीन कोष से लखनऊ जनपद में वर्ष 1985 में कोई सहायता स्वीकृत नहीं की गई है क्योंकि सामान्यतया जल भराव, बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता मुख्य मंत्री जी के विवेकाधीन कोष से स्वीकृत नहीं की जाती है।

प्रश्नगत क्षेत्र में बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण पूर्णरूप से व आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए क्रमशः 400 रुपए तथा रु0 200 प्रति मकान की दर से पात्र व्यक्तियों को दैवीय आपदा बजट से गृह अनुदान वितरित कर दिया गया है।

गांव सभा सहियापुर तहसील उतरौला जनपद गोण्डा के ग्राम प्रधान के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

19—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा सहियापुर तहसील, उतरौला जनपद गोण्डा के ग्राम प्रधान श्री दक्षिणा के विरुद्ध माननीय सांसद श्री कुंवर आनंद सिंह तथा दीप नारायण बन ने तहसीलदार व परगनाधिकारी उतरौला को इस आशय का शिकायती-पत्र जून, 1985 से नवम्बर, 1985 के बीच दिया है, कि ग्राम प्रधान ने हरिजन आबादी पर मकान बनाकर गांव सभा की भूमि पर कब्जा कर लिया है? यदि हां, तो उस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

माननीय सांसद श्री दीप नरायन बन का कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। माननीय सांसद श्री कुंवर आनन्द सिंह का पत्र दिनांक 7-9-1985 को प्राप्त हुआ था जिसके आधार पर स्थलीय जांच की गई। इसमें भूखण्ड संख्या-160, जो नवीन परती सुरक्षित हरिजन आबादी है, में ग्राम प्रधान श्री दक्षिणा प्रसाद की एक अदद चरनी 45"×10 पाई गई जो वास्तव में ग्राम प्रधान द्वारा अथवा उसके परिवार द्वारा किसी सोद्देश्य नहीं थी अपितु चकबंदी में बने हुये त्रुटिपूर्ण मानचित्र के कारण थी। फिर भी इस निर्माण को प्रधान ने

स्थल पर से स्वेच्छा से हटा लिया है। अन्य किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

ग्राम सभा व तहसील उतरौला, जनपद गोण्डा में ग्राम सभा की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा

20—श्री कनक सिंह तथा श्री विजय सिंह राणा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा, तहसील उतरौला के ग्राम सभा उतरौला में गाटा संख्या 366 पर कौन लोग अनाधिकृत रूप से कब्जा करके मकान बना रहे हैं? यदि हां, तो उनके नाम व पते क्या हैं तथा शासन द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

गाटा संख्या 366 गांव सभा की भूमि परती पड़ी हुई है। इस पर कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से कब्जा करके मकान नहीं बना रहा है। शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

नलकूपों पर कैपेसिटर लगाये जाने का प्रस्ताव

21—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि किसानों के नलकूपों पर कैपेसिटर लगाना अनिवार्य कर दिया है? यदि हां, तो इसके क्या लाभ हैं? क्या इसे ऐच्छिक बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां।

कैपेसिटर लगाने का प्राविधान किसानों एवं परिषद् दोनों का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया था। किसानों को यह लाभ था कि सप्लाई वोल्टेज अच्छी मिलती है जिससे पम्प सेट की कार्यक्षमता बढ़ती है। साथ ही परिषद् का यह लाभ है कि लाइन लास (तन्तु हानि) कम होती है और विद्युत की बचत से अन्य उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाती है।

उपरोक्त प्राविधानों के विरुद्ध वर्तमान तथा भावी निजी नलकूप उपभोक्ताओं ने अपनी कुछ व्यवहारिक परिस्थितियों को परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें कैपेसिटरों का न मिलना तथा नलकूपों का दूर दराज के देहाती क्षेत्रों में स्थित होने की दशा में सही तथा स्वस्थ दशा में न रख पाना शामिल है।

किसानों द्वारा कैपेसिटर के बारे में उठाई गयी समस्यायें परिषद् के विचाराधीन हैं।

श्री उर्वादत्त जोशी, जिला हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यालय, जनपद लखनऊ के वेतन का भुगतान

22—श्री सरदार सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री उर्वादत्त जोशी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, जनपद लखनऊ द्वारा दिनांक 9-8-85 से 11-9-85 तक का वेतन भुगतान नहीं किया गया जबकि इस मामले में निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र संख्या 2492/नजारत 12/जनपद/ह0 क0/9810 दिनांक 8 नवम्बर, 1985 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये हैं? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी/

कर्मचारी उत्तरदायी है एवं इसका भुगतान कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

प्रश्नगत अवधि का वेतन भुगतान न होने के लिये श्री उर्वादत्त जोशी स्वयं उत्तरदायी हैं, क्योंकि जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ के आदेश सं0 756/स्था0/85-86, दिनांक 9-8-85 द्वारा उन्हें राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, बख्शी का तालाब, लखनऊ स्थानान्तरित किया गया था, किन्तु न तो उन्होंने वहां कार्यभार ग्रहण किया और न अवकाश के लिये कोई प्रार्थना-पत्र दिया। जब तक 9-8-85 से 11-9-85 तक की अवधि नियमित नहीं हो जाती है, तब तक इस अवधि के वेतन का भुगतान करने का प्रश्न नहीं उठता है।

23—श्री यदुनाथ सिंह—

[दिनांक 7-3-86 को अता0 प्र0 सं0 1 द्वारा उत्तरित]

तहसील तरबगंज, जनपद गोण्डा के कतिपय ग्रामों के चकरोडों पर अनाधिकृत कब्जादारों के विरुद्ध कार्यवाही

24—श्री राम सागर—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के तह0 तरबगंज के अन्तर्गत ग्राम कचनापुर, हीरापुर, शाहपुर, कुतुबपुर में किन-किन लोगों ने जबरिया चकरोडों की जमीन पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है तथा उनके नाम व पतों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? उनके विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां, तहसील तरबगंज में ग्राम सभा कचनापुर में 42 व्यक्तियों ने 2-26 एकड़, हीरापुर शाहपुर में 59 व्यक्तियों ने 1189 एकड़ तथा कुतुबपुर में 61 व्यक्तियों ने 1.82 एकड़ चकरोडों की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है। उनके नाम व पता की सूची† संलग्न है। इन व्यक्तियों के विरुद्ध बेदखली हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में कमेटियों का गठन एवं उनका प्रतिवेदन

25—श्री हृदय नारायन दीक्षित—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन पुनरीक्षण, वेतन विसंगति एवं अन्य भत्तों के पुनरीक्षण हेतु श्री जी0 डी0 पंत की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय कमेटी के गठन की घोषणा की गई थी तथा उसके बाद वेतन समिति की परिधि में विचार चलने के बाद भी अभियंता अधिकारियों के वेतन पुनरीक्षण एवं वेतन विसंगतियों हेतु अलग से श्री आर0 के0 टंडन कमेटी का गठन किया गया और वह कमेटी पंत कमेटी से अलग हटकर अपनी रिपोर्ट देने जा रही है? इसी प्रकार सेवा में ठहराव के मामले निपटाने हेतु अरोड़ा समिति गठित हुई जो सिर्फ अभियन्ताओं के वर्ग के ही अधिकारियों के सेवा में ठहराव पर ही अपनी रिपोर्ट देगी जबकि सभी कर्मचारियों की सेवा में ठहराव बना हुआ है? इन विषयों पर सरकार की क्या कार्यवाही विचाराधीन है? यदि कोई कार्यवाही विचाराधीन है तो क्या कैसी? यदि नहीं, तो क्यों?

---

†छापी नहीं गई।

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां, विद्युत परिषद् के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण, विसंगतियों एवं अन्य भत्तों के पुनरीक्षण हेतु 14 अक्टूबर, 1985 को श्री जी0 डी0 पन्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था।

श्री आर0 के0 टंडन कमेटी का गठन दिनांक 24 दिसम्बर, 1985 को किया गया। इस कमेटी के विचारार्थ, अभियन्ताओं के वेतन ढांचे में विसंगतियां मात्र ही थीं। टंडन कमेटी पंत कमेटी के अनुपूरक के रूप में थी।

श्री जी0 के0 अरोड़ा, भूतपूर्व मुख्य अभियन्ता एवं अंशकालिक परामर्शदाता की नियुक्ति दिनांक 25 जुलाई, 1985 को हुई। यह सही नहीं है कि श्री अरोड़ा की नियुक्ति मात्र अभियन्ता वर्ग के ही अधिकारियों के सेवा में ठहराव ठहराव पर रिपोर्ट देने लिये की गई।

वस्तुतः श्री अरोड़ा के विचारक्षेत्र में संवर्गीय संवीक्षा तथा सभी वर्गों के चाहे वे तकनीकी, लेखा अथवा प्रशासनिक संवर्ग के अधिकारी, अथवा पर्यवेक्षक हों, की सेवा में ठहराव पर विचार कर उनके निवारणार्थ उपाय सुझाना था।

पन्त कमेटी, टंडन कमेटी तथा श्री अरोड़ा कमेटी के प्रतिवेदन परिषद् में प्राप्त हो गये हैं। उनका परीक्षण हो रहा है।

राज्य विद्युत परिषद् के आपरेटिंग कर्मचारियों की सेवा नियमावली

26–श्री हृदय नरायन दीक्षित –

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिषद् के आपरेटिंग कर्मचारियों की क्या कोई सेवा नियमावली है ? यदि हां, तो वह कब से लागू है और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा आपरेटिंग कर्मचारियों की भर्ती आदि के लिए शासन द्वारा निर्गत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्ट आपरेटिंग स्टाफ सर्विस रूल्स, 1955 के प्राविधानों को दिशा निर्देश के रूप में अनुसरण किया जाता है तथा समय-समय पर परिषद् द्वारा निर्मित प्रशासनिक आदेशों के आधार पर भी इन कर्मचारियों की सेवा को नियंत्रित किया जाता है। अब परिषद् ने इन कर्मचारियों के लिए अपनी विनियमावली का आलेख्य भी तैयार कर लिया है जो परिषद् की मैनेजमेन्ट कमेटी के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में श्रमिक संगठनों/संघों को मान्यता

27–श्री हृदय नरायन दीक्षित –

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में श्रमिक संगठनों/श्रमिक संघों को मान्यता प्रदान करने की कोई नीति है? यदि है, तो क्या मापदण्ड है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

ट्रेड यूनियन्स एक्ट के अंतर्गत यूनियनों को मान्यता प्रदान करने का कोई प्राविधान नहीं है। राज्य विद्युत परिषद् कार्मिकों की जो यूनियन परिषद् के कामकाज में रचनात्मक कार्यों व औद्योगिक सम्बन्धों को बनाये रखने में सहयोग करती है तथा अच्छा आचरण दिखाती है, उसे परिषद् मान्यता प्रदान करने पर विचार करता है।

श्री वाई0 के0 गुप्ता, जिला सहायक निबन्धक, लखनऊ के विरुद्ध जांच की मांग

28—श्री राकेश धर त्रिपाठी—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वाई0 के0 गुप्ता, जिला सहायक निबंधक लखनऊ द्वारा गत वर्ष 1985 में पंतनगर (गेहूं) के बीज अवशेष नीलामी का आदेश निर्गत किया गया है जो उनके अधिकार सीमा से बाहर है? यदि हां, तो श्री गुप्ता के विरुद्ध शासन स्तर से अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है? क्या मंत्री जी उक्त अधिकारी के विरुद्ध अविलम्ब कार्यवाही करने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह—

श्री वाई0 के0 गुप्ता, जिला सहायक निबंधक, लखनऊ द्वारा अवशेष बीज की नीलामी का आदेश निर्गत किया गया है, जो उनके अधिकार सीमा से बाहर नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत भण्डार खण्ड, गोरखपुर में लेखाकारों की नियुक्ति

29— श्री कृष्ण कुमार शर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 रा0 वि0 परिषद् के लेखा प्रशासन ने अक्टूबर, 85 में आदेश पारित करके विद्युत भंडार खंड गोरखपुर में 3 लेखाकारों को भेजा है जिसमें से एक ने 27-10-85 को तथा दूसरे ने 23-11-85 को कार्यभार ग्रहण कर लिया और तीसरा अभी नहीं पहुंचा है ? जो दो खंडीय लेखाकार कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं उनको बैठने के लिये अभी तक मेज एवं कुर्सी की भी व्यवस्था नहीं की गयी है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि उस खंड में खंडीय लेखाकारों के लिए समुचित कार्य नहीं है? यदि वहां इन लेखाकारों की आवश्यकता थी तो उनको अभी तक कार्य क्यों नहीं दिया गया ? यदि नहीं थी तो उनकी नियुक्ति क्यों की गयी?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां। तीसरे लेखाकार ने भी कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

उपरोक्त लेखाकारों की विद्युत भण्डार खण्ड गोरखपुर में नियुक्ति पहले से कार्यरत लेखाकारों के स्थान पर की गयी है, अतः उनके बैठने आदि की व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है।

उपरोक्त खण्ड में कार्यभार को देखते हुए लेखाकार के चार पद सृजित हैं जिन पर लेखाकारों की नियुक्ति होती रही है और उन्हीं स्थानों पर इन लेखाकारों की नियुक्तियां की गयी हैं जिन्हें सम्पादन हेतु कार्य आवंटित है।

कोलवाल सहकारी संघ घिरौड़ी, जनपद गाजियाबाद में बीज भण्डार का भवन बनवाने की मांग

30—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के कोलवाल सहकारी संघ घिरौड़ी पर बीज भंडार का भवन बनाना स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो उक्त भवन कब तक तैयार हो जायेगा?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

साधन सहकारी समिति, हाजीपुर बरसेंड़ी जनपद फैजाबाद के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

31—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद स्थित वि0 क्षे0 सोहावल स्थित साधन सहकारी समिति अम्बरपुर (हाजीपुर बरसेंडी) में सन् 82-83, 83-84 की आय व्यय की जांच हुई थी जिसमें लाखों रुपये का घोटाला प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री अरुण कुमार सिंह—

फैजाबाद जनपद स्थित विकास क्षेत्र सोहावल में साधन सहकारी समिति लि0 अम्बरपुर नहीं है, अपितु साधन सहकारी समिति, हाजीपुर बरसेंडी है, जिसके वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 के विशेष आडिट प्रतिवेदन में क्रमशः रुपया 3,11,799.61 एवं रुपया 67,012.15 की आडिट आपत्तियां की गई थीं। इस सम्बन्ध में समिति के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी थी। विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत समिति के तत्कालीन 2 सचिवों को निलम्बित किया जा चुका है तथा 6 कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं।

हिन्द मजदूर किसान पंचायत का ज्ञापन

32—श्री हर्ष वर्धन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बम्बई की झोपडी पट्टियों में रहने वाले उ0 प्र0 वासियों के उजाड़े जाने के विरोध में 26 अक्टूबर, 85 को हिन्द मजदूर किसान पंचायत की ओर से मुख्यमंत्री आवास पर धरना दिया गया था और राजस्व मंत्री ने ज्ञापन लिया था ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां। ज्ञापन की एक प्रति महाराष्ट्र सरकार के मुख्य मंत्री को दिनांक 4-3-86 को भेज दी गई है।

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में कार्यरत चकबन्दी विभाग के कर्मचारियों हेतु विभिन्न सुविधाएं

33—श्री विष्णु देव—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में चकबन्दी विभाग के जो कर्मचारी ग्रामीण अंचलों में फील्ड पर कार्य कर रहे हैं उन्हें मकान भाड़ा व चिकित्सा की सुविधा नहीं मिल रही है तथा उनकी सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो उन्हें मकान भाड़ा व चिकित्सा की सुविधा तथा सुरक्षा व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्रामीण अंचलों में कार्यरत कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता की सुविधा शासन द्वारा नहीं दी गई है।

कर्मचारियों को देय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है।

सभी कर्मचारियों की सुरक्षा की सामान्य व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जाती है। गृह विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 21-1-86 द्वारा समस्त पुलिस अधीक्षकों को चकबन्दी अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार पुलिस बल उपलब्ध कराने

एवं सुरक्षा प्रदान किए जाने के आदेश निर्गत किए गए हैं।

ग्राम महुटा, तहसील नरैनी, जनपद बांदा के भूमिहीन हरिजनों के नाम पट्टा

34—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के नरैनी तह0 के ग्राम महुटा में भूमिहीन, हरिजनों के पट्टे सन् 1977 में हुए थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि नापकर कब्जा भी दे दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त पट्टे अविलम्ब बंदोबस्त (खतौनी) में अंकित कर दिये जायेंगे?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं, शेष प्रश्न ही नहीं उठते।

पूर्ति भण्डार कालिंजर, जनपद बांदा के कामदार श्री अमीर बख्श को अवशेष वेतन का भुगतान

35—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के पूर्ति भंडार कालिंजर के कामदार अमीर बख्श को वेतन न मिलने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 24-5-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कब तक उपरोक्त कामदार के वेतन का भुगतान हो जायेगा?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां। श्री अमीर बख्श को 1 नवम्बर, 1982 से 27 मई, 1984 तक के अवशेष वेतन का भुगतान किया जा चुका है। दिनांक 28-5-84 से 29-9-84 तक के वेतन का भुगतान चिकित्सा अवकाश स्वीकृति के उपरान्त ही नव नियुक्ति के स्थान पर उनके योगदान करने पर किया जायेगा।

जनपद बांदा के नरैनी क्षेत्र के हरिजन बाहुल्य ग्रामों के विद्युतीकरण की मांग

36—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के नरैनी निर्वाचन क्षेत्र में कितने ऐसे हरिजन बाहुल्य गांव हैं जिनका विद्युतीकरण अभी नहीं हुआ? इनका विद्युतीकरण कब तक हो जायगा ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम अम्बहटा चांद व ग्राम भगवानपुर, तहसील देवबन्द, जनपद सहारनपुर को पृथक-पृथक राजस्व ग्राम बनाने की मांग

37—श्री राम सरन—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अम्बहटा चांद व ग्राम भगवानपुर, तह0 देवबन्द, जनपद सहारनपुर को अलग-अलग राजस्व ग्राम बनाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हो रही है? यदि हां, तो दोनों ग्रामों के अलग-अलग राजस्व ग्राम की घोषणा कब तक होगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां। इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन, चकबन्दी आयुक्त तथा राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, से आख्या तथा संस्तुति प्राप्त हो जाने के बाद ही शासन द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

38—श्री विष्णु देव तथा श्री रणजीत—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

चकबन्दी अधिकारियों के स्थायीकरण का आदेश

39—श्री विष्णु देव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा

करेंगे कि चकबन्दी विभाग में जिन चकबन्दी अधिकारियों का पद स्थायी हो चुका है उसके सम्बन्ध में स्थायीकरण का आदेश अब तक क्यों नहीं किया गया ? इसके लिए कौन दोषी है तथा स्थायीकरण के आदेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

चकबन्दी अधिकारी के 228 स्थायी पदों में से 145 पर स्थायीकरण की कार्यवाही की जा चुकी है । लोक सेवा आयोग से चकबन्दी अधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण 83 पदों पर स्थायीकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकी है। इन पदों पर स्थायीकरण के आदेश अब तक पारित न किये जाने के लिये कोई दोषी नहीं है।

लोक सेवा आयोग से चकबन्दी अधिकारी के पद पर अनुमोदन प्राप्त होने के बाद शेष सभी पदों पर स्थायीकरण के आदेश नियमानुसार जारी किये जायेंगे।

गोरखपुर कलेक्ट्रेट में कर्मचारियों का स्थायीकरण

40–श्री हर्ष वर्धन–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर कलेक्ट्रेट में तीन वर्ष या उससे अधिक समय से कार्य करने वाले कर्मचारियों के विपरीत पदों की रिक्ति के पश्चात् भी उनका स्थायीकरण क्यों नहीं किया जा रहा है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

कलेक्ट्रेट गोरखपुर के रेगुलर अधिष्ठान में दिनांक 31 दिसम्बर, 1985 तक 46 लिपिकीय कर्मचारियों जिन की कनिष्ठ लिपिक पदों पर 3 वर्ष या उससे ऊपर की सेवायें पूरी थीं, में से 23 कर्मचारियों को उपलब्ध 23 स्थाई रिक्त पदों के विपरीत जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 10-2-86 द्वारा स्थाई कर दिया गया है । अवशेष 23 कर्मचारियों के स्थायीकरण हेतु स्थायी रिक्ति उपलब्ध नहीं है, जिससे इनका स्थायीकरण नहीं किया जा सका है।

41–श्री विष्णु देव तथा श्री रणजीत–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बांदा में अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति

42–श्री राम सजीवन–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि जिलाधिकारी, बांदा ने 9-12-85 को सचिव, विद्युत विभाग को एक रेडियोग्राम भेजकर बांदा जिले के लिए तीन मेगावाट अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति की मांग की थी और क्या उस रेडियोग्राम की प्रतियां अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद् एवं अधीक्षण अभियन्ता, झांसी को भी भेजी थीं? यदि हां, तो उस अतिरिक्त बिजली दिए जाने की कार्यवाही क्यों नहीं की गयी? क्या यह सही है कि बिजली की आपूर्ति न बढ़ने के कारण किसानों को पम्पिंग सेट के लिए बिजली के नये कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं और सिंचाई सुविधा न मिलने से कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां ।

दो मेगावाट विद्युत का आवंटन बांदा जिले के औद्योगिक उपभोक्ताओं की तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया है। निजी नलकूप/पम्पिंग सेट के लिए नए भार की स्वीकृति पर कोई रोक न कभी थी और न है

एवं नलकूप के भार स्वीकृति हेतु किसी आवन्टन की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद देवरिया, थाना रुद्रपुर, ग्राम शीतलसाभा में विद्युत स्पर्शाघात से हुई मृत्यु तथा मृतक के परिवार जनों को क्षतिपूर्ति की मांग

43—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के थाना रुद्रपुर के शीतलसाभा ग्राम में 16-6-81 को टूट कर गिरे विद्युत तार के विद्युत स्पर्शाघात से राम बिलास पुत्र पूर्णवासी मल्लाह और उसके दो बैलों की मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो पूर्णवासी मल्लाह के परिवारजन को क्षतिपूर्ति प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस बात की भी जांच कराई गयी कि तीन दिन पूर्व सूचना प्राप्त करने के बाद भी उसकी लाइन नहीं ठीक की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

परगनाधिकारी तालबहेट, जनपद ललितपुर का आवास

44—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के परगनाधिकारी तालबहेट का मुख्यालय तालबहेट होने के बावजूद किन परिस्थितियों में उनका आवास ललितपुर में है ? ऐसा करने से वर्ष 1985 में कितना अतिरिक्त वित्तीय भार शासन पर पड़ा है ? क्या शासन ने परगना मुख्यालय पर ही परगनाधिकारी के आवास के निर्देश दिये हैं ? यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं । परगनाधिकारी तहसील मुख्यालय पर रहते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । प्रश्न नहीं उठता ।

ओबरा ताप विद्युत गृह जनपद मिर्जापुर में फर्नेस आयल के स्थान पर पानी की आपूर्ति से हानि

45— श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर स्थित ओबरा ताप विद्युत गृह के लिये अगस्त, 1985 में फर्नेश आयल के स्थान पर पानी के आपूर्ति का तथ्य प्रकाश में आया था? तेल में पानी मिलाये जाने के कारण विद्युत परिषद् को वर्ष 1985 में कितने रुपये की हानि पहुंची? क्या पूरे प्रकरण की जांच करायी गयी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई।

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां ।

तेल में पानी मिलाने के कारण परिषद् को कुल 18,965.83 रुपये की हानि हुई थी जो परिषद् द्वारा उन टैंकर के मालिकों से वसूल कर ली गयी थी ।

जी हां। जांच के उपरान्त परिषद् का कोई अधिकारी व कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया अतएव किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

46—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

[8वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

जिला सहकारी बैंक, सीतापुर द्वारा किराये की डीपों से ऋण की वसूली तथा किराये पर हुआ व्यय

47—श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर जिला सहकारी बैंक सीतापुर में वसूली करने हेतु किराये की

जीपों का प्रयोग किया गया तथा जुलाई, 1985 से दिसम्बर, 1985 तक वसूली पर कितना धन खर्च हुआ और नगद वसूली कितने रुपये की की गयी ? वसूली का प्रतिशत क्या है ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां ।

जुलाई, 1985 से दिसम्बर, 1985 तक किराये की जीपों पर रु0 3178.71 व्यय हुआ । उक्त अवधि में रु0 12.39 लाख की वसूली ऋण असल के मद में एवं रुपया 23.20 लाख की वसूली ब्याज के मद में हुई । दिनांक 31-12-85 को वसूली का प्रतिशत 1.64 था ।

जिला सहकारी बैंक सीतापुर में स्टेशनरी की खरीद व छपाई

48–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक, सीतापुर में जो स्टेशनरी छपाई या खरीदी जाती है, वह जनपद के बाहर से की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

स्टेशनरी की छपाई एवं खरीद जनपद में एवं जनपद के बाहर से भी न्यूनतम दर के आधार पर कोटेशन प्राप्त करके की जाती है ।

जिला सहकारी बैंक, सीतापुर द्वारा सदस्य हथकरघा सहकारी समितियों को दिया गया ऋण

49–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि 1985-86 में जो नई हथकरघा सहकारी समितियां जिला सहकारी बैंक सीतापुर की नयी सदस्य बनी, उनमें उदनापुर, हैण्डलूम कोआपरेटिव सोसाइटी को 50,000 रु0 का ऋण दिया गया, अन्य किसी को नहीं ? यदि हां, तो अन्य और सोसाइटियों को कम देने का क्या कारण है ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

वर्ष 85-86 में 12 हथकरघा सहकारी समितियों को जिला सहकारी बैंक, सीतापुर का नया सदस्य बनाया गया

उदनापुर हथकरघा समिति को 50,000 रु0 तथा अन्य समितियों को उससे कम धनराशियों को ऋण सीमाएं, उनके अपने-अपने शुद्ध प्रयोज्य संसाधनों (नेट डिस्पोजेबिल रिसोर्सेज) को ध्यान में रखकर, स्वीकृत की गयी है ।

जिला सहकारी बैंक सीतापुर में कर्मचारियों का विनियमितीकरण

50–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी गजट उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सहकारिता विभाग के कर्मचारियों के तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण करने के लिए नियमावली 30 जुलाई, 1985 को बनाई गयी थी जिसके अंतर्गत 1-5-83 के पूर्व कार्यरत कर्मचारियों का विनियमितीकरण करना था । जिला सहकारी बैंक, सीतापुर में कार्यरत कर्मचारी जिनकी संख्या लगभग 25 है, का विनियमितीकरण अभी तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

30 जुलाई, 1985 का प्रख्यापित विनियमावली के अंतर्गत 1-5-83 तक सीधी भर्ती के तदर्थ रूप से नियुक्त सेवा

मण्डल के नियन्त्रणाधीन सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवाओं के विनियमितीकरण का प्राविधान किया गया था ।

जिला सहकारी बैंक लि0, सीतापुर में दिनांक 1-5-1983 तक 25 नहीं बल्कि 2 3कर्मचारी तदर्थ रूप से कार्यरत थे, जिनका विनियमितीकरण 5-3-86 को किया जा चुका है ।

जनपद मैनपुरी में पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रवृत्ति हेतु स्वीकृत धनराशि तथा उसका वितरण

51—श्री राम नरेश—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृत्ति के लिए जनपद मैनपुरी में 84-85 वर्ष के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी थी उसमें से कितनी धनराशि हरिजन कल्याण विभाग के अधिकारी द्वारा छात्रों में वितरित की गयी एवं कितनी सरकार को वापस कर दी गयी ? वापस करने का क्या कारण था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद मैनपुरी को वर्ष 1984-85 में पिछड़ा वर्ग हेतु रु0 16,63,400/- तथा अनुसूचित जाति के लिए रु0 32,22,300/-की धनराशि स्वीकृत की गयी । पिछड़े वर्ग के छात्रों में शत-प्रतिशत व अनुसूचित जाति के छात्रों में रु0 31,92,300/-छात्रवृत्ति के रूप में वितरित की गयी । अनुसूचित जाति के लिए प्राविधिक छात्रवृत्ति मद में रु0 30,000/-समर्पित किया गया क्योंकि सभी छात्रों को छात्रवृत्ति दे दी गयी थी अतः शेष धनराशि समर्पित करनी पड़ी।

52—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

[8वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

तहसील चन्दौली जनपद वाराणसी के कतिपय ग्रामों में चकबन्दी की मांग

53—श्री राज किशोर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद की तहसील चंदौली के कुरई, केवटी, बेलरिया आदि 5—6 गांवों में चकबन्दी की प्रक्रिया शुरू हुई है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? सरकार संदर्भित गांवों की चकबन्दी कब तक करायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

वाराणसी जनपद की तहसील चन्दौली के ग्राम कुरई, केवटी, बेलरिया आदि 5—6 गांव वर्ष 1966 में मानक के अनुसार चकबंदी योग्य नहीं पाए गये थे। इसलिए यह गांव चकबन्दी में नहीं लिए गए । ग्राम केवटी, बेलरिया के अतिरिक्त अन्य ग्रामों का सर्वेक्षण पुनः कराया जा रहा है, यदि यह गांव चकबन्दी के योग्य पाए जायेंगे तो धारा 4 (2) के प्रकाशन के पश्चात् तुरन्त चकबंदी की कार्यवाही की जायेगी । गांव केवटी व बेलरिया के सम्बन्ध में चकबन्दी लागू करने हेतु अभी कोई विचार नहीं हो रहा है ।

54—श्री राज किशोर सिंह—

[दो विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में प्रशिक्षित सहकारी सुपरवाइजर

55—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितने प्रशिक्षित सहकारी सुपरवाइजर व सचिवों का अभाव है? क्या मंत्री को यह भी जानकारी है कि अलीगढ़ जनपद में कई साधन सहकारी

समितियों में आंकिकों से सचिव का कार्य स्वतंत्र रूप से कराया जा रहा है जिससे गम्भीर अनियमितताएं हो रही हैं? यदि हां, तो जनपद में क्या प्रशिक्षित सचिवों की नियुक्ति करायेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री अरुण कुमार सिंह–

प्रदेश में प्रशिक्षित सहकारी सुपरवाइजरों का अभाव नहीं है, परन्तु 2312 सचिव अभी अप्रशिक्षित हैं, जिनका प्रशिक्षण, उपलब्ध प्रशिक्षण व्यवस्था के अनुरूप धीरे-धीरे कराया जा रहा है।

अलीगढ़ जनपद में 16 आंकिकों से सचिवों का कार्य स्वतंत्र रूप से कराया जा रहा है। जो आंकिक सचिव का कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य में अभी तक कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है।

चूंकि 15 आंकिकों ने माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है और एक सचिव मृतक सचिव का आश्रित है, अतः उनके मामलों का अंतिम निस्तारण होने तक नयी नियुक्ति का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

तहसील ज्ञानपुर जनपद वाराणसी में प्रदेश सरकार की कुल भूमि एवं उसका आवंटन

56–श्री मूल चन्द–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के तहसील ज्ञानपुर के अन्तर्गत सरकार की कुल कितनी कृषि योग्य भूमि पड़ी है और कुल कितनी भूमि का आवंटन गरीबों के नाम हो चुका है? जो जमीन बची है उसका आवंटन गरीबों को करायेंगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनपद वाराणसी के तहसील ज्ञानपुर के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के नाम से कुल 200 एकड़ कृषि योग्य भूमि पड़ी है। चूंकि उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में ग्राम सभा के नाम दर्ज नहीं हो सकी है इसलिए पात्र व्यक्तियों में आवंटन की कार्यवाही नहीं हुई है। अभिलेख दुरुस्ती का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उक्त भूमि का पात्र व्यक्तियों में आवंटित किया जाना संभव हो सकेगा।

किचौरा फोर्ट, तहसील सिकन्दराराऊ, जनपद अलीगढ़ के पट्टे को निरस्त किये जाने की मांग

57–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किचौरा फोर्ट तहसील सिकन्दराराऊ जिला अलीगढ़ को सुरक्षित स्थान आर्क्यालोजिकल विभाग द्वारा घोषित करने व जिला प्रशासन को लिखने के बावजूद भी इसके पट्टे किस तरह किए गए? उक्त पट्टे को स्थानीय लोगों की शिकायत के बावजूद भी अभी तक निरस्त न किए जाने का क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

प्रश्नगत किचौरा फोर्ट को आर्क्यालोजिकल विभाग द्वारा सुरक्षित स्थान घोषित नहीं किया गया है। राजस्व अभिलेखों में प्रश्नगत भूमि ग्राम समाज की अंकित होने के कारण, भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा, इसका आवंटन नियमानुसार किया गया है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा, इस नियमानुसार आवंटन पर, स्थानीय लोगों द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है। किन्तु, एक श्री बिजेन्द्र सिंह द्वारा इस आधार पर कि उक्त किला ऐतिहासिक महत्व का

होने तथा उसे पुरातत्व विभाग द्वारा ऐतिहासिक महत्व का स्थान घोषित किये जाने के बारे में की जा रही है कार्यवाही को दृष्टिगत रखते हुए पट्टों को निरस्त करने का प्रार्थना-पत्र दिया गया था। चूंकि, अभी तक पुरातत्व विभाग द्वारा उक्त स्थान को सुरक्षित घोषित नहीं किया गया है, अतएव पट्टों को निरस्त करने की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

58—श्री राजेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि किचौरा फोर्ट, तहसील सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ की सुरक्षा के लिए प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 23-7-85 पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? क्या पट्टों को निरस्त कर किले को सुरक्षित स्थान की मान्यता दे दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्नगत किचौरा फोर्ट की सुरक्षा के लिए प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित श्री बिजेन्द्र सिंह के प्रार्थना-पत्र दिनांक 23-7-85/16-10-85 में गाटा संख्या 1963 तथा 1969 में किले का उल्लेख किया गया है। गाटा संख्या—1963 में वर्ष 1975 में हुए आवंटन के बाद कोई आवंटन नहीं किया गया है। चूंकि पुरातत्व विभाग द्वारा इस स्थान को सुरक्षित स्थान की मान्यता नहीं दी गयी है अतः पट्टे निरस्त नहीं किये गये हैं।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बरसठी एवं रामनगर के विद्युतीकृत ग्राम

59—श्री पारस नाथ यादव—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बरसठी एवं विकास खण्ड रामनगर में शासन द्वारा सम्पूर्ण गांवों में विद्युतीकरण कराने हेतु आदेश हुआ था ? यदि हां, तो अब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया तथा कितने गांवों का शेष है ? क्या शीघ्र शेष गांवों का विद्युतीकरण कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं ।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बरसठी एवं रामनगर के क्रमशः 159 तथा 196 ग्रामों में से वर्ष 1984-85 में आर0 ई0 सी0 एन0 योजना के अन्तर्गत क्रमशः केवल 21 व 28 ग्रामों को विद्युतीकृत करने हेतु 4 वर्षों की योजना स्वीकृत है, जिसमें से क्रमशः 12व10 ग्राम विद्युतीकृत हो चुके हैं तथा 9 व 18 ग्राम शेष हैं, जिनका विद्युतीकरण, योजना अवधि में पूर्ण किये जाने की आशा है ।

तहसील हापुड़ जनपद गाजियाबाद में हरिजन कल्याण हेतु आवंटित धनराशि एवं उसका उपयोग

60—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील हापुड़ जिला गाजियाबाद में वित्तीय वर्ष 82-83, 83-84 और 84-85 में हरिजनों को मकान बनाने के लिए तथा हरिजन कल्याण की अन्य मदों में शासन द्वारा कुल कितना धन आवंटित किया गया था और इस आवंटित धन से हरिजनों के कितने मकान बनाए गए तथा हरिजन कल्याण की किन-किन योजनाओं पर कितना-कितना रुपया खर्च किया गया ? क्या शासन द्वारा पूरी आवंटित धनराशि खर्च नहीं की गई ? यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

तहसील हापुड़ के लिए अलग से कोई आवंटन न करके पूरे जनपद गाजियाबाद के लिए धन का आवंटन किया गया जिसके अनुसार हरिजनों के मकान बनाने के लिए रु0 65,000 तथा अन्य मदों में रु0 1,41,79,999 आवंटित किया गया ।

उक्त आवंटित धनराशि से हरिजनों के लिए कुल 28 आवास निर्मित कराए गए तथा हरिजन कल्याण की अन्य योजनाओं पर जो खर्च किया गया उसका विवरण संलग्न है ।

हरिजन आवास के अतिरिक्त अन्य सभी योजनाओं में पूर्ण व्यय किया गया । हरिजन आवास हेतु रु0 20165-43 जो वर्ष 1982-83 का अवशेष था कतिपय अपरिहार्य कारणों से व्यय नहीं हो सका। उक्त के अतिरिक्त वर्ष 1984–85 के अन्तिम मार्च माह में रु0 2 लाख हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लि0, को उपलब्ध कराया गया था । जिसका शत-प्रतिशत उपभोग कर लिया गया है, और उक्त धनराशि में से भी तहसील हापुड़ में 37 आवास निर्मित कराए गए ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 127-128 पर)

ग्राम पूठा हुसैनपुर, तहसील हापुड़, जनपद गाजियाबाद के हरिजनों को मकान बनवाने हेतु अनुदान की मांग

61–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम पूठा हुसैनपुर, तहसील हापुड़, जिला गाजियाबाद के हरिजनों को मकान बनाने के लिए शासन द्वारा कोई अनुदान दिया गया अथवा शासन द्वारा मकान बनाकर दिए गए ? यदि नहीं, तो इस गांव के गरीब हरिजनों को पक्के मकान बनाने के लिए कोई कार्यवाही शासन द्वारा की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं ।

इस विभाग द्वारा मकानों के निर्माण की योजना अब नहीं संचालित की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

तहसील दादरी, जिला गाजियाबाद के ग्रामों का विद्युतीकरण

62–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तह0 दादरी, जिला गाजियाबाद के ऐसे कितने ग्राम हैं जिन्होंने 71–85 तक 25 रु0 (पच्चीस रुपया) प्रति परिवार हेतु विभाग में जमा की है और उन्हें अभी अग्रिम धनराशि विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने तक विद्युत कनेक्शन नहीं मिला ? इस विलम्ब के क्या कारण हैं ? इसके प्रति कौन उत्तरदायी है ?

श्री सुनील शास्त्री–

जनपद गाजियाबाद की तहसील दादरी के ऐसे 5 ग्राम हैं जिन्होंने 71–85 तक रु0 25/- की धनराशि जमा की है और उन्हें अभी तक कनेक्शन नहीं मिला है । नियमानुसार अनुमानित व्यय पर 15 प्रतिशत रिटर्न न मिलने के कारण विलम्ब हो रहा है । अतएव इसके लिए किसी के उत्तरदायित्व का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर में ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु खम्भों, तार आदि की ढुलाई

63–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के ग्रामों में विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युतीकरण के लिए ग्रामवासियों को अपनी तरफ से तार व खम्भा की ढुलाई व गड्ढा आदि का कार्य करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी नहीं । विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युतीकरण के लिए प्रश्नगत कार्य राज्य विद्युत परिषद् द्वारा विभागीय नियमानुसार करवाया जाता है ।

प्रदेश में अलाव जलाने पर किया गया व्यय

64–श्री हृदय नरायन दीक्षित –

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस वर्ष प्रदेश में भीषण सर्दी पड़ने पर अलाव जलाने हेतु कितनी धनराशि व्यय की गई तथा जनपद उन्नाव में उसका क्या योगदान रहा तथा उन्नाव जनपद में यह अलाव कहां-कहां पर जलाए गए ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

लखनऊ तथा गोरखपुर जनपद जहां से सूचनाएं प्रतीक्षित हैं को छोड़कर प्रदेश के शेष जनपदों में अलाव जलाने पर कुल 7,50,772/- रु0 की धनराशि व्यय होने की सूचना प्राप्त हुई है ।

जनपद उन्नाव में आवश्यकतानुसार विभिन्न स्थानों जिनकी सूची संलग्न है, पर अलाव जलाए गए और इस पर कुल 9,250/- रु0 की धनराशि व्यय हुई ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 129-131 पर)

ग्राम आदिलपुर, परगना खंडासा, तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद के पात्र भूमिहीनों की संख्या एवं उन्हें भूमि का आवंटन

65–श्री मित्रसेन–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम आदिलपुर, परगना खंडासा, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद के भूमिहीन पात्र व्यक्तियों की संख्या क्या है ? कितनों को कृषि योग्य भूमि का आवंटन कब और कितनी-कितनी भूमि का किया गया और उन्हें कब्जा कब दिलाया गया? पट्टे और कब्जे की अवधि का अन्तराल क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

प्रश्नगत ग्राम में पात्र व्यक्तियों की संख्या 24 थी जिन्हें दिनांक 26-2-76 को 47 बीघा 17 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया तथा दिनांक 4-1-83 को भूमि पर कब्जा दिलाया गया । पट्टा करने एवं कब्जा प्रदान करने की तिथि में लगभग 7 वर्ष का समय लग गया क्योंकि बीच में ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत आ गया था ।

आवंटियों का नाम एवं आवंटित भूमि का क्षेत्रफल निम्नवत है:–

नाम		भूमि का क्षेत्रफल
सर्वश्री	मंगरू	2–10–0
,,	राम दयाल	2–10–0
,,	भगौती पुत्र मथुरा	2–10–0
,,	प्रभू	2–10–0
,,	हुबलाल	2–10–0
,,	बरसाती	2–10–0
,,	साबिर	2–10–0
,,	रामराज	2–10–15
,,	चिंगनू	2–10–15
,,	पूदन	2–10–0
,,	भगवानदास	2–10–0
,,	भगेलू	2–10–0
,,	लोटन	2–10–10
,,	रामरतन	2–10–0
,,	शिवचरन	2–10–0
,,	जिबोध	1–15–0
,,	द्वारिका	1–10–0
,,	रामखेलावन पुत्र श्री गनेशी	0–10–0
,,	रामखेलावन पुत्र श्री हुबलाल	1–15–0
,,	रामसमुझ	1–13–10
,,	सजऊ	1–2–0
,,	भगवानदीन	0–10–0
,,	पलटू	0–15–0
,,	भगौती पुत्र श्री बुद्धू	1–15–9

जिला सहकारी बैंक लि0, बहराइच द्वारा किराये की कार पर हुआ व्यय

66—श्री सुखपाल पाण्डे, श्री कामेश्वर उपाध्याय तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला सहकारी बैंक लि0 बहराइच के पास कार नं0 यू0 पी0 एफ0 1726 मौजूद है? यदि हां, तो कार मौजूद होने के बावजूद भी बैंक द्वारा दूसरी गाड़ी किराए पर लेकर चलाई गई है? यदि हां, तो गत वर्षों में कितना रुपया गाड़ी का किराया बैंक द्वारा अदा किया गया? क्या यह सही है कि उक्त कार को बैंक के प्रशासक ने दूसरे विभाग (अपर जिलाधिकारी) बहराइच को दे दिया है और बैंक के कार्य के लिए किराए पर गाड़ी ली गई है? यदि हां, तो किराया का धन प्रशासक से वसूल करने के लिए सरकार सोच रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जिला सहकारी बैंक लि0, बहराइच की कार का नं0 यू0पी0एफ0 1726 नहीं वरन् 1727 है। बैंक द्वारा आवश्यकतानुसार गाड़ियां किराये पर भी लेकर चलाई गयी है, जिन पर गत 3 वर्षों में 1,37,573.63 रु0 किराये के रूप में व्यय हुआ है।

जिलाधिकारी द्वारा, बैंक का प्रशासक होने के नाते बैंक के कार्य हित में ए0 डी0 एम0 तथा जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों को बैंक की उपर्युक्त कार दी गयी थी तथा उनसे अपेक्षा की गयी थी कि वे अपने मूल दायित्वों के साथ-साथ बैंक कार्य की भी समीक्षा/प्रगति का आंकलन/अनुश्रवण करेंगे। बैंक के कार्य के लिए उपर्युक्त कार का उपयोग समय-समय पर बैंक अधिकारियों द्वारा भी किया गया है।

चूंकि ए0 डी0 एम0 तथा जिले के अन्य अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त कार का उपयोग उनके मूल दायित्वों के निर्वहन में भी किया गया था, अतः कार पर होने वाले पी0 ओ0 एल0 व्यय को सम्बन्धित विभाग द्वारा ही वहन किया गया था। इस स्थिति में उन अधिकारियों से बैंक की कार का किराया वसूल करने का प्रश्न नहीं उठता है। बैंक के वसूली अभियान में जिला प्रशासन की सरकारी जीप का भी उपयोग किया गया था, जिसका भी कोई किराया बैंक को नहीं देना पड़ा था, बल्कि बैंक द्वारा केवल पी0 ओ0 एल0 व्यय ही वहन किया गया था।

बस्ती जनपद के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में दी गई सहायता

67—श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र, तहसील हर्रैया, बस्ती, डुमरियागंज, बांसी, नौगढ़, खलीलाबाद जिला बस्ती में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में किस प्रकार की कितनी सहायता किन-किन गांवों के लोगों को दी गई है? इनमें से कितना रुपया किन-किन गांव के लोगों को मकान क्षति अनुदान हेतु दिया गया? कितने गांव के लोगों को मकान क्षति अनुदान अब तक नहीं दिया गया? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला स्तर पर वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

68—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—
[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

ग्राम कसिदहा तालुका कोण तहसील ज्ञानपुर जनपद वाराणसी में ग्राम प्रधान द्वारा किया गया पट्टा

69—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद वाराणसी तह0 ज्ञानपुर के ग्राम कसिदहा तालुका कोण में ग्राम प्रधान ने भूखण्ड 2274 व 2275 का आवंटन दि0 22-3-84 को कुछ लोगों के नाम कर दिया? क्या यह सही है कि पट्टा करने के समय इस पर कुछ हरिजनों का कब्जा था तथा उन्होंने अपने अधिकारों की घोषणा के लिए उस तिथि के पूर्व से परगनाधिकारी, ज्ञानपुर के यहां मुकदमा दायर कर रखा था जिसमें उपरोक्त प्रधान व सरकार उ0 प्र0, पार्टी थी? यदि हां, तो क्या इस पर परगनाधिकारी ने भी स्वीकृति दे दी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां, दिनांक 22-3-84 को भूखण्ड संख्या-2274 के 14 विस्वे तथा भूखण्ड संख्या-2275 क्षेत्रफल 5 विस्वे के आवंटन के प्रस्ताव पारित किये गये थे।

पट्टा करने के पूर्व प्रश्नगत भूखण्डों पर किसी हरिजन का कब्जा नहीं था। केवल लाल पुत्र अयोध्या हरिजन द्वारा अपने स्वत्व की घोषणा के सम्बन्ध में धारा-229 बी के अन्तर्गत परगनाधिकारी के न्यायालय में सन् 1980 में एक वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रधान व उत्तर प्रदेश सरकार विपक्षी थे। भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव दिनांक 22-3-84 को तत्कालीन परगनाधिकारी ने दिनांक 31-3-84 को स्वीकृति प्रदान की थी, क्योंकि प्रश्नगत भूमि को आवंटित न करने के संबंध में न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं था।

जनपद देवरिया में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति को खाद एवं बीज हेतु दिया गया ऋण एवं उस पर छूट

70—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जनपद में वर्ष 1983-84, 1984-85 में अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों को खाद और बीज के लिए बैंकों से कितना कर्ज दिया गया? क्या उन वर्षों की सब्सिडी को सम्बन्धित काश्तकारों के खाते में भेज दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह—

उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार वर्ष 1983-84 में अनुसूचित जाति के कृषकों को 21,69,204 रु0 तथा पिछड़ी एवं अन्य जातियों के कृषकों को 46,03,288 रु0 और वर्ष 1984-85 में अनुसूचित जाति के कृषकों को 22,98,810 रु0 तथा पिछड़ी एवं अन्य जातियों के कृषकों को 47,92,538 रु0 का बैंकों से कर्ज दिया गया। पिछड़ी जाति के लिए आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

वर्ष 1983-84 में 2,19,918 रु0 अनुदान के मद में अनुसूचित जाति के कृषकों के खातों में एवं 8,23,529 रु0 पिछड़ी एवं अन्य जाति के कृषकों के खातों में जमा किये गये। इसी प्रकार 1984-85 में अनुसूचित, पिछड़ी एवं अन्य जातियों के कृषकों के खातों में 17,55,868 रु0 जमा किया गया। वर्ष 1983-84 से सम्बन्धित अनुसूचित जाति के कृषकों को देय अनुदान

2,06,473 रु0 सम्बन्धित कृषकों के खाते में समुचित बजट प्राविधान उपलब्ध न होने के कारण जमा नहीं हो सका है।

इसी प्रकार वर्ष 1984-85 से सम्बन्धित अनुसूचित, पिछड़ी एवं अन्य जातियों को गन्ना विभाग द्वारा देय अनुदान 5,09, 162 रु0 समुचित बजट प्राविधान के अभाव में सम्बन्धित कृषकों के खाते में जमा नहीं हो सका है।

ग्राम सभा बरवांखास, तहसील ज्ञानपुर, जनपद वाराणसी की भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा किया गया आवंटन

71—श्री राज किशोर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा बरवांखास तहसील ज्ञानपुर, वाराणसी की भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा दिनांक 27-2-85 के प्रस्ताव द्वारा ग्राम समाज की भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन हो जाने की सूचना देने के बावजूद परगनाधिकारी ज्ञानपुर ने अध्यक्ष व मंत्री को पुनः दिनांक 29-7-83 को आवंटियों को कब्जा दिलाने और शेष भूमि को आवंटित करने का निर्देश दिया था, जिस पर दिनांक 29-9-83 को भूमि प्रबन्धक समिति ने तद्नुकूल प्रस्ताव पारित किया और तहसीलदार ने दो बार मौके का निरीक्षण किया? यदि हां, तो क्या आवंटन प्रक्रिया को अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों? और विलम्ब का कारण क्या है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं, दिनांक 27-7-83 को भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा कृषि भूमि आवंटन का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था बल्कि इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया था कि पूर्व के आवंटियों को सर्व प्रथम कब्जा दिला दिया जाय तथा अवशेष भूमि का आवंटन प्रस्ताव बाद में किया जायेगा जिस पर दिनांक 29-7-83 को तत्कालीन परगनाधिकारी ने अध्यक्ष एवं मंत्री/भूमि प्रबन्धक समिति को निर्देश दिया कि आवंटित भूमि पर कब्जा दिलायें तथा शेष भूमि का आवंटन रोकने से दुरुपयोग की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए, आवंटन किये जाने पर भूमि प्रबन्धक समिति की बैठक बुलाकर विचार कर लें। इस निर्देश के अनुपालन में ही दिनांक 22-9-83 को भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव पारित किया गया। दिनांक 29-9-83 को भूमि आवंटन का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था, किन्तु प्राप्त दो शिकायती-पत्रों के सन्दर्भ में परगनाधिकारी द्वारा तहसीलदार से जांच कराए जाने पर जिसमें 59 लोगों में से 19 व्यक्तियों को छोड़कर शेष 40 व्यक्तियों के पक्ष में आवंटन की स्वीकृति की संस्तुति पर दिनांक 6-8-85 को परगनाधिकारी द्वारा पट्टों की अन्तिम स्वीकृति प्रदान की गई। शिकायती प्रार्थना पत्रों की जांच में हुए विलम्ब के लिए अलग से कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री किशन लाल दिलेर—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, प्रश्नों के संबंध में। मेरा एक प्रश्न अलीगढ़ के 40 गावों की जमीन के संबंध में था।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिखकर भेज दीजिए।

श्री किशन लाल दिलेर—

मैंने लिखकर भी दिया लेकिन प्रश्न नहीं आता है। लिख कर देने पर कुछ नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लिखकर भेज दीजिए जो कुछ भी कराना चाहते हों।

(समय 12 बजकर 20 मिनट)

मंझनपुर, इलाहाबाद तथा प्रदेश में अन्य स्थानों पर चल रहे आश्रम पद्धति विद्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत आज 7 सूचनाएं स्वीकार की गई हैं। ये सूचनाएं श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राम सरन, श्री दीप नारायण और श्री यदुनाथ सिंह की हैं।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन तथा राज्य सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना की ओर लाना चाहता हूं। प्रदेश सरकार द्वारा शत-प्रतिशत हरिजनों के ग्रान्ट पर आश्रम पद्धति विद्यालय चलाए जा रहे हैं। जिनमें घोर अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार व्याप्त है। उदाहरणस्वरूप जनपद इलाहाबाद में निर्वाचन क्षेत्र मंझनपुर में मेरे प्रयास से एक आश्रम पद्धति विद्यालय की स्वीकृति हुई।

मान्यवर, प्रथम वर्ष से विद्यालय कब और कहां खोला गया, न तो मुझे जानकारी दी गई, न ही उस क्षेत्र की जनता को। विद्यालय में बच्चे नहीं हैं, लाखों रुपये का सस्ता सामग्री खरीदा गया। यही नहीं शासन के आदेश के विरुद्ध स्टाफ की नियुक्तियां भी कर ली गईं। इतना ही नहीं भ्रष्टाचार की सीमा पार करके वहां के कर्मचारियों का स्थानान्तरण स्थायी जगह पर करके एक पद पर तीन-तीन कर्मचारियों की फर्जी नियुक्ति की गई।

शासन के आदेश से डिप्टी डायरेक्टर मंडलीय श्री दाता दीन ने निर्भीकतापूर्वक ईमानदारी से जांच किया। उपरोक्त सभी आरोप सिद्ध पाए गए। परन्तु डायरेक्टर कार्यालय में अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

हमारी राज्य सरकार से मांग है कि जांच रिपोर्ट पर तत्काल कार्यवाही की जाय तथा दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाये।

इलाहाबाद में विद्युत आपूर्ति उपक्रम के मस्टर रोल के मजदूरों के वेतन निर्धारण तथा विनियमितीकरण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, इलाहाबाद विद्युत आपूर्ति उपक्रम के मजदूर 12 मार्च से हड़ताल के रास्ते पर हैं। वर्षों से मस्टर रोल पर कार्य कर रहे लगभग 250 मजदूरों के विनियमितीकरण, नए वेतनमान के आधार पर महंगाई भत्ता, आवास सुविधा, खेल कोटा पूर्ण करने, मिस्त्री, कुली, ड्राइवर, चौकीदार आदि से सेवा नियमों के अनुसार काम लेने आदि की मांगों पर कई बार समझौता हो चुकने के बाद भी क्रियान्वयन न होने की मजबूर पूर्ण स्थिति में यह कदम उठाना पड़ा है। यदि मांग शीघ्र पूरी न की गई तो विद्युत आपूर्ति भी ठप्प करने की गम्भीर चेतावनी दी गई है। इस समय इलाहाबाद जनपद में हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट, पब्लिक स्कूल आदि की परीक्षाएं प्रारम्भ हैं। हजारों छात्र-छात्राएं उसमें सम्मिलित हो रही हैं। उनके पठन-पाठन तथा परीक्षा की तैयारी में भी विद्युत आपूर्ति न होने से बाधा पड़ने की पूरी सम्भावना है।

अतः सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकर्षित करके

इलाहाबाद विद्युत आपूर्ति प्रदेय के मस्टर रोल मजदूरों का विनियमितीकरण करने तथा अन्य मांगों की शीघ्र पूर्ति करने की मांग करता हूं ।

लहरपुर तथा खैराबाद, सीतापुर के बुनकरों से खरीदे हुए सामान के मूल्य के भुगतान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । जनपद सीतापुर में कस्बा–लहरपुर, खैराबाद में बुनकरों का माल खरीदने हेतु उ0 प्र0 हथकरघा निगम ने खरीद सेन्टर खोले हैं । लगभग 20 लाख रुपए की दरियां खरीद ली हैं जिसका भुगतान बुनकरों को कई महीने हो गया नहीं कर रहे हैं । जिसके कारण अधिकतर करघे बन्द हो गए हैं । जब बुनकर कम पेमेन्ट लेकर पूरे धन की रसीद लिखने पर तैयार हो जाता है तब भुगतान किया जाता है । दूसरी ओर उत्तर प्रदेश वित्त निगम बुनकरों को कर्ज वसूली की नोटिसें देकर बुनकरों को हवालात में बन्द कर रहा है जबकि बुनकरों ने जो कर्ज लिया है उसकी वसूली नियमानुसार 7 वर्षों में करनी है ।

जनपद के बुनकर उ0 प्र0 वित्त निगम और उ0 प्र0 हथकरघा निगम के आतंक से दुखी हैं और जनपद के बुनकरों में रोष व्याप्त हो गया है ।

अतः मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि बुनकरों के खरीदे माल का तुरन्त भुगतान कराया जाए और नियम विरुद्ध जबरदस्ती वसूलयाबी को रोका जाए ।

नगरपालिका, सीतापुर के विस्तार से प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों को आवश्यक सुविधाएं न दिए जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन तथा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि सीतापुर नगरपालिका का विस्तार हो जाने के कारण हुसैनगंज, विजवार, भलूही, लक्ष्मनपुर, हेमपुरवा, हस्याहलापुर, नैपालपुर आदि गांवों के जो क्षेत्र नगरपालिका सीमा के भीतर आ गए हैं वहां के नागरिकों से सभी टैक्स तो लिए जाने लगे परन्तु वहां अभी तक किसी भी प्रकार की नागरिक सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराई गई। सफाई तथा प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं, बार-बार आग्रह के बाद भी जल निकास हेतु न नालियां बनाई गईं न पुलिया । जलभराव में बजबजाते कीड़े तथा मच्छर सर्वत्र देखे जा सकते हैं। नागरिकों में असंतोष का मुख्य कारण यह है कि बराबर का टैक्स देने के बाद भी वह द्वितीय स्तर के शहरी समझे जाते हैं ।

आग्रह है कि इस क्षेत्र में भी सभी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध अर्थात् सार्वजनिक शौचालय, नालियां, सड़कें पुलियां बनें। विद्युतीकरण हो एवं सफाई की स्थायी व्यवस्था की जाए ।

गंगोह तथा नकुड़ नगरपालिका, सहारनपुर में बिजली की अनियमित आपूर्ति से जनता को कठिनाई होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम सरन–

मान्यवर, जनपद सहारनपुर की नगरपालिका गंगोह एवं नकुड़ में बिजली की आंख मिचौली के कारण आये दिन चोरियां

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो रही है। बिजली न मिलने से जल सप्लाई में भी बाधा पड़ रही है। हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षायें चल रही हैं। इससे छात्र भी परेशान हैं। उनकी तैयारी नहीं हो पा रही है। बिजली के न होने की वजह से रात्रि में आवागमन में बाधा उत्पन्न हो गयी है जबकि सरकार गांव के लिए अधिकाधिक समय तक बिजली मुहैय्या कराने का दावा करती है। कस्बा गंगोह के खेतों के नलकूप का ट्रांसफार्मर जला हुआ है। बिजली न मिलने के कारण ग्राम खानपुर, आलापड़ा के नलकूप भी बन्द हैं। नकुड़ व गंगोह ब्लाकों के अधिकांश नलकूपों को बिजली कायदे से नहीं मिल रही है। किसानों की गेहूं की फसल को पानी न मिलने के कारण किसानों को भारी क्षति पहुंच रही है। इस एरिया का किसान परेशानी में पड़ गया है। दोनों ब्लाकों की जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त हो रहा है।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन व शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि इस समस्या का समाधान करें।

(व्यवधान)

श्री कौशिक रमा शंकर–

सदन सेशन में है, फिर भी इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो जायं, यह खेदजनक बात है।

(व्यवधान)

आजमगढ़ में छतवारा मेहनगर मार्ग पर मेहनगर के निकट बाई पास निर्माण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री दीप नारायण–

मान्यवर, मैं माननीय सदन के सम्मुख अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को रखना चाहता हूं। जनपद आजमगढ़ में छतवारा मेहनगर सा0 नि0 विभाग की सड़क बनकर तैयार है मात्र मेहनगर के पास बाईपास शेष है। इस सड़क के 13, 14 किलोमीटर के बीच मगई नदी पर पुल स्वीकृत हो गया है और माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा सन् 1985 में शिलान्यास भी हो गया उसी समय माननीय मंत्री जी के पूछने पर सा0 नि0 विभाग के अधिकारियों ने सन् 1986 के बरसात के पूर्व पूरा करने का आश्वासन दिया। इस समाचार से जनता के अन्दर एक लहर सी पैदा हो गई परन्तु दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि लगभग 10 माह पूरा हो गया आज तक उसमें कोई प्रगति नहीं हुई और नये आये हुए अधीक्षण अभियन्ता महोदय से पूछने पर सीमेन्ट की कमी बताई जाती है जो एक प्रकार से निराधार है जबकि इनके पूर्व अधीक्षण अभियन्ता ने कार्य में तीव्रता दिखाई थी।

अतः हम सरकार से मांग करते हैं कि छतवारा मेहनगर की सड़क का छूटा हुआ बाईपास एवं मगई नदी के पुल का निर्माण अविलम्ब कराया जाय ताकि जनता को इस सड़क से अविलम्ब लाभ मिल सके।

आयुर्वेदिक महाविद्यालय, गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन को मान्यता दिलाने एवं उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को राजकीय सेवा में लिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न की ओर केन्द्रित करना चाहता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं । वृन्दावन में आयुर्वेदिक महाविद्यालय, गुरुकुल विश्वविद्यालय 1916 ई0 से चल रहा है । जिसमें प्रतिवर्ष 55 छात्र प्रवेश लेते हैं और चार वर्ष की शिक्षा के बाद उन्हें आयुर्वेद शिरोमणि की उपाधि दी जाती है । ये संस्था देश की आयुर्वेदिक शिक्षा देने वाली सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख संस्था है । किन्तु यहां से उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों की सरकार द्वारा अभी तक इस संस्था द्वारा दी गयी उपाधि को मान्यता प्रदान नहीं की गयी है एवं उपाधि पाये गये विद्यार्थियों को राजकीय सेवाओं में भी नहीं लिया जा रहा है, जिसके कारण छात्रों में घोर निराशा एवं अपने भविष्य को लेकर गम्भीर चिन्ता व्याप्त हो गयी है और वे अपनी मांगों को लेकर आन्दोलनात्मक रूख अपनाने के लिये मजबूर हो रहे हैं ।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस वि0 वि0 को मान्यता दिलाने एवं उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को शासकीय सेवा में लेने हेतु तुरन्त निर्देशित करें।

सत्रकाल एवं उपवेशन के दिनों में जिले के अधिकारियों द्वारा मीटिंग बुलाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 300 की 4 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं . . .

* श्री राम सरन–

मैं व्यवस्था का एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। चेयर की तरफ से कई दफा ऐसे आदेश हो चुके हैं (श्री शारदा प्रताप के हंसने पर) शारदा प्रताप को फिर अलीगंज का दरोगा मारेगा और वैसे ही मारेगा। यह ही-ही किया करते हैं जब देखो तब ही-ही करके हंसते रहते हैं। तो इनसे आप कह दें कि यह जरा सीरियस रहा करें . . .

श्री शारदा प्रताप–

यह हमारे नेता हैं और आज भी मैं इनकी कद्र करता हूं। मैंने तो इनके बारे में कोई शब्द नहीं कहा। मैं तो कौशिक जी से ऐसे ही बात कर रहा था। यदि कोई गुस्ताखी है तो मैं उनसे खेद प्रकट करता हूं, . . .

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, ठीक है, अब आप बैठिये।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, राम सरन जी भी जो एक्टीविटीज, हरकतें यहां सदन में करते हैं तो उनसे भी कह दें कि वह थोड़ा ऐसी बातें न करें।

श्री राम सरन–

मान्यवर, चेयर के आदेश हैं, कई दफे आदेश हो चुके हैं कि जब सदन चल रहा हो तो जिले के अधिकारी मीटिंग न बुलायें। लेकिन जानबूझकर मीटिंग बुलायी जाती है। सहारनपुर के एस0 पी0 ने 18 फरवरी को कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में मीटिंग बुलायी थी। तो 18 फरवरी को भी सेशन था। अबकी महीने में मेरे पास जो सूचना आयी है तो 24 तारीख को बुलायी है। मान्यवर, 24

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तारीख को भी सेशन है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि अधिकारी लोग मीटिंगों से बचना चाहते हैं और अपनी कुर्सियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अपमानित करते हैं विधायकों को। तो इसकी तम्बीह करें, इस पर एक्शन लें कि सेशन चलते कोई मीटिंग जिला स्तर पर न बुलाया करें। संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी बैठे हैं इस पर कार्यवाही करें।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, यह बात सही है कि सत्र के चलते ऐसी बैठकें नहीं बुलानी चाहिये जिनमें माननीय सदस्यों का जाना आवश्यक हो। मैं आश्वस्त करता हूं कि 24 तारीख की मीटिंग स्थगित कर दी जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष–

सब जगहों के लिये आदेश कर दीजिये।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसके लिये सब जगहों पर आदेश पहले ही से हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मेरे यहां बनारस में भी 10 मार्च को बैठक बुलायी गयी थी।

बस्ती जनपद की वर्ष 1984-85 की जिला योजना हेतु मांगी गयी धनराशि से कम आवंटन करने तथा उसके पूर्ण रूप से व्यय न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 300 के अंतर्गत 4 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं। श्री माता प्रसाद पाण्डे, श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी, श्री मुहम्मद आजम खां तथा श्री यदुनाथ सिंह। तो आप लोग 2–2 मिनट में अपनी बात कह दें।

*श्री माता प्रसाद पाण्डे–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने औचित्य के प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान सरकार की वित्तीय अनुशासनहीनता और संविधान के प्रति उपेक्षा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 202 (1) के अनुसार माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देश पर उस वर्ष की प्राप्तियां और व्यय का विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है जिसे वित्त विवरण के नाम से जाना जाता है। इसमें पूरा आय-व्ययक दिया जाता है। और अनुच्छेद 203 (2) के अंतर्गत विभागवार अनुदान सदन के पटल पर प्रस्तुत किये जाते हैं जिनके पारित हो जाने पर विनियोग विधेयक के माध्यम से शासन को अधिकार मिल जाता है कि वह संचित निधि से उतनी धनराशि उस मद में खर्च करे। मान्यवर, यह सरकार जो वित्त विवरण रखती है और जितनी धनराशि उसके लिये आवंटित की जाती है, जिसको सदन पारित करता है तो या तो उससे अधिक धनराशि खर्च की जाती है या फिर धनराशि खर्च ही नहीं की जाती है। अगर अधिक खर्च किया जाता है तो उसके लिये सप्लीमेंटरी लाने का प्राविधान है। लेकिन मान्यवर, जब मांग सदन में रखी गयी और उतनी धनराशि स्वीकृत हो गयी तो उसको न खर्च करने से विसंगतियां पैदा होती हैं। अगर आवश्यकता नहीं थी तो जो वित्त विवरण माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार रखा गया है वह धोखा देने के लिये रखा गया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

आप धोखे की बात न करें। नियमों का हवाला देकर ग्राह्यता पर बोलें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, जब विनियोग विधेयक पारित हो गया तो उतनी धनराशि खर्च करनी चाहिये। मैं एक उद्धरण देना चाहता हूं। बस्ती जनपद के लिये 1984-85 में जिला योजना से स्वीकृत हुआ 13 करोड़, 34 लाख और 49 हजार रुपया और यहां से 11 करोड़ 47 लाख 33 हजार की वित्तीय स्वीकृति गयी उसमें से मान्यवर, जिला प्रशासन व अन्य विभागों ने मात्र 984·8 करोड़ रु0 ही खर्च किया और इस प्रकार से 163·25 करोड़ रु0 उस वित्तीय वर्ष में स्वीकृति ही नहीं दी गयी और लगभग 1 करोड़ 67 लाख रु0 खर्च ही नहीं हुए और मान्यवर, यही नहीं वर्ष 1985-86 में जो जिला योजना से 13·32 करोड़ रु0 की धनराशि स्वीकृत हुयी जिसमें से अब तक केवल 9 करोड़ 76 लाख रु0 ही बस्ती जनपद को 28 फरवरी, तक दिया गया, जिसमें से अब तक वहां 6 करोड़ 76 लाख रु0 खर्च किया गया है।

जैसा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी जब इस प्रकार की कोई बात सामने आयी है तो उन्होंने अपनी बात को यहां पर बड़े ठोस तरीके से जैसे कोई अरुड़ गवैया होता है, तो वह अपनी धुन में भी पक्का होता है, इसी प्रकार से जब मा0 वीर बहादुर सिंह जी नये मुख्य मंत्री इस प्रदेश के बने तो इन्होंने यह यहां घोषणायें कई बार की हैं कि हमारे जितने भी विभाग हैं और उनमें जो भी विकास कार्य होने हैं और इसके लिये जो जनपदों को धन आवंटित किया जाता है, उसमें हर जनपद अपना-अपना लक्ष्य पूरा करता है और फिर आगे उन्होंने कहा समय के अन्दर समस्त विकास कार्य समाप्त होने चाहिए और इन विकास कार्यों में कोई हीला-हवाला बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। तो मान्यवर, इनके इस कथन के बाद भी आप देखें कि जिलों में आज क्या हो रहा है। वित्तीय संसाधनों के नाम पर जो पैसा इनको दे दिया जाता है, उस पैसे का पूरा-पूरा उपयोग कभी यह करते नहीं हैं और इनके यहां एक पी0 एल0 एकाउंट होता है, हर जिले में, यह सारा पैसा उसी में डाल देते हैं। इसलिये मान्यवर, इस ओर पूर्णरूप से नियमों का पालन नहीं हो रहा है, जिससे बहुत सी संवैधानिक वित्तीय अनियमितताएं पैदा हो गयी हैं। इसलिए मान्यवर, औचित्य के प्रश्न पर मैं आपसे विनिश्चय की प्रार्थना करता हूं।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, हमारे वरिष्ठ सदस्य मा0 माता प्रसाद जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह स्वयं भी जानते हैं कि जिला योजना के रूप में कोई भी धन विधान मण्डल से स्वीकृत नहीं होता है। विभिन्न विभागों से जो लगभग 300 हैं, मांगें आती हैं, उनकी मांगों को देखते हुए धन आवंटित कर जिला प्रशासन को भेज दिया जाता है, जिला प्रशासन वहां की आवश्यकताओं को देखते हुए फिर वह योजना के हिसाब देते हैं और फिर 3 माह बाद उस पैसे की मानीटरिंग होती है और यह देखा जाता है कि क्या-क्या कार्य प्रगति में आये, प्रगति को देखते हुए फिर आगे का धन आवंटित होता है, मान-

नीय सदस्य से मैं यह कहना चाहूंगा कि पहले वह अपने यहां की योजनाओं को देखा करें कि जिस योजना में जितना धन आवंटित हुआ है, उसकी गति क्या है, तो सारी स्थिति इनके सामने स्पष्ट होती रहेगी और जिस योजना में धन आवंटित किया गया और उसकी प्रगति ठीक नहीं पायी गयी, तो आगे की स्वीकृति देने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, इसलिये माननीय सदस्य ने यह प्रश्न भ्रमवश उठाया है, इसलिए इस पर औचित्य का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने मा0 पाण्डेय जी और माननीय संसदीय कार्य राज्य मन्त्री जी को सुना और जैसा कि पाण्डेय जी ने कहा कि वर्ष 1984-85 में 13 करोड़, 34 लाख, 49 हजार रु0 स्वीकृत हुआ था किन्तु शासन द्वारा जो धन आवंटित किया गया वह 1147·33 करोड़ रु0 है, इसी प्रकार वर्ष 1985-86 में 13·32 करोड़ विधान मण्डल द्वारा प्रदान किया गया और इनके जनपद बस्ती को 9·76 करोड़ रु0 ही शासन ने दिया और उसमें भी वहां पर केवल 6·76 करोड़ रु0 ही खर्च किये गये। इसलिए मैं तो इसमें जहां तक समझता हूं वह यह कि जिलेवार स्वीकृति तो मिलती नहीं और जहां तक हमारी जानकारी है कि आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन द्वारा 10-10 या 20-20 करके उस मद को धन दे दिया जाता है, लेकिन सामूहिक रूप से कभी किसी जनपद को नहीं दिया जाता है।

विनियोग विधेयक का आपने जिक्र किया। विनियोग विधेयक के जरिये जो विधान मण्डल से स्वीकृति होती है, वह केवल अधिकतम सीमा निर्धारित करता है। इसका तात्पर्य यह है कि स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि खर्च नहीं की जा सकती। यदि शासन इससे कम खर्च करता है तो वह संविधान का उल्लंघन नहीं है। फिर ऐसे मामले की देखरेख प्राक्कलन समिति करती रहती है। अतः इस ओर शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया जाता है। औचित्य प्रश्न के रूप में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अध्यादेश के अननुमोदन के संकल्प तथा विधेयक पर संशोधन प्रस्तुत करने हेतु कार्य-सूची में नाम अंकित न होने पर भी नेता विरोधी दल को अवसर दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

इस सदन के सदस्यों की नियमावली से, संविधान से और सबसे ऊपर आपकी पीठ से संरक्षण मिलता है। कल जो गिरोह बन्दी विधेयक आया था, उस पर मैंने आपत्ति किया कि तीन दिन पहले कापियां नहीं मिलीं और उसको संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने यह कह कर समाप्त कर दिया कि चूंकि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश को सदन ने मान लिया, इसलिए वह नियम फेल कर गया। उधर आपने भी ऐसा ही निर्देश दे दिया। उसके बाद हमने विधान सभा की अब तक की कार्यवाही लाइब्रेरी में देखने की कोशिश किया और हाउस आफ कामन्स की प्रोसीडिंग्स जो मिल सकीं, उनको भी मैंने देखा। राज्य सभा और लोक सभा की प्रोसीडिंग्स को भी देखा, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसा दृष्टांत नहीं मिला कि कार्य मंत्रणा समिति

की सिफारिश मान लेने पर सारे नियम अपने आप निलंबित हो जाते हैं। मान्यवर, आज इस प्रश्न को जो मैंने उठाया, वह कल की बात को फिर से उठाने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए जो आपकी पीठ से दिया गया निर्देश है, वह उदाहरण न बन जाय, इसलिए मैंने इस प्रश्न को उठाया है।

कल को कार्य-सूची की मद संख्या-9 पर प्रकाशित संकल्प और मद संख्या-10 पर दिये गये संशोधन प्रस्तावों में से किसी पर भी प्रस्तावकों में श्री मुलायम सिंह यादव का नाम शामिल नहीं था। इसके बावजूद श्री यादव ने कार्य-सूची की मद संख्या-9 पर दिये गये संकल्प और मद संख्या-10 पर दिये गये प्रस्ताव नं0-1 को सदन में प्रस्तुत किया। यह सत्य है कि नेता सदन और नेता विरोधी दल की सदन में विशेष स्थिति होती है और उन्हें किसी भी समय किसी विषय पर माननीय अध्यक्ष की अनुमति से अपने विचार रखने की स्वतंत्रता और अधिकार है, लेकिन उनका यह अधिकार भी नियमों और संविधान की परिधि के अन्दर ही है। इसी प्रकार से कार्य-सूची को निश्चित करने या उसे परिवर्तित करने की सार्वभौम शक्ति सदन की है, लेकिन माननीय सदन को भी अपने इस अधिकार का प्रयोग संविधान की परिधि में ही करना पड़ता है। किसी माननीय सदस्य द्वारा दिये गये संकल्प या प्रस्ताव को सदन में किसी अन्य माननीय सदस्य या नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, जब तक कि प्रस्तावक ने उन्हें अपनी ओर से कार्य करने के लिये आपको अथवा माननीय अध्यक्ष को लिखित रूप में सूचित करके प्राधिकृत न किया हो। कल से पहिले तक की उपलब्ध कार्यवाहियों से भी इसी मत की पुष्टि होती है। ऐसी स्थिति में इस सर्वमान्य और अब तक की पोषित परम्परा के विपरीत श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रश्नगत संकल्प और प्रस्ताव न केवल नियम विरुद्ध है, वरन् संविधान के अनुच्छेद 194 की भी खुली अवहेलना और उल्लघंन है।

मान्यवर, उस पर अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी परन्तु अनुमति दी गई। माननीय नेता विरोधी दल के प्रति मेरा सम्मान है उनके विरोध में मैं कुछ नहीं कहता लेकिन कल की कार्य प्रणाली देखकर ऐसा लगता है कि मूव करने का अधिकार मिल गया। मान्यवर, इससे तो ऐसा लगता है। यह तो हमारे अधिकारों में कटौती होगी इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसको स्पष्ट कर दें कि वह जो भी चीज हुई, कल विशेष परिस्थिति में हुई, केवल कल तक के लिए थी। आगे के लिए उद्धरण नहीं बनेगी। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं माननीय तिवारी जी की इज्जत करते हुए यह कहना चाहता हूं कि सदन की परम्पराओं और मान्यताओं को मानने के लिए सभी लोगों को भागीदार होना पड़ता है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी नियमावली और नियमों के मुताबिक हम इस बात के लिए बाध्य हैं कि मर्यादा बनाये रखें और पीठ से जो भी निर्णय दिया जायेगा उसकी मर्यादा बनाये रखें। जब सदन के अन्दर संसदीय गरिमा का पालन हम नहीं करेंगे तो सदन के बाहर जो लोग हैं वह तो इस सदन की गरिमा का पालन कर ही नहीं सकते हैं। यह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो औचित्य का प्रश्न यहां उठा है यह आपके कल के निर्णय के बारे में उठा है। मान्यवर, आपके निर्णय से हम असहमत हो सकते हैं लेकिन उस असहमति के साथ भी आपके निर्णय का पालन करने का हमारा कर्तव्य है। मान्यवर, बहुत से निर्णय ऐसे होते हैं जिनसे हम असहमत हो सकते हैं लेकिन असहमत होने के साथ ही साथ उस निर्णय को भी मानने का हमको आचरण करना चाहिए। प्रश्न यह उठता है कि आपकी कुछ अवशिष्ट शक्तियां भी हैं और उन अवशिष्ट शक्तियों को देखते हुए आप किसी भी प्रकार का निर्णय दे सकते हैं।

मान्यवर, जहां तक प्रश्न उठता है कि जिस क्रम में छपा हो कार्य-सूची में, उसे उसी क्रम से लिया जाय। यह जरूरी नहीं है कि जिस क्रम से छपकर आया हो उसी क्रम से बोलने का आदेश या निर्देश दिया जाय। मान्यवर, लोकतंत्र परस्पर सहमति की प्रक्रिया है। यह आपस में सदन में बोलने की प्रक्रिया निर्धारित करता है ताकि लोकतन्त्र की प्रक्रिया में आपस में वैमनस्यता न हो, मतभेद न हो, भेदभाव की बात न हो। कार्य मंत्रणा समिति का फैसला अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। मान्यवर, दलीय लोकतंत्र में आंतरिक लोकतंत्र भी होना चाहिए। आंतरिक प्रक्रिया के अन्तर्गत यदि किसी मामले में मतभेद होता है तो उस मामले को दल के अन्दर उठाना चाहिए, उसे सदन में उठाने का कोई औचित्य नहीं है। एक बात और है कि आपको निर्देश देने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं है लेकिन आप किसे बुलायेंगे और किसे नहीं बुलायेंगे यह आपके विवेक से होना चाहिए। जो नाम या सूची आपके पास भेजी जाती है वह दलों की स्थिति के अनुसार, चुनकर आई हुई संख्या के आधार पर आपको सूची दी जाती है। आप बाध्य नहीं हैं कि जो लिखकर क्रम आया है उसी के हिसाब से आप बोलने का अवसर दें। यह आपके विवेक पर है और अगर आप यह समझते हैं कि सदन में बोलने के लिए, सदन की गरिमा को बनाने के लिए किसी विशेष सदस्य को बुलवाना जरूरी है तो आप उसको बुलवा सकते हैं और आपकी व्यवस्था को सदन में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर हमें कुछ कहना है तो हम अलग से आपके चैम्बर में बात कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त और भी कई तरीके हो सकते हैं। हम सारे लोग इस गरिमा का पालन करेंगे तभी यह सदन अच्छी तरह चल सकेगा।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, माननीय रवीन्द्रनाथ तिवारी जी ने नियमों के संबंध में मामला उठाया है। नियम वही है 36 घन्टे का समय विधेयक पर होना चाहिये। लेकिन मान्यवर, हमेशा यह परम्परा और परिपाटी रही है कि अगर कार्यमंत्रणा समिति किसी फैसले को करती है और सदन उसकी संस्तुति को स्वीकार करता है तो संबंधित नियम स्वतः निलम्बित समझे जाते हैं। जहां तक गुप्त बैठक का प्रश्न है, ऐसी कोई गुप्त बैठक नहीं हुई है, इसमें लगता है तिवारी जी को गलतफहमी हो गई। परसों 12 तारीख को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई थी, उसमें रवीन्द्र नाथ तिवारी जी के प्रतिनिधि रघुबर दयाल वर्मा जी मौजूद थे। नेता रेवती रमण सिंह जी थे नहीं, उनके स्थान पर रघुबर दयाल वर्मा जी थे। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता नहीं थे, उस पार्टी के राज किशोर सिंह थे। कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जिसमें एक दूसरे की बात को ध्यान में रखना होता है। श्री मुलायम सिंह यादव को चौधरी चरण सिंह को सी-आफ

करने दिल्ली जाना था। इस दृष्टि से कार्य-मंत्रणा समिति में फैसला लिया गया। जब भी कोई पोलिटिकल पार्टी का मामला होता है, कोई मानवीय प्रश्न होता है तो हमेशा मिल बैठकर विचार हुआ है और परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो परिवर्तन किया जाता है।

संशोधन के मामले में कुछ वही बात रही, समय मिला नहीं। कल कुछ लोगों ने संशोधन दिया, श्री मुलायम सिंह ने भी संशोधन दिया। ऐसा नहीं है कि नियमावली को भंग किया गया है या जो निर्णय आपकी पीठ से दिया गया है, उसमें औचित्य का प्रश्न बनता है। मैं माननीय तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि जिस परिस्थिति में फैसला किया गया है, उस पर अपने औचित्य के प्रश्न पर बल न दें। जो निर्देश कल के लिये हुआ था वह उस परिस्थिति विशेष के लिये किया गया है। जो नियमावली का बन्धन है वह तो हमेशा-हमेशा लागू रहेगा, जब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय तिवारी जी ने जो बात कही है, उस पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी है। मान्यवर, जब कार्यमंत्रणा समिति का प्रस्ताव आता है तो सामान्यतः उसका विरोध नहीं होता है, लेकिन उस पर पुनर्विचार की प्रार्थना की जा सकती है। पूर्व दृष्टान्त भी है। मेरी प्रार्थना पर पुनर्विचार हुआ है, पिछली विधान सभा में मैनेजर सिंह की प्रार्थना पर पुनर्विचार हुआ था। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कार्यमंत्रणा समिति में या आपके कक्ष में बैठकर कोई फैसला कर लें तो वह स्वतः लागू नहीं होता। नियमों के निलम्बन पर लागू [illegible] होता। [illegible] सदा उसकी अनुमति [illegible] दें।

मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। नियमों में कमेटियों का चुनाव आनुपातिक पद्धति से किया जाता है। नेतागण बैठकर यह फैसला कर लें कि अध्यक्ष को इसके लिये अधिकृत किया जाता है तो इससे आप अधिकृत नहीं हो गये। तद्विषयक प्रस्ताव संसदीय कार्य-मंत्री को लाना पड़ता है, नियमों को निलम्बित करने का और आपको अधिकार देने का। उस पर सदन सहमत होता है तब चुनाव का अधिकार आप में सन्निहित होता है। जो कुछ कल हुआ वह अच्छा नहीं हुआ, अगर न होता तो अच्छा होता। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस मामले को चर्चा का विषय न बनाकर अन्यत्र कहीं बैठकर या आपके कक्ष में आकर इस पर विचार कर लें। मैं माननीय तिवारी जी से आग्रह करूंगा, वह हमसे बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, कि वह अपनी सूचना पर पुनर्विचार कर लें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मैंने पहले ही निवेदन किया कि कल जो कुछ हुआ, उस पर कोई बहस नहीं है। मैंने निवेदन किया कि कल जो कुछ हुआ वह विशेष परिस्थिति में हुआ। मेरा केवल इतना निवेदन है कि आपकी पीठ से ऐसी व्याख्या चली जानी चाहिये, आपकी पीठ के जो निर्देश हैं उसके संकलन में यह रहे कि विशेष परिस्थिति में यह निर्देश जारी किया गया था। यह आगे के लिये लागू नहीं माना जायेगा जब तक रूल्स को निलम्बित नहीं किया जायेगा। सदन सर्वोपरि है लेकिन संविधान के अन्दर। संविधान के बाहर अगर सदन चाहे कि सेन्ट्रल लिस्ट पर कानून बना दे तो [illegible] आप परिमित [illegible]। सदन चाहे कि [illegible]न्द्र नाथ तिवारी [illegible] संकल्प नहीं आने [illegible]गा। तो क्या मान्यवर, आप उसको स्वीकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करेंगे ? तो इस तरह से मान्यवर, मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि कल के एजेन्डे में माननीय नेता, विरोधी दल का नाम नहीं छपा, जो देखेगा वह कहेगा कि बिना उसके प्रस्ताव के उन्होंने कैसे पढ़ा। तो इस बात पर आपका स्पष्ट निर्देश आना चाहिये कि कल जो हुआ, आगे नहीं होना चाहिये।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, इसमें जो भी बात कही गयी है, उसमें किसी से असहमत होने का प्रश्न नहीं है, लेकिन आपके संज्ञान में यह बिन्दु लाना चाहता हूं कि आप की स्थिति अम्पायर की है। जो भी बात होती है, उसमें दो टीमें हैं। जो भी कभी-कभी सहमति नहीं होती है, तो अम्पायर जो कहता है, हमें स्वीकार करना होता है। हमारी नियमावली के नियम 314 के अनुसार आपमें सारी शक्ति निहित कर दी गयी है। यह देखते हुए कि नियमों का पालन नहीं हो रहा है, लेकिन चूंकि आपमें जो विशिष्ट शक्तियां हैं, उनका आप उपयोग करते हैं, तो नियमानुसार करते हैं। तो आप जब भी कोई बात करते हैं, स्वीकार करते हैं या नहीं, नियमानुसार करते हैं। कार्यमंत्रणा समिति की बात गुप्त जी ने कही। मान्यवर, कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय को उसी दिन सम्मानित सदन में प्रस्तुत किया गया था और उसे सर्वसम्मति से सदन ने स्वीकार किया था। उसके बाद दोबारा पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं रह जाती, न इसका कोई औचित्य रह जाता है। मा0 तिवारी जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। वह नियमानुसार की बात कहते हैं तो जब तक नियमावली में नियम 314 है, आपकी किसी बात पर टिप्पणी करना संसदीय शिष्टाचार के अनुरूप नहीं प्रतीत होता। मैं आग्रह करता हूं कि यह प्रकरण यहीं पर समाप्त किया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह जो नियम 314 की चर्चा की गयी, मैं उसको पढ़ देना चाहता हूं। मान्यवर, इसमें है कि अध्यक्ष का जो विनिश्चय हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं की जायेगी। तो आपके विनिश्चय पर आपत्ति नहीं की जा रही है, केवल पुनर्विचार की बात कही गयी है। इसमें नियम 314 के पहले नियम 313 देखना भी अत्यन्त आवश्यक है। मान्यवर, आप में सब अधिकार निहित कर दिये गये हैं, लेकिन 313 में है कि ऐसे समस्त प्रश्नों का जिनकी इन नियमों में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गयी है, तो जहां पर नियमों में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गयी है, वहां आपको सब अधिकार है, लेकिन जहां नियमों में परिभाषित कर दिया गया है, वहां नियम ही सुप्रीम है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, यह जो नियम 313 और 314 की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया, तो मान्यवर, यह एक विधायी प्रक्रिया का मामला है और नियम 313 या 314 से इसमें फर्क है। इसमें 313 के बारे में कोई प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं की गयी है। यदि इस प्रकार के प्रश्न यहां पर उठने

लग जाएंगे तो संसदीय लोकतंत्र की प्रक्रिया है, दुनिया के किसी भी संसदीय लोकतंत्र में इतना विकास नहीं हो पाया है कि उसमें एक एक चीज को परिभाषित किया गया हो। इसके बारे में कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गयी है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर सदन की एक कमेटी बना दें जो यह विचार करे कि हमारी नियमावली का विकास कैसे किया जाय और नियमों के अनुसार प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाय। आप यह कर दें तो अच्छा हो हमारी नियमावली में अभी भी बहुत से प्राविधान स्पष्ट नहीं हैं और प्रक्रिया ठीक से नहीं दी हुई है तो आप यह कमेटी बना दें।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने कल भी इस पर कह दिया था आज इस पर और स्पष्ट कर देता हूं।

कल मद संख्या 9 पर गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अध्यादेश पर अननुमोदन का संकल्प प्रस्तुत किया जाना था जिसमें श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा अन्य कतिपय सदस्यों के नाम छपे थे। मद संख्या 10 पर तत्सम्बन्धी विधेयक के विचार के प्रस्ताव पर 2 संशोधन भी मुद्रित किये गये थे। पहले संशोधन के अन्तर्गत विधेयक को जनता की राय हेतु परिचालित किया जाना था और दूसरे संशोधन द्वारा विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाना था। जिन सदस्यों से संकल्प और संशोधन की सूचना पहले प्राप्त हो चुकी थी उन सदस्यों का नाम कल की कार्यसूची में छपा हुआ था। माननीय नेता विरोधी दल, कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री कौशिक रमाशंकर आदि के हस्ताक्षर से संकल्प और संशोधनों की सूचना कल दिनांक 13-3-86 को प्राप्त हुई जिसे विशेष परिस्थितियों में ग्राह्य कर लिया गया। जब नेता विरोधी दल के संकल्प और संशोधन ग्राह्य कर लिये गये तो करण संख्या 50 के अन्तर्गत उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिये थी और वह प्रदान की गई। माननीय नेता विरोधी दल ने तदनुसार संकल्प और परिचालन संबंधी संशोधन प्रस्तुत किया। जहां तक प्रवर समिति को भेजने संबंधी संशोधन का सवाल है माननीय श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी का नाम कार्य सूची में मुद्रित किया गया और उन्हें उक्त संशोधन प्रस्तुत करने की अनुज्ञा भी प्रदान की गई थी। अतः अनौचित्य का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिये।

मैं समझता हूं कि जो कुछ कल हुआ है, नियमों के अन्तर्गत ही हुआ है, कोई नियम विरुद्ध काम नहीं हुआ है। पीठ ने वह स्वीकार कर लिया और वह अधिकार पीठ का है नियम 313 के मातहत और जब तक विशेष परिस्थितियों और नियमावली के नियम 313 रहेगा, यह काम कभी रोका नहीं जा सकता, यह हमेशा होगा।

जिलाधिकारी मुरादाबाद द्वारा श्री मुहम्मद आजम खां को राष्ट्रीय मार्ग से मुरादाबाद होते हुए दिल्ली जाने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं जो आज सदन के संज्ञान में प्रश्न ला रहा हूं, यह औचित्य का प्रश्न बनता है।

मान्यवर, संविधान से हमें फ्रीडम आफ मूवमेंट का राइट है। यानि हम देश में जहां चाहें जायें, जिस रास्ते से चाहें गुजरें। लेकिन, अगर कानून कहीं हमारे जाने से यह समझता है कि कहीं साम्प्रदायिक भावना भड़क सकती है, उसे रोकने के लिए, हमारे पास एक अपना जाब्ता है। और उस जाब्ते के तहत

किसी भी शख्स का मूवमेंट रोका जा सकता है। मान्यवर, 10 तारीख को तकरीबन दिन के 12 बजे मैं और मेरे साथ श्री मुजफ्फर साहब गृह सचिव के पास गए और उनसे यह कहा कि सम्भल के हालात अच्छे नहीं हैं, हमारे पार्टी के विधायक श्री बर्क साहब वहां एम0 एल0 ए0 हैं, इसलिए उनकी खैरियत और सम्भल की खैरियत लेने के लिए हमें डी0 एम0 मुरादाबाद और डी0 एम0 मेरठ के लिये अलग-अलग पत्र दे दें ताकि वहां कोई परेशानी न हो। उन्होंने हमसे कहा कि अपना पूरा प्रोग्राम उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को नोट करा दें। मान्यवर, हमने इन्ताही नेक नीयती से अपना प्रोग्राम कि-पंजाब मेल से जायेंगे, रामपुर अपने घर रुकेंगे फिर अगले दिन सुबह सम्भल जायेंगे, फिर मेरठ और दिल्ली जायेंगे—नोट करवा दिया।

मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि उसके बाद हमें मुरादाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ से दफा 144 के अन्तर्गत एक नोटिस मिला कि आप मुरादाबाद नहीं आ सकते।

मान्यवर, सब अवगत हैं कि सम्भल के हालात अच्छे नहीं हैं। हमारे वहां जाने से, हमारा यह ख्याल था कि हम अगर दोनों सम्प्रदाय नहीं तो किसी एक सम्प्रदाय के बीच किसी अच्छे माहौल की इब्तिजा कर सकते हैं। लेकिन अगर इंतजामिया नहीं चाहती है, तो हमें नहीं जाना चाहिये, लिहाजा हमने यह नोटिस रिसीव किया। मान्यवर, हमें दफा 144 से एतराज बिल्कुल नहीं है, एतराज दो बातों का है। जो भाषा है नोटिस की वह देखें—चूंकि दोनों सम्प्रदाय के लोगों के विश्वास की भावना बनाए रखने की आवश्यकता है इसलिए किसी भी सम्प्रदाय के किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की साम्प्रदायिक भावना को बढ़ावा देने वाली, किसी बात पर रोक लगाना अत्यन्त आवश्यक है....

श्री उपाध्यक्ष—

यह नोटिस में आपने दिया नहीं है।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मैंने इसी परिप्रेक्ष्य में अपनी नोटिस दी है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप उसमें से हवाला दे रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, उसका मैं एक हिस्सा पढ़ रहा हूं और नोटिस भी मैंने इसी संबंध में दी है।

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि मुझे एतराज वहां जाने से रोकने का नहीं है, एतराज इस बात का भी है कि ए0 डी0 एम0 के यहां से जो नोटिस आई हमारे वहां जाने से साम्प्रदायिक भावना भड़क जायेगी यह पहले से ही कैसे मान लिया गया? इस प्रकार की चीज सी0आर0पी0 सी0 में कहीं इंगित नहीं की गयी है। दो तीन दिन पहले ही दारूल शफा से चाहे कोई सो रहा हो, खा रहा हो, यह अनुमान लगा लेना कि उसके द्वारा दफा 144 का उल्लंघन हो रहा है कहां तक उचित है? इसलिये मान्यवर, मैं जो औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं यह आज इस इंतजामिया की सरकार का एक सिलसिला बन गया है कि इनको पहले ही एहसास हो जाता है कि दफा 144 का उल्लंघन होने जा रहा है।

मान्यवर, रामपुर से नेशनल हाई-वे जो मुरादाबाद होते हुये दिल्ली जाती है। हमने कह दिया था कि हम सम्भल नहीं जायेंगे, हम मेरठ नहीं जायेंगे लेकिन

हमारे दिल्ली जाने के अधिकार को जिलाधिकारी, मुरादाबाद नहीं रोक सकता। अगले रोज सुबह के वक्त मैं डी0एम0 से मिला उन्होंने कहा कि हम नहीं रोकेंगे। मैंने कहा कि आप डी0एम0 मुरादाबाद से कह दें कि यदि वह हमें नेशनल हाई-वे पर गिरफ्तार करना चाहते हैं तो करें। इसके बाद मैं एस0पी0 से मिला। एस0पी0 ने कहा कि "यदि कोई ऐसा आर्डर है, तो वह गलत है। मैं आपको गाड़ी देता हूं और सुरक्षा दल देता हूं आप दिल्ली चले जाइये।" हमारे साथ पुलिस इन्सपेक्टर और पुलिस जवानों को साथ कर दिया गया हम दिल्ली के लिये रवाना हुये। कोशी ब्रिज पर जिलाधिकारी ने परगनाधिकारी को आदेश दिये थे कि वह दस तारीख से 31-3-86 तक इस नोटिस को सर्व करने के लिये वहां पर खड़े रहें। मैं कहता हूं इस मामूली दफा की तौहीन न की जाये। मेरा जुर्म बड़ा है सजा भी बड़ी ही होनी चाहिए। कोर्ट बड़ी दफा में गिरफ्तार करें। रेलवे क्रासिंग बन्द कर दिया गया और कहा गया कि आप नेशनल हाई-वे पर नहीं जा सकते हैं। इसलिये मान्यवर, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि तीन चार दिन पहले यह अनुमान लगा लेना कि दफा 144 का विरोध किया जा रहा है कहां तक उचित है? संविधान की धारा 19 जिसमें हमारे 'राइट आफ मूवमेण्ट' के वास्ते है, क्या उसके तहत सरकार का कोई जिलाधिकारी नेशनल हाई-वे पर जाने से किसी विधायक या आम आदमी पर प्रतिबन्ध लगा सकता है? इन दोनों सवालों को लेकर मेरा कहना है कि औचित्य के तौर पर इजाजत दी जाय।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, आपने इससे पहले श्री फजलुल बारी को बोलने का मौका नहीं दिया था।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य घटना पर नहीं बोले, उनको रोका गया, उस पर वह बोले।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, माननीय आजम खां साहब को कष्ट हुआ है। माननीय आजम साहब ने कहा कि एक सौ चौवालिस दफा को लगाने पर उन्हें कोई एतराज नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को यह आशंका कैसे हो गयी कि हमारे वहां जाने से कानून व्यवस्था खराब होगी। उन्होंने यह भी कहा कि एस0डी0एम0 को 31 तारीख तक वहां पर खड़ा होने के लिये कहा गया। मान्यवर, जैसे कि आप जानते हैं, सम्भल की स्थिति इस समय बहुत सम्वेदनशील है। माननीय सदस्य श्री आजम साहब ने गृह सचिव को जो कार्यक्रम दिया था उसमें इन्होंने पहले मेरठ जाने, मेरठ के बाद सम्भल जाने के बारे में कहा था और अपनी यात्रा का उद्देश्य भी बताया था। उस उद्देश्य की पूर्ति के बाद दिल्ली जाने की बात कही गयी थी। मान्यवर, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि किसी भी सम्मानित सदस्य की यात्रा में आने जाने के लिये कोई अवरोध हो, जैसा कि पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं। मैं पुनः उस बात पर बल देता हूं कि सरकार के सामने कानून व्यवस्था को बनाये रखने का बहुत बड़ा लक्ष्य है। यदि मान्यवर, कानून व्यवस्था नहीं होगी तो हमारे विकास के काम नहीं हो पायेंगे। इस लिये कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये भले ही हमें कोई कठोर निर्णय लेना पड़े और उससे हमारे सदस्यों को भले ही कष्ट हो, लेकिन जब तक शांति व्यवस्था नहीं बनी रहेगी, हम यह कार्यवाही करते रहेंगे। माननीय सदस्य ने मुजफ्फर हसन की बात कही जो हमारे भूतपूर्व सांसद हैं। वह

बावरी एक्शन कमेटी के संयोजक थे और सम्मानित सदस्य भी उसके सदस्य हैं । जिस क्षेत्र में पहले ही सम्वेदनशीलता का वातावरण हो यदि वहां पर यह लोग जायें तो क्या स्थिति खराब नहीं हो सकती है ? जिला प्रशासन ने जो भी निर्णय लिया वह सोच समझकर लिया। यह जो रुकावट पैदा की है, वह इसलिये की है कि इनके जाने के बाद सम्भल और मेरठ की स्थिति खराब हो सकती थी । मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम परिस्थितियों को, प्रकरण को समझते हुए इन नगरों की यात्रायें तभी करें जब स्थिति सामान्य हो जाय ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

यह तो आरोप हो गया ।

(श्री फजलुल बारी, श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी तथा श्री मुहम्मद आजम खां के एक साथ खड़े होने से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायं, मैं बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मैं कहना चाह रहा हूं कि दफा 144 का जैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे रोकने के लिये इससे भी बड़ा कानून इस्तेमाल किया जा सकता है । यह गलत है । इसका जवाब नहीं आया कि नेशनल हाई वे और ट्रैक पर इनका अधिकार नहीं है ?

(श्री मुहम्मद आजम खां द्वारा लगातार बोलते रहने से घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं आप बैठ जायं । मैं नियम 300 में इस सूचना को अस्वीकार करता हूं । इसके अतिरिक्त एक सूचना श्री यदुनाथ सिंह जी की थी, वे इस समय हैं नहीं, यह भी अस्वीकार होती है ।

उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 1986, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 4 मार्च, 1986 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 13 मार्च, 1986 को वापस प्राप्त हो गया है ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष की आज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1986 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 14 फरवरी, 1986 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 1 मार्च, 1986 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 10 मार्च, 1986 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1986 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष की आज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम

जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1986 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 14 फरवरी, 1986 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 1 मार्च, 1986 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 10 मार्च, 1986 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1986 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया।

जनपद उन्नाव के ग्राम हिलौली को टाउन एरिया घोषित किये जाने के संबंध में याचिकाएं

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद उन्नाव के ग्राम हिलौली को टाउन एरिया घोषित करने विषयक श्री मनमोहन लाल शुक्ल तथा श्री बाबादीन रावत, निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(समय 1 बजकर 15 मिनट)

शून्य काल प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत 15 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसे मैं पढ़ रहा हूं:–

1–कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री कौशिक रमाशंकर, श्री राम सरन दास, श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ श्री बाबू राम यादव, श्री शारदा नन्द अंचल तथा श्री पारस नाथ यादव।	लखनऊ जनपद में 85,000 बच्चे कुपोषण का शिकार।
2–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी	आवास विकास विभाग में 3000 कर्मचारियों की सेवायें समाप्त।
3–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी	सीतापुर में मूंगफली के कम उत्पादन से बेरोजगारी की समस्या।
4–श्री अनुग्रह नारायण सिंह	इलाहाबाद में डाक्टरों की हड़ताल।
5–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त	समाज कल्याण निदेशालय में हड़ताल।
6–श्री यदुनाथ सिंह	माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा हजारों छात्रों की कापियों का पुनर्मूल्यांकन न किया जाना।
7–श्री राम नरेश तथा श्री शारदा प्रताप शुक्ल	गाजियाबाद जनपद में पुलिस द्वारा गिरोहबन्द अपराधियों को संरक्षण देना।
8–श्री रघुवर दयाल वर्मा	आगरा में विकलांग वर्ष में विकलांगों के साथ अन्याय

छापी नहीं गयी।

9—श्री मनोहर लाल

10—श्री हृदय नरायन दीक्षित

11—श्री अवधेश प्रसाद

12—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा

13—श्री सत्य प्रकाश विकल

14—श्री सत्यपाल सिंह

15—श्री अशोक बाजपेयी

मैं निवेदन करूंगा कि जो प्रस्ताव आये हैं उनको थोड़ा-थोड़ा सा कह दें। लेकिन इसके लिये आप दो-दो मिनट का ही समय लें, बोलने के लिए। जिस सूचना पर कई-कई नाम हैं, उस पर एक ही सदस्य को सुना जायेगा, यह आप लोग आपस में तय कर लें कि सूचना पर कौन बोलेगा? नहीं तो सूचना में जिसका नाम पहले है, उसी का नाम मैं पुकारूंगा।

(श्री शतरुद्र प्रकाश का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

आप पहले हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को सदन में बुलवा लें। यह सूचना उनसे संबंधित है, कम से कम आप उनको तो बुलवा लीजिये, मान्यवर।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, नहीं ऐसा नहीं है।

श्री राम सरन—

यह एक करोड़ का मामला है, आप पहले समाज कल्याण मंत्री को बुलवा लीजिये।

फर्रुखाबाद में जैन मन्दिर से मूर्तियों की चोरी।

राजेन्द्र नगर, लखनऊ के गरीबों की झोपड़ियों को उजाड़ना।

प्रदेश में जीरम पाउडर के उपयोग से आलू की फसल चौपट।

फर्जी मनीआर्डर करने वाले गिरोह के बारे में।

आजमगढ़ में भा0 ज0 पा0 की सभा में रोक।

रेल बाजार, कानपुर के पास संदिग्ध काश्मीरी परिवारों का डेरा।

प्रदेश में 7000 से अधिक फर्जी समितियां।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

यह बहुत गम्भीर मामला है, पहले आप मंत्री जी को बुलवाइये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

पहले तो आप ग्राह्यता पर बोलेंगे। तब मैं देखूंगा कि यह मामला एक करोड़ का है या नहीं?

(व्यवधान)

श्री राम सरन—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि हम लोग जब यहां पर बोलेंगे तो उसमें बार-बार समाज कल्याण मंत्री का नाम आयेगा। फिर आप कहेंगे कि वह यहां हैं नहीं। इसलिये आप पहले उनको बुलवाने के लिये संसदीय कार्य राज्य मंत्री से कहिए कि पहले उनको वे बुलवा लें।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, यह लखनऊ का मामला है, बाल विकास परियोजना से सम्बन्धित है और बड़ा महत्वपूर्ण है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, समाज कल्याण मंत्री जी यहां पर नहीं हैं, उनको आप बुलवायें।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अभी ग्राह्यता पर सुन रहा हूं। इस पर तो माननीय मंत्री जी का सवाल नहीं आता है, यह तो ग्राह्यता का सवाल है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, वह आ गयी हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

वह आ गयीं हैं, तो ठीक है।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

एक करोड़ खाकर आ गयी हैं।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

यह गलत बात है।

श्री उपाध्यक्ष–

वापस नहीं लेंगे तो इसको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री हुकुम सिंह–

माफी मंगवाइये, यह गलत बात है।

श्री उपाध्यक्ष–

यह आक्षेप है। सदन की मर्यादा के अनुसार भाषा संयत और मधुर होनी चाहिये जिससे वह किसी को बुरी न लगे। जो शब्द कमाल साहेब ने कहे हैं, अगर वापस नहीं लेते हैं तो उन शब्दों को निकाल दिया जायेगा।

श्री जय नारायण तिवारी–

माफी मंगवाइये।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

वह अपने शब्द वापस ले रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिये हैं, आइन्दा ऐसा नहीं होना चाहिये।

एक सदस्य–

आप माफी मंगवाइये,

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

उन्होंने शब्द वापस ले लिये हैं।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मैं माफी तो नहीं मांगता, लेकिन वापस लेता हूं।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

जो शब्द वहां तक गये थे, वह वहां से टकरा कर वापस आ गये हैं। तो मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर दो मिनट का समय लूंगा। मान्यवर, प्रदेश की राजधानी में, नाम एक मुल्क है, उसके सहयोग से पौष्टिक आहार को बांटने के लिये कुछ पैसा दिया जाता है और लखनऊ जनपद को वित्तीय वर्ष 1985-86 में करीब 96 लाख रुपया दिया गया। समाज कल्याण विभाग को बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत जो पौष्टिक आहार योजना है, उनका संचालन करना था और इस योजना के अन्तर्गत करीब 84 हजार बच्चों को लिया गया जो शून्य वर्ष से 6 वर्ष तक के थे। शून्य का मतलब यह है कि जब बच्चा अपनी मां के गर्भ में होता है तो मां को पौष्टिक आहार की जरूरत होती है और इस योजना के अन्तर्गत गर्भवती माताओं को पौष्टिक आहार दिया जाये। इस परियोजना के आधार पर एक करोड रुपया साल भर के लिये दिया गया और अब यह 1985-86 का अन्तिम दौर आ गया है आज तक एक करोड़ रुपये में से एक पैसा भी नहीं बांटा गया है। गरीब बच्चों को एक भी पैसा नहीं दिया गया है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कुपोषण है और बच्चों के मरने की दर यहां पर सबसे अधिक है। यह प्रदेश की राजधानी है, जो गरीब इलाके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं, शहर के स्लम वाले क्षेत्र हैं, वहां के बच्चों को यह आहार बांटा जाना था, उनको खूराक नहीं मिलती है, पेट भर भोजन नहीं मिलता है, जो आहार वह करते हैं, उसमें कैलोरी का स्तर नहीं रहता है, जिससे उनके शरीर का सर्वांगीण विकास हो सके। ऐसे स्तर का खाना नहीं मिल पाता है जिससे कि उनके हाथ का, पैर का, दिमाग का, कान का, आंख का विकास हो सके, उनके शरीर का विकास हो सके और अपंग न हो सके, उनका संतुलित और सर्वांगीण विकास हो सके। कोई बच्चा ऐसा न हो कि उसके शरीर में कोई खराबी आये। इसलिए नार्वे के सहयोग से कुपोषण को दूर करने के लिए यह परियोजना चलायी गयी। मुझे माननीय मंत्री जी से अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह साल का आखिरी दौर है और आज तक उस एक करोड़ रुपये में से एक पैसा भी नहीं खर्च किया गया। मुझे निश्चित जानकारी है इसकी। यहां अमौसी हवाई अड्डे के पास में एक चिल्लावा गांव है वहां 5 साल के अनाथ बच्चे को जिसके मां नहीं है, बाप नहीं है जिसके कुपोषण को दूर करने के लिए परियोजना के अन्तर्गत प्राविधान किया गया लेकिन उसको एक छटांक भी दाना नहीं दिया गया, जो पोषक तत्व दिये जाते हैं, नहीं दिये गये जिसका नतीजा यह हुआ वह कुपोषण का शिकार हो गया।

आप पोषक आहार देने के नाम पर विदेश से जो पैसा लेते हैं उसका एक पैसा भी नहीं खर्च किया गया है। यही बगल में चिनहट में गाजीपुर के पास आंगनबाड़ी है। वहां 5 साल की एक लड़की विटामिन "ए" की कमी के कारण अंधी हो गयी है। उदाहरण के तौर पर मैं और बता दूं यहीं पड़ोस में एशबाग में, खदरा में और दूसरे स्लम एरियाज में जो बच्चे हैं, वह पढ़ नहीं सकते हैं और दवाई के अभाव में मर रहे हैं। उनके देने के लिए जो चना गुड़ और मूंग की दाल देने की बात करते हैं लेकिन यहां पर सैकड़ों की तादाद में लखनऊ शहर के अन्दर, गांव के अन्दर ऐसे गरीब अनाथ बच्चे हैं 5–6 साल की उम्र के जिनको आपने एक भी पैसे का अनाज नहीं दिया है। इससे ज्यादा शर्म की बात और नहीं हो सकती है। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक करोड़ रुपये का प्राविजन किया गया कि गरीब बच्चों को दिया जाय और इसके चलते बच्चे कुपोषण का शिकार न हो सकें और बड़े होकर सभ्य नागरिक बन सकें। मान्यवर, उनकी आंखों की रोशनी कम होती चली जा रही है इससे ज्यादा गम्भीर बात और नहीं हो सकती है। इस सरकार को कुपोषित बच्चों के लिए जो धनराशि मिली है, इससे ज्यादा समाज कल्याण मंत्री के लिए कोई दूसरी शर्म की बात नहीं हो सकती है।

(हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री के खड़े होने पर व्यवधान)।

श्री राम सरन–

मान्यवर, इसमें अभी बहुत तथ्य हैं, ऐसे वाकयात हैं आप इस मामले को दबाना चाहती हैं, अभी इसमें कई ऐसे तथ्य हैं जिसको शतरुद्र प्रकाश जी नहीं कह सके हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मेरा आरोप है यह सरकार इस बात को दबाना चाहती है।

मान्यवर, आपको स्वयं इसकी जानकारी होगी पिछले कई सालों से यह चला आ रहा था कि गरीब लोगों को जो निर्धन लोग हैं, जिनका कोई नहीं है असहाय लोगों को सहायता दी जाय लेकिन सरकार ने बन्द कर दिया...

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या आप ज्यादा विद्वान हैं?

श्री राम सरन–

आप बताइये अक्ल बड़ी है या भैंस।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि नियम 56 में अभी आपने व्यवस्था दी है कि हम एक ही आदमी को सुना करेंगे, बार-बार यह व्यवस्था आपकी पीठ से हो चुकी है ग्राह्यता पर एक आदमी को सुना करेंगे तो ये क्यों बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, राम सरन जी ने भी एक प्रश्न पर व्यवस्था मांगी थी, उस पर आप व्यवस्था दे दें।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, हमेशा सरकार की तरफ से यह प्रयास होता है कि इस तरह के मामले दबाये जायें। मान्यवर, नार्वे से 96 लाख रुपया यहां के लिये आया था जो कि 84 हजार बच्चों में वितरित होना था। उसमें अलीगंज में 8 हजार, चिनहट में 8 हजार, बख्शी का तालाब में 8 हजार, मलीहाबाद में 8 हजार, गुसाईगंज में 9 हजार, मोहनलाल गंज में 9 हजार, सरोजनी नगर में 14 हजार इस तरह से यह 84 हजार बच्चों में वितरित होना चाहिए था। जो अल्प पोषित बच्चे हैं उनको 25 पैसे के हिसाब से और जो अपोषित बच्चे हैं उनको 60 पैसे के हिसाब से यह पैसा बांटा जाना था।

मान्यवर, साल समाप्त होने जा रहा है। 31 मार्च को यह साल समाप्त हो जायेगा लेकिन आज तक उनको पुष्टाहार नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि पूरे के पूरे पैसे में गोलमाल की गई है। मान्यवर, भारत सरकार का अभी एक सर्वे हुआ था जिसमें एक हजार बच्चों में से 68 बच्चे कुपोषित पाये गये और संसद में मंत्री जी ने जवाब दिया था कि इन कुपोषित बच्चों में ज्यादातर बच्चे उत्तर प्रदेश के थे। मान्यवर, कुपोषण से बच्चे केवल अन्धे ही नहीं होते बल्कि उन्हें दूसरी बीमारियां भी हो जाती हैं। मुझे अफसोस है कि इस सरकार के यहां लखनऊ में रहते हुये, जो कि आपकी राजधानी है जहां मंत्री लोग बैठते हैं, डाइरेक्टर बैठते हैं, सचिव बैठते हैं, यहां पर उनके रहते हुये आज बच्चों का शोषण किया जा रहा है। यह जो अनाज पी0 सी0 एफ0 से बच्चों के लिये खरीदा गया है यह सड़ा हुआ है, अखाद्य है, खाने लायक नहीं है। यह बड़े शर्म की बात है। मैं इस विषय पर मंत्री जी से इस्तीफे की मांग करता हूं।

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, बहुत गम्भीर मामला है। यह केवल लखनऊ की ही बात नहीं है।

समन्वित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में और विभिन्न स्थानों में यह स्कीम चलायी गई ताकि बच्चों को पोषाहार मिल सके। मान्यवर, इसके तीन कारण हैं जिनके कारण बच्चों को यह पोषाहार नहीं मिल रहा है। एक तो यह है कि बख्शी दीदी का यह विभाग जानबूझकर इस पैसे का सदुपयोग नहीं कर रहा है और कमीशन की वजह से सारा मामला टल रहा है। इतना ही नहीं उन्नाव जिले में गलत पोषाहार सप्लाई करके 10 बच्चों को मार दिया गया। इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी कहा था। वहां पर जो पोषाहार समन्वित बाल विकास योजना के तहत वितरित किया गया, उसमें विष था और उसकी वजह से 10 बच्चे मर गये। यही स्थिति लखनऊ में भी होने वाली है। मान्यवर, इस विभाग का जो काम करने का ढंग है, उस पर जरा गौर करें। 1985-86 में जो पैसा इस मद में खर्च करना था उसका सरकुलर इस सचिवालय से 5 मार्च को हुआ और 6 मार्च को निदेशक ने बिना किसी बात के देखते हुये कि क्या बाजार भाव है, माल कैसा है, पी0 सी0 एफ0 से खरीदने का आदेश दे दिया। बिना किसी चिकित्सा अधिकारी से इसकी जांच कराये, बिना मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जांच कराये, बिना परीक्षण कराये तथा बिना किसी अनुबन्ध के 20लाख रुपये का पोषाहार खरीदने का आदेश दे दिया। इसी तरह से चारों तरफ प्रदेश के हर जनपद में जितना पोषाहार इस समन्वित बाल-विकास परियोजना के अन्तर्गत खरीदा जा रहा है उसमें पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है। लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जितना पैसा इसमें आ रहा है उसमें आधे से अधिक विभाग के द्वारा खाया जा रहा है, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के जरिये। इसलिये मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को लेकर, जिसमें कि उन्नाव जिले में 10 बच्चे मर गये हैं, मंत्री जी को अपने पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री राम सरन–

मान्यवर, यह पैसा...

श्री जय नारायण तिवारी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है अभी आपने चन्द मिनट पहले कहा था कि ग्राह्यता पर एक माननीय सदस्य को सुनूंगा। इस पर शतरुद्र जी बोले, कौशिक जी बोले, रेवती रमण सिंह जी बोले। माननीय राम सरन की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि इनके बुढ़ापा में लड़कपन का पुनरागमन हो रहा है।

(व्यवधान)

आपकी व्यवस्था है पीठ से कि एक आदमी बोलेगा। तो क्या इसकी गम्भीरता तभी होगी जब सारे लोगों को बुलायेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

(कई सदस्यों के खड़े होने पर) आप व्यवस्था मत दीजिये। मैं अपने आप दूंगा। (व्यवधान) अभी व्यवस्था दे दूंगा।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

इससे ज्यादा गम्भीर मामला और कोई हो नहीं सकता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं दोनों ओर के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं आप गरम क्यों होते हैं? (व्यवधान) यह कोई नियम तो नहीं था कि एक या दो ही बोलें। जो तीन दलों के नेता हैं, उनके दस्तखत हैं (व्यवधान) उनके हस्ताक्षर हैं। कोई दल के हिसाब से नहीं बुलाया है। माननीय रेवती रमण सिंह, माननीय कौशिक, माननीय शतरुद्र प्रकाश और माननीय राम सरन दास जी के भी हस्ताक्षर हैं। (व्यवधान)

श्री जय नारायण तिवारी–

तो सबको बुलायेंगे क्या?

श्री उपाध्यक्ष–

सबको नहीं बुला रहा हूं। दो मिनट राम सरन दास जी को दे रहा हूं।

*श्री राम सरन–

मान्यवर, यह पैसा बाहर का है, दान का है। तो बाहर के पैसे का भी दुरुपयोग यह कर रहे हैं। खुद तो यह बच्चों को खिला पिला नहीं सकते हैं लेकिन नार्वे से जो पैसा मिला है उसको भी ठीक तरीके से नहीं बांट रहे हैं। मैं समाज कल्याण मंत्री जी से कहना चाहता हूं श्रीमती स्वरूप रानी बख्शी से (व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी कहें।

श्री राम सरन–

कुमारी तो नहीं उनकी शादी हुई थी। तो इनके विभाग में कोई अधिकारी है ही नहीं। इनके डायरेक्टर और एडीशनल डायरेक्टर के बीच झगड़ा है। इनके यहां मिस्टर लाखा हैं, उनको वह चलने नहीं देते हैं। इनके ऊपर एक और आफिसर हैं जो इनका पी0 आर0 ओ0 है मि0 श्रीवास्तव, वह किसी को चलने नहीं देता। पी0आर0ओ0 माने पब्लिक रिलेशन आफिसर जिसे हिन्दी में जन सम्पर्क अधिकारी कहते हैं। वह जन सम्पर्क अधिकारी नहीं इनका धन सम्पर्क अधिकारी है।

श्री उपाध्यक्ष–

यह क्या ग्राह्यता हुई?

श्री राम सरन–

मान्यवर, सुन लीजिये। आज इनके विभागों में भ्रष्टाचार है, सब लूट कर खा रहे हैं। मैं बख्शी जी से कहना चाहता हूं कि यह राष्ट्रीय कार्यक्रम का पैसा है। यह आपके परिवार का झगड़ा नहीं है। आप अपने परिवार के रुपये और जायदाद का जैसे चाहे मिसयूज करें लेकिन यह पैसा दूसरी सरकारों से मिला है इसका सदुपयोग कराइये। आपकी अपने महकमे पर पकड़ नहीं है, आप तुरन्त इस्तीफा दे दीजिये। इसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है।

*हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

मान्यवर, माननीय राम सरन जी ने अभी पैसे के सदुपयोग के बारे में कहा कि पैसे का सदुपयोग होना चाहिये। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पक्ष तथा विपक्ष को इस बात का कम्पलीट आश्वासन देना चाहती हूं कि एक-एक पाई का सदुपयोग करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, आपके सामने सारा प्रश्न मौजूद है जहां-जहां भी पैसे के दुरुपयोग का मामला

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार के सामने आया तुरन्त मैंने आश्वस्त किया और उस पर एक्शन लिया, तो कार्यवाही की गयी, निलम्बित किये गये हैं और जो भी दण्ड दिया जा सकता था, वह दिया है।

मान्यवर, यह योजना बाल विकास की है जो जीरो से 6 वर्ष के बच्चों की है जिसके बारे में आप और हम सभी चिंतित हैं, इसलिये उनको पुष्टाहार समय से मिलना चाहिए। यह योजना जिला योजना के अन्तर्गत आती है इसलिये जिले में भेज देते हैं। मान्यवर, इसमें बहुत शिकायतें आयी हैं, यहां भी आयी हैं, तो मैं बताना चाहती हूं कि जिलों में जो क्रय समितियां हैं वह एक तो महंगा क्रय करती हैं दूसरे सड़ा भी होता है। उन्नाव की बात है, वहां मई में 3 बच्चे मरे, उसके बाद भी कोई कार्यवाही वहां के अधिकारियों ने नहीं किया जिससे फिर 5 बच्चे मरे। इसलिये जब ऐसी शिकायतें सदन में आयीं और कुछ अलग से भी आयी हैं, तो क्रय समितियां जो जिलों में हैं उनको देखा तो फर्जी संस्थाओं से खरीद की जा रही थी।

मान्यवर, एक और केस सुल्तानपुर का है, जो श्री मुईद अहमद जानते हैं, वहां पुष्टाहार का पैसा चूल्हों में खर्च कर दिया गया और उसमें 2-3 लाख रुपये इनवाल्व था। तीसरी परेशानी हो रही थी कि टाइम निकला जा रहा था और क्रय समिति तय नहीं कर पा रही थी कि किससे लें, आपस में झगड़ा था। इसलिये जो हमारी बिगेस्ट कोआपरेटिव का मार्केटिंग सेन्टर है जिसकी हर जिले में शाखायें हैं, तय किया कि वहां से खरीद होगी। मान्यवर, यह भी देखा गया कि मार्केट से कम दाम हैं कि नहीं, अच्छा सामान है कि नहीं और उसके लिये नियम है कि कोई भी माल नहीं खरीदा जायेगा जब तक कि सी0 एम0 ओ0 या डिप्टी सी0 एम0 ओ0 या वह जो निर्धारित करे उसकी स्वीकृति न मिल जाये इसलिए आप परेशान न हों बिना उनकी मोहर के, बिना स्वीकृति के पुष्टाहार नहीं बंट सकता है।

मान्यवर, लखनऊ में नहीं बंट पाया। इसलिये लखनऊ का ही यह मामला नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिये अब यह कहा गया है और खरीद अब हो गयी है और पुष्टाहार बंटने लगा है। यदि कोई खराबी कहीं पायी जायेगी तो उस पर पुनः गौर करेंगे। आपने जो जानकारी दिया है उसमें एक्शन लिया है और तुरन्त उसको ठीक करने का प्रयास किया है। मुझे इस बात का खेद है कि अभी-तक पुष्टाहार नहीं बंट सका लेकिन विश्वास दिलाती हूं कि गाड़ी चल पड़ी है और वह रुकेगी नहीं। (व्यवधान) हम भ्रष्टाचार को समाप्त करके रहेंगे। सिस्टम को बदलकर पूरे सभी जिलों में भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया है।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

किस बात का स्पष्टीकरण ? क्या कोई चर्चा हो रही है।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

जो यह एक करोड़ का गम्भीर मामला है, और लखनऊ की ही बात है . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

यह तो कह चुके हैं, यह आप कौन सी नई और खास बात कह रहे हैं। घंटे भर से इसी पर यही कहा जा रहा है, क्या आपको सुनाई नहीं पड़ा है?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अभी इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने कार्य स्थगन की सूचना दी और उस पर आपने मंत्री महोदया को बोलने की इजाजत दी। किन्तु जो बिन्दु उठाये गये थे उनका किसी का उत्तर नहीं दिया गया। कहा गया था कि इतने लाख रुपये का फर्जी परचेज बिना सी0 एम0 ओ0 की संस्तुति के कर लिया गया है और आपके विभाग के बारे में कहा गया था, लेकिन जो आरोपित बिन्दु हैं, उस पर उन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला। इसलिये जान बूझकर वह भ्रष्टाचार को छिपाना चाहती हैं . .

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

सरकार की तरफ से जवाब आया है, जनहित का जहां तक सवाल है, मैं आपके माध्यम से एक बात जानना चाहूंगा कि. . .

श्री राम नरेश–

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न यह है जो माननीय सदस्यों ने बिन्दु उठाये हैं, प्रश्न उठाये, उसके बारे में तो मंत्री जी ने बिलकुल मौन साध लिया। इसलिए मौन साध लिया कि पूरी सरकार और मंत्री महोदया स्वयं ही उसमें फंस रही हैं। उन्होंने इसे स्वीकार किया कि विलम्ब से, आपसी झगड़े की वजह से, धन नहीं बांटा जा सका और मैं उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करूंगी। तो यह अधिकारियों के खिलाफ तो कार्यवाही करेंगी, लेकिन जो मंत्री जी स्वयं दोषी हैं, इनके खिलाफ कौन कार्यवाही करेगा?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

'करूंगी' नहीं 'कर चुकी हूं'।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष–

आप एक मिनट नहीं, दो घंटे बोल लें . . .

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आप इतने गुस्से में कह रहे हैं, गुस्सा तो हमको आना चाहिए। गुस्से में तो हम हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

आप फिर तय कर लीजिए। आप ही अपने मन की करेंगे, तो हमें काहे बिठाला है यहां।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आप गुस्सा न हों, थोड़ा प्रसन्न हो जायें।

श्री उपाध्यक्ष–

आपको स्वयं देखना चाहिए, सभी बोल रहे हैं, एक बजे के बजाए पौने दो बज रहे हैं . . .

(व्यवधान)

(श्री मुहम्मद आजम खां द्वारा अपने स्थान से बैठे-बैठे कुछ बोलने पर)

यह सदन की मर्यादा के खिलाफ है, आपको ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

एक निवेदन आपसे यह है कि थोड़ा नाराज आप कम हों । वैसे ही हमें सरकार का गुस्सा झेलना पड़ता है । हम लोगों ने कार्यस्थगन के रूप में सवाल उठाया था, करीब एक करोड़ रुपये का 85-86 में. . . (व्यवधान) आज तक कुपोषण को दूर करने के लिए उस पैसे का वितरण नहीं किया गया, जिसकी वजह से बच्चों में अन्धेपन की प्रक्रिया चल रही है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके सन्टेन्श सब तो ज्यों के त्यों हैं । यह तो सब लोग कह चुके हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मंत्री महोदय ने साफ कहा कि अभी तक पैसा नहीं बांटा गया है, तो आप सोचिये कि कुपोषण की प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती है। पिछले पूरे के पूरे साल भर पोषाहार नहीं बंटा है जिससे कुपोषण बढ़ा है और बच्चों में अंधापन बढ़ा है। मंत्री जी का अपने विभाग के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। इसलिये मंत्री जी इस्तीफा दें क्योंकि इसके अलावा अब और कोई बात नहीं बचती है। अगर माननीया मंत्री जी इस्तीफा नहीं देती हैं तो मेरे सामने सदन के अन्दर सत्याग्रह करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रहेगा । इससे ज्यादा गंभीर बात और कोई नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

गंभीरता इसकी आप कम कर रहे हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मैं सत्याग्रह का एलान करता हूं । अगर माननीया मंत्री जी इस्तीफा नहीं देंगी तो मैं हयां पर सत्याग्रह करूंगा ।

एक सदस्य—

यह धमकी दे रहे हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

अगर मेरी बात आपको धमकी लग रही है तो मैं धमकी दे रहा हूं । मंत्री जी इस्तीफा दें । आप मेरे खिलाफ कार्यवाही करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर निर्णय तो मुझे लेना है। न आपको इस पर निर्णय लेना है और न मंत्री जी को । आपकी बात हो गयी। आप बैठ जायं ।

श्रीमती चारुशीला—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । यहां पर धमकी नहीं दी जा सकती । मंत्री जी को धमकी नहीं दी जा सकती ।

श्री हरदेव—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

हरदेव जी आप आसन ग्रहण करें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैंने नियम 56 के तहत करीब 3 हजार के लगभग उन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का मामला उठाया है जिनको सचिव नगर विकास के एक आदेश के द्वारा सर्विसेज से निकाल दिया गया। नगर विकास विभाग के सचिव के आदेश संख्या 1293/9-1/86 दिनांक 11 फरवरी, 1986 जिसके द्वारा उन्होंने नगर महापालिकाओं के प्रशासकों, विकास

प्राधिकरण के उपाध्यक्षों और जल संस्थान के महाप्रबन्धकों को यह आदेश दिया है कि पिछले 2 वर्ष में जितने भी डेली वेजेज की नौकरियां दी गयी हैं उनको निकाल दिया जाय। उन्होंने धमकी दिया है कि जो लोग नहीं निकालेंगे उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायगी। उनके आदेश की कुछ पंक्तियां मैं आपके समक्ष पढ़ना चाहता हूं। "पिछली बैठक में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि यदि इस प्रकार की कोई नियुक्तियां पिछले 2 वर्षों की है तो उन्हें तत्काल डिस-कन्टीन्यू कर दिया जाय।" आगे उन्होंने कहा है कि "कृपया इस सम्बन्ध में अपने-अपने संगठन के विषय में एक रिपोर्ट शासन को इस मास के अन्त तक भेज दें कि 1 अप्रैल, 84 तक दैनिक वेतन पर किसी भी स्तर पर कितनी नियुक्तियां की गयी हैं और इस सम्बन्ध में कौन उत्तरदायी है।"

तो मान्यवर, जैसे ही यह आदेश विभागों में पहुंचा है जितने भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी थे सबकी नौकरियां समाप्त कर दी गयी हैं। मान्यवर, एक तरफ सरकार के श्रम विभाग के स्पष्ट निर्देश हैं कि जितने लोगों की 240 दिन की नौकरी हो गयी है उनको नियमित कर दिया जायगा। इस सम्बन्ध में शासनादेश भी है। अभी सुप्रीम कोर्ट का फरवरी, 1986 में सुरेन्द्र सिंह बनाम मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इसका जजमेंट आया है और उसमें उन्होंने यह स्वीकार किया है कि अवश्य ही अगर किसी कर्मचारी को जहां कहीं भी 6 माह से अधिक की सर्विसेज हो जायेंगी तो उनको अवश्य काम दिया जायेगा। तो मान्यवर, इस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को, श्रम विभाग के निर्देशों को और शासनादेशों के निर्देशों को देखें इसके बावजूद भी मान्यवर, एक तरफ तो जो दो साल से कर्मचारी काम करते आ रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है और मान्यवर, दूसरी तरफ उन्हीं अधिकारियों द्वारा दूसरे नये लोगों को भर्ती किया जा रहा है और मान्यवर, यही नहीं इस प्रकार के और भी बहुत ही गम्भीर मामले हमारे सामने हैं।

इलाहाबाद के भी कई मामले हमारे सामने इसी प्रकार के आये कि 19 नायब मुहर्रिरों को, जिनकी नियुक्ति मान्यवर, रिक्त पदों पर इम्तिहान द्वारा हुई थी और इस आश्वासन के साथ नियुक्तियां की गयी थीं कि उन्हें तीन वर्षों बाद नियमित कर दिया जायेगा, फिर भी मान्यवर, आज उन्हें निकाला जा रहा है और पिछले साल भी एक परीक्षा हुई थी, उसके आधार पर भी कई चयन किये गये परन्तु उन्हें भी नहीं लिया जा रहा है। तो मान्यवर, इस तरह से आज शासन का कहीं पर कोई अंकुश नहीं रह गया है, केवल कागजों पर ही इनकी योजनायें मात्र रह गयी हैं। मान्यवर, यह इतना गम्भीर मामला है जो प्रदेश के तीन हजार परिवारों से जुड़ा हुआ है और तमाम लोग बेरोजगार हो गये हैं।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया कि जो भी वेतनभोगी कर्मचारी हैं आप खुद ही इससे सहमत होंगे कि एक ओर तो आप यह कहते हैं कि सरकार का कोई अंकुश नहीं

रह गया है और न यह सरकार देखती है कि खर्च क्या है और आमदनी क्या है। वहीं पर अगर हम इस प्रकार के मामलों में कुछ अंकुश लगाना भी चाहे तो भी उस पर आपको आपत्ति होती है। मान्यवर, आप देखें कि तमाम नगरपालिकाओं में इतना अधिक स्टाफ रख लिया गया था, इसकी वजह से वेतन इतना हो गया जो कि हमारे संसाधनों से भी ऊपर चला गया मान्यवर, इसके अलावा वहां पर और भी खर्चे होते हैं विभिन्न प्रकार के, तो इन चीजों को देखते हुए एक शासनादेश जनपदों को गया कि जितने भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं और उनको करीब दो साल हो गए हों तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं क्योंकि जब उनकी आवश्यकता नहीं है, सरप्लस हैं, तो उन्हें कहां रखा जाए, हां इतना जरूर है कि जहां पर कुछ परमानेंट वैकेन्सीज होती हैं, तो उसमें दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को अवश्य लिए जाने के संबंध में प्राथमिकता दी जाए यदि इनसे ऊपर का कोई कर्मचारी अवेलेबिल नहीं है। इसी आशय का शासनादेश है, मितव्ययिता की दृष्टि से किया गया है, इसलिए इसके ऊपर कोई बात नहीं बनती।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, इस प्रदेश के सीतापुर जनपद में केवल दो ही मशहूर उद्योग धन्धे हैं एक तो मूंगफली का और दूसरा दरियों का, यही दो मुख्य धन्धे हैं और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में सैल्सटैक्स देने में नम्बर–1 पर सीतापुर ही आता था, लेकिन अब बदकिस्मती यह है जगह-जगह पर हमारी यह सरकार मिलों के लगाने का ढिंढोरा पीटती रहती है, परन्तु मान्यवर, हो रहा है इसका उल्टा और यही नहीं लगभग 162 आयल मिलें सीतापुर जनपद में आज बिल्कुल बन्द हो गयी हैं। उसकी खास वजह यह है कि जो कृषि विभाग की तरफ से इन मिलों को अच्छा माल देना चाहिए, वह नहीं दिया गया, उनकी मशीनों की देख-रेख नहीं की गयी और जिन खेतों की पैदावार की उर्वरक शक्ति नहीं रह गयी है, उन्हीं खेतों में उन्हीं स्थानों पर मूंगफली का बोया जाना उचित नहीं है क्योंकि उर्वरक शक्ति समाप्त हो गयी है। और यही कारण है कि वहां पर 80 हजार लोग जिनका रोजगार छिन्न-भिन्न हो गया है, जिससे वे लोग पलते थे, आज वे लोग बेकार हो गये हैं, उनकी स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गयी है। इससे और ज्यादा सरकार के लिए निकम्मापन की और कोई बात हो ही नहीं सकती। सीतापुर की तमाम तेल मिलें, जिनका तेल भारत के कोने-कोने में भेजा जाता था, आज वे सब मिलें बंद हैं और किसान भूखों मरने की स्थिति में आ गया है। इन बीमार मिलों को चलाने के लिए बजट में कोई ठोस योजना नहीं है और खेतों को बीज दिये जाने की भी कोई योजना नहीं है, जिससे कि यह व्यापार समाप्त न हो। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इसलिए मान्यवर, सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, इलाहाबाद में 10 मार्च, से जूनियर डाक्टर्स अनिश्चित कालीन हड़ताल पर हैं, जिससे स्वरूप रानी चिकित्सालय, एम0 डी0 आंख का अस्पताल, सरोजिनी नायडू बाल चिकित्सालय, कमला नेहरू महिला चिकित्सालय आदि का काम पूर्ण रूप से ठप्प हो गया है। देख-रेख के अभाव में हजारों मरीज अस्पताल छोड़-छोड़ कर भाग रहे हैं। नये मरीज भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। गम्भीर आपरेशन तथा हृदय रोग के मरीजों के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं

है। मेडिकल कालेज का पठन-पाठन भी 13 मार्च से बन्द कर दिया गया है। अप्रैल में परीक्षा होने वाली है इस समय पठन-पाठन एवं चिकित्सा व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी है। अतः तत्काल सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय। आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री उपस्थित हैं, ये उनको हस्तक्षेप करके हड़ताल समाप्त करावें, जिससे पठन-पाठन भी चल सके और चिकित्सा व्यवस्था भी सुचारुरूप से चल सके।

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

मान्यवर, इलाहाबाद में जूनियर डाक्टरों की हड़ताल है। इलाहाबाद मेडिकल कालेज को बन्द किया जा रहा है। परीक्षा का जो समय है, वह समय से होगी। स्वरूप रानी चिकित्सालय में कोई दुर्व्यवस्था नहीं है। पी0 एम0 एस0 के लोग वहां लगा दिये हैं। सीनियर डाक्टर्स और प्रोफेसर्स अपना काम कर रहे हैं। जूनियर डाक्टर्स की जो मांग है, जिस पर वह हड़ताल कर रहे हैं, वह स्वीकार नहीं की जायगी।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर मसला है, माननीय मंत्री जी इसको टाल रहे हैं। इलाहाबाद में पच्चीसों प्राइवेट नर्सिंग होम हैं, जिसको बड़े डाक्टर्स चलाते हैं। वे मरीज अस्पतालों में न देख कर नर्सिंग होम में व्यापार कर रहे हैं। चिकित्सा व्यवस्था व्यवसाय बन चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष–

अनुग्रह नारायण जी, आपके सामने माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी खड़े हैं, वह बोलना चाहते हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

हमारे माननीय सदस्य इलाहाबाद अनुग्रह नारायण सिंह जी ने अभी जो सवाल उठाया है, मंत्री जी ने कह दिया कि पी0एम0एस0 के लोग लगा दिये गये हैं। सीनियर डाक्टर्स और प्रोफेसर्स अपना काम कर रहे हैं। मान्यवर, हम लोग इलाहाबाद के हैं, कालेज में पूर्णतया हड़ताल है। वहां पर रोगियों की कोई व्यवस्था नहीं है। इतने बड़े मेडिकल कालेज में जहां पर दो हजार बेड हैं, वहां पर कोई सेवा नहीं हो पा रही है, कोई भी इलाज नहीं हो पा रहा है। वहां पर जन-जीवन अस्त-व्यस्त और असामान्य है। मान्यवर, क्या यह कह देना पर्याप्त है कि वहां की व्यवस्था ठीक है, ठीक समय से इम्तहान हो जायगा? वहां पर जो मरीज हैं, उनका इन्तजाम तो होना चाहिए।

श्री लोक पति त्रिपाठी–

श्रीमन्, मैंने अनुरोध किया कि बी0 ए0एम0, के चिकित्सकों को स्वरूप रानी चिकित्सालय में लगा दिया गया है। जितने जूनियर डाक्टर काम करते हैं उतने चिकित्सक लगा दिये गये हैं, कल से लगा दिये गये हैं। दूसरा, वहां पर जो अध्यापक गण हैं वे ठीक तरह से काम कर रहे हैं प्राथमिक चिकित्सा सेवा संघ के साथ। वहां पर कोई स्थिति असामान्य नहीं है। मेडिकल कालेज जरूर बन्द कर दिया गया है छात्रों की परीक्षा की वजह से और वह पहली अप्रैल को विद्यालय खुलेगा। जूनियर डाक्टरों की मांग स्वीकार नहीं होगी। उनकी मांग है कि प्रधानाचार्य बदला जाय। प्रधानाचार्य पर लगाये गये आरोपों की जांच के लिए एक जांच कमेटी बैठी थी और प्रधानाचार्य पर लगाये गये आरोपों में से कोई आरोप सही नहीं पाया गया।

वे ठीक तरह से काम कर रहे थे और शासन के आदेशों के अनुरूप उन्होंने कार्य किया है । उनकी मांग है कि प्रधानाचार्य को हटा दिया जाय । वह मांग स्वीकार नहीं होगी । जो व्यवस्था आवश्यक होगी, सब कर दी जायेगी ।

(श्री मूल चन्द्र के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मामला इलाहाबाद का है, आप कहां से खड़े हो गये ?

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

कोई चर्चा हो रही है क्या ? कोई चर्चा नहीं हो रही है आप बैठें ।

(श्री गोपाल दास यादव सदन के फ्लोर पर आकर बोलने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हुआ किन्तु श्री अनुग्रह नारायण सिंह के प्रयास से वे अपने स्थान पर वापस चले गये ।)

आप क्रुद्ध न हों, क्रोध से कुछ नहीं होगा । यहां तो जो होगा, बात से ही होगा ।

श्री गोपाल दास यादव–

आप खुद देख लीजिये मंत्री जी हाउस छोड़कर चले गये हैं । यह हमारी भावनाओं का निरादर कर रहे हैं । यह तानाशाही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग का जो मुख्यालय है लखनऊ में आजकल वहां पर . . .

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, सैकड़ों मरीज वहां पर अस्पतालों में मर रहे हैं । वहां पर प्राइवेट नर्सिंग होम चल रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

क्या इस तरह से नर्सिंग होम खुल जायेंगे ? इस तरह कोई फायदा नहीं है। एक बात को मंत्री जी ने कहा और मुझे निर्णय देना है । आप इस तरह की बात कर रहे हैं । अगर अस्पताल खोलना है तो इलाहाबाद जाइए ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग का जो निदेशालय है, उसका मुख्यालय लखनऊ में है और वहां पर आम हड़ताल है । इस बात से आप भी अवगत हैं कि मार्च के महीने में हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति का निस्तारण होता है और विभिन्न संस्थानों को सहायता देने का काम होता है । मान्यवर, हड़ताल होने के कारण यह सब काम ठप्प है । इसका परिणाम यह हो रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी कार्यालय में इस विभाग से सम्बन्धित कार्य नहीं हो पा रहा है क्योंकि मुख्यालय में हड़ताल होने के कारण मुख्यालय से किसी काम का निस्तारण नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है ? इसका कारण यह है कि वहां पर कर्मचारी अपनी 17 सूत्री मांगों के लिए हड़ताल कर रहे थे और पिछली 22 तारीख को एक समझौता हो गया कि वहां पर बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर 50 प्रतिशत सीधी भरती से नियुक्ति की जायेगी और 50 प्रतिशत प्रोन्नति के आधार पर । अब शासन ने 1 तारीख को ऐसा शासनादेश जारी करने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का प्रयास किया कि 70 फीसदी सीधी भर्ती से लिये जायेंगे। इससे उनमें उत्तेजना फैली । आवश्यकता इस बात की थी कि सरकार कोई समाधान निकालती जिससे मार्च के महीने में हड़ताल न होती परन्तु बजाय समाधान के दमन का रास्ता अख्तियार किया गया।

कल एक आदेश जारी करके उनकी हड़ताल को 6 महीने के लिये प्रतिबन्धित कर दिया । इससे कर्मचारियों में उत्तेजना फैल गई । इस हड़ताल के कारण इस मार्च के महीने में कोई निस्तारण नहीं हो पायेगा, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो संस्थायें हैं, उनका जो अनुदान का करोड़ों रुपया है वह व्यपगत हो जायेगा। जो परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, उस पर आम चर्चा करायें। मान्यवर, उनकी हड़ताल तुड़वाने का मंत्री जी कोई रास्ता निकालती इसके बजाय उनका दमन किया जा रहा है । लेकिन इसका भी उनके ऊपर कोई असर नहीं है, वह जेल जाने के लिये तैयार हैं। मान्यवर, कर्मचारियों में उत्तेजना अति गहन हो गई है ।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–
मान्यवर, बांदा वाला मामला है।

श्री उपाध्यक्ष–
बांदा का ऐसा मामला है डाकखाना . .

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह और कौशिक रमाशंकर जी आदि की जो सूचना है, उस पर एक घंटे की चर्चा स्वीकार करता हूं । श्री शारदा प्रताप और राम नरेश की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं, श्री सत्यपाल सिंह की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । कार्य स्थगन के रूप में सभी सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं ।

(व्यवधान)

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–
नहीं लिखा जायेगा ।

(श्री मूल चन्द्र, श्री गोपाल दास यादव, श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री शतरुद्र प्रकाश और श्री शारदानंद अंचल सदन के फ्लोर पर आ गये

(घोर व्यवधान के मध्य श्री जय नारायण तिवारी ने कहा कि वे श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री मूल चन्द्र एवं श्री गोपाल दास यादव के विरुद्ध विशेषाधिकार के अवमान की सूचना देते हैं)

शतरुद्र जी और आप सभी अपनी सीट पर जाइये । अगर डेमोक्रेसी ऐसे ही चलनी है तो आप यहां पर क्यों आए?

(व्यवधान)

यदि ऐसा रहेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा ।

(घोर व्यवधान) सदन 20 मिनट के लिये एडजोर्न करता हूं । मैं सदन छोड़ता हूं ।

(इस समय 2 बजकर 17 मिनट पर सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिये के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष

स्थगित हुई । तदोपरान्त 2 बजकर 37 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खान और खनिज), अनुदान संख्या-5 उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग), **अनुदान संख्या-6 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग), अनुदान संख्या-7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या-8 उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) तथा अनुदान संख्या-9 उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)**

पर्वतीय विभाग राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से एवं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खान तथा खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4,99,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं राज्यपाल की सिफारिश से एवं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 5-उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 20,33,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से एवं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-6 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 29,94,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से एवं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 7-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 45,37,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से एवं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 8-उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 14,82,60,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से एवं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 9-उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,11,55,000 रुपये से आधुनिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

सदस्यों को बजट से सम्बन्धित साहित्य का वितरण समय से न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

मान्यवर, आप माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी करण इसमें साहित्य के सम्बन्ध में 211(1) देखें।

विधान सभा के सदस्यों में वितरण हेतु जो साहित्य भेजा जाय उसकी 600 प्रतियां हिन्दी में आनी चाहिये। यदि वही साहित्य अंग्रेजी में भी प्रकाशित होता है तो हिन्दी की प्रतियों के अतिरिक्त 250 प्रतियां अंग्रेजी में भी भेजी जायं। सरकारी विभागों को वह साहित्य जिस पर सदन को विचार करना है कम से कम 4 दिवस पूर्व विधान सभा सचिवालय को अवश्य भेज देना चाहिये ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री गण आज ही नहीं रोजाना नयी-नयी ऐसी रीतियां, पुरानी तोड़कर, डाल रहे हैं। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि आज पौने 12 बजे पिजन होल्स में बजट से सम्बन्धित साहित्य रखाया जा रहा था। मान्यवर, अगर इस पर माननीय सदस्य यदि कुछ कहना चाहते हों, कुछ आंकड़े देखना चाहते हों, तो वह इतनी जल्दी देख नहीं सकते । इसलिए मैं आपसे इस पर व्यवस्था चाहते हुए यह कहना चाहता हूं कि सरकार को यह इंगित किया जाय कि भविष्य में इस प्रकार कोई बात नहीं होनी चाहिए और बजट आज पेश करने की अनुमति न दें ।

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित))–

मान्यवर, जो साहित्य है, वह भेजा जा चुका है, पिजन होल में आलरेडी रखा हुआ है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय, श्री अंसारी जी ने करण का जो उल्लेख किया है यह बात सही है कि मैंने भी अपने सचिवालय से यह जानने की चेष्टा की । कल सायंकाल सवा छः बजे के लगभग यह साहित्य सचिवालय को प्राप्त हो गया है । हो सकता है अब उसे वह पिजन होल में रख रहे हों। लेकिन यह अन्य मदों पर भी देखने को मिला है कि साहित्य उपलब्ध होने का जो निर्धारित समय होता है उसके अंदर वह नहीं मिल पाता है इस लिये मैं शासन से अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में इस बात पर पूरा-पूरा ध्यान दिया जाय कि साहित्य वितरण के सम्बन्ध में नियमावली में जो प्राविधान है उसके अनुरूप माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जाये ताकि वे उसका अध्ययन करके यहां चर्चा में भाग ले सकें ।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, सदन के स्थगित होने से पूर्व माननीय उपाध्यक्ष ने गुस्से में आकर कहा था कि मैं उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दूंगा । इस सदन के तमाम माननीय सदस्य उनके इस फैसले से बहुत दुखी हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या इस्तीफा दे दिया है?

श्री अधिष्ठाता–

इस तरह की जानकारी या सूचना मेरे पास नहीं है। अधिष्ठाता की हैसियत से मुझे निर्देश दिया गया है कि मैं सदन का संचालन करूं ।

1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या—4 उद्योग विभाग (खान तथा खनिज), अनुदान संख्या—5 उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु) **उद्योग), अनुदान संख्या—6 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग), अनुदान संख्या—7** उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), **अनुदान संख्या—8 उद्योग विभाग (लेखन** सामग्री और मुद्रण) तथा अनुदान संख्या—9 **उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) (क्रमागत)**

श्री राम औतार दीक्षित—

मान्यवर, आज उद्योग का बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। हमारे प्रदेश की जनसंख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। हमारे प्रदेश में कृषि की उन्नति के लिए तमाम निर्णय लिए गए जिस कारण आज कृषि के क्षेत्र में हम काफी समर्थ हो गए हैं और आत्म निर्भर हो गये हैं। आज हम दूसरे प्रदेश को भी अन्न सप्लाई करते हैं।

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री श्री राम औतार दीक्षित द्वारा उद्योग विभाग का बजट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में अपील

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या दीक्षित जी उद्योग मंत्री हैं?

श्री अधिष्ठाता—

शासन या मंत्रिमण्डल की संयुक्त जिम्मेदारी है। किसी भी ग्राण्ट को मंत्रिमण्डल का कोई भी माननीय सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। इसमें कोई अवैधानिक कार्य नहीं हो रहा है। मैं माननीय सदस्य को यह भी बता दूं कि व्यवस्था का प्रश्न तब उठाया जाता है जब एक मद समाप्त हो गयी हो और दूसरी मद प्रारम्भ होने जा रही हो। यहां माननीय मंत्री जी ने भाषण प्रारम्भ कर दिया था। अगर माननीय मंत्री जी अपने भाषण में कोई ऐसी विसंगति बात या असंसदीय बात करते तब तो उनको टोका जा सकता था लेकिन इस प्रकार बीच में व्यवस्था का अनावश्यक रूप से प्रश्न उठाना उचित नहीं है।

1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (खान तथा खनिज), अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (ग्राम व लघु उद्योग), अनुदान संख्या 6— उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग), अनुदान संख्या 7— उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या 8—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) तथा अनुदान संख्या 9—उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) (क्रमागत)

श्री राम औतार दीक्षित—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि कृषि के विकास के लिये और प्रदेश में औद्योगिकीकरण को सुदृढ़ करने के लिये हमारी सरकार काफी प्रयत्नशील है। आज जहां हम एक ओर बड़े कारखाने, उच्च तकनीकी औद्योगिक इकाइयों को लगा रहे हैं वहीं दूसरी ओर छोटा उद्योगों को वरीयता देने के लिये भी काफी सक्षम हैं। इस ओर भी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि इस समय एक औद्योगिक विकास नीति को कार्य रूप दिया गया है। इसी संदर्भ में मैं यह कहना मुनासिब समझता हूं कि आज औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा उनके सुचारु रूप से संचालन में विभिन्न प्रकार की सुविधायें दी जा रही हैं

और हम इस प्रयत्न में लगे हुए हैं कि हम अपने प्रदेश के औद्योगिक विकास को बढ़ायें ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या से मुकाबला कर सकें और जो हमारे देश में इस समय रोजगार की समस्या सबसे विषम है, उसका सामना करने में समर्थ हो सकें। हमने उद्यमियों को प्रभावी बनाने के लिये एक सिंगल विण्डो का कार्यक्रम चलाया है, उसके परिप्रेक्ष्य में मैं इस समय इतना ही कह देना मुनासिब समझता हूं कि इसमें से एक इकाई को लखनऊ में स्थापित किया है और वह इकाई एक कार्यालय के रूप में काम कर रही है। साथ ही साथ मंगलवार और शुक्रवार को तमाम वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहते हैं और जो भी उद्यमी यहां आते हैं या सम्पर्क करते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं। उद्योगों से सम्बन्धित सचिवों, विभागाध्यक्षों, निगमों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी है, जो सप्ताह में कम से कम एक बार इस कार्यालय में बैठक करती है और जिसके समक्ष कोई भी उद्यमी अपनी समस्या के शीघ्र निवारण एवं तुरन्त निर्णय हेतु जा सकता है।

हमने प्रदेश के 11 उद्योगशील जिलों में बड़े-बड़े उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र लगाने की एक धारणा बनाई है और प्रत्येक की लागत कम से कम 6 करोड़ रु0 होगी, जिसमें 2 करोड़ रु0 का अंशदान हमें केन्द्रीय सरकार से मिलेगा, 2 करोड़ रु0 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से प्राप्त होगा तथा शेष 2 करोड़ रु0 राज्य सरकार वहन करेगी। प्रदेश के 7 मैदानी उद्योग-शून्य जिलों-कानपुर देहात, फतेहपुर, जालौन, हमीरपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर तथा बांदा की औद्योगिक क्षेत्रों की परियोजनायें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं तथा इन जिलों में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रदेश के ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में नयी तकनीकी के आधार को विकसित करने के लिये परामर्श देने हेतु एक परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है, जिसमें शासन के सभी सम्बन्धित विभागों तथा तकनीकी से सम्बन्धित संस्थाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है।

इसी के साथ शासन की यह नीति भी सदन के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता से लखनऊ में उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना की गई है और उद्यमिता विकास हेतु कार्य प्रारम्भ हो गये हैं।

आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या है, वह यह है कि हम किस प्रकार से लोगों को रोजगार दें और उनको उद्योग के क्षेत्र में कैसे प्रोत्साहित करें। इसी दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर आई0ए0एस0 संवर्ग के एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की गयी है। सभी मंडलीय संयुक्त उद्योग निदेशकों को बोर्ड का संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी नामित किया गया है तथा उनकी सहायतार्थ खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र के एक-एक वरिष्ठ अधिकारी को सम्बद्ध किया जा रहा है। खादी बोर्ड के माध्यम से हम चाहते हैं कि ग्रामीण अंचलों में छोटे-छोटे लघु उद्योगों का

निर्माण करायें जिससे ग्रामों का विकास हो सके और लोग छोटे-छोटे काम करके आत्मनिर्भर हो सकें।

केन्द्रीय सरकार की कपड़ा नीति के अनुसार शक्तिचालित करघा उद्योग के विकास हेतु परामर्श देने के लिये शक्ति-चालित करघा परिषद् की स्थापना की गयी है। आज की परिस्थितियों में कपड़े का भी हमारे प्रदेश के लिये बहुत बड़ा योगदान है। यों तो मिलों के द्वारा बनाये गये कपड़े का एक अच्छा-खासा प्रभाव हमारे प्रदेश पर है। लेकिन हम चाहते हैं कि हथकरघा के माध्यम से छोटे-छोटे उद्यमी आगे आयें और उनकी प्रगति हो सके। रेशम उद्योग से सम्बन्धित उद्योग के लिये राज्य स्तरीय आयोग गठित किया गया है। रेशम के आयात हेतु केन्द्रीय सरकार को परामर्श देने के लिये यह समिति अपना काम करेगी।

इसी तरह से हमारे प्रदेश में इले-क्ट्रानिक्स की गतिविधियों के लिये एक परामर्शदाता समिति का गठन मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। मैं सदन को यह भी बताना अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूं कि शासन के द्वारा सर्वांगीण विकास हेतु विकास खण्डों को इकाई माना गया है। प्रदेश के समस्त विकास खण्डों में एक-एक मिनी औद्योगिक आस्थान स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्यमियों को प्रशिक्षित किये जाने का भी प्रस्ताव है।

वर्ष 1986-87 में उद्यमिता विकास कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चलाया जायेगा और प्रशिक्षण की सुविधाओं का विकास किया जायेगा। इस हेतु लखनऊ में उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना पहले की जा चुकी है। वर्ष 1986-87 में लगभग 20,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा, जबकि चालू वर्ष में इस कार्यक्रम में 10,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गयी है।

केन्द्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिक अनु-सन्धान संस्थान, मैसूर की लखनऊ शाखा को सुदृढ़ किया जायेगा, जिस हेतु शासन द्वारा 35.00 लाख रुपये तथा 2.5 एकड़ जमीन की सहायता दी जायेगी। इसी प्रकार केन्द्रीय प्लास्टिक अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की शाखा भी लखनऊ में स्थापित की जा रही है। वर्ष 1986-87 में 120 विकास खण्डों में मिनी औद्योगिक आस्थान स्थापित किये जायेंगे। प्रत्येक आस्थान में 70 औद्योगिक इकाईयां लगेंगी जिसमें से लगभग 20 इकाईयां ग्राम उद्योगों की होंगी। ग्रामोद्योगों में प्रशिक्षण की सुविधाओं को बढ़ाने के लिये प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित किया जायेगा। लघु एवं ग्रामीण उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों के तकनीकी उच्ची-करण हेतु देश भर की विभिन्न तक-नीकी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं का भरपूर उपयोग किया जायेगा।

छठी पंचवर्षीय योजनाकाल में अन्तिम वर्ष अर्थात् 1984-85 के अन्त तक लघु स्तरीय इकाइयों की संख्या 1,10,710 थी। इस वर्ष में इन

इकाइयों का उत्पादन 2143 करोड़ रु0 रहा तथा इनसे 9,20,756 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। वर्ष 1985-86 में दिसम्बर तक लघु स्तरीय इकाइयों की संख्या बढ़ कर 1,22,912 हो गयी तथा उनमें 2368 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ तथा 9,74,468 रोजगार का सृजन हुआ। वर्ष 1986-87 में 18,000 लघु स्तरीय इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य है, जिसके अन्तर्गत 122.04 करोड़ रु0 का पूंजी निवेश होगा और 1.40 लाख नए रोजगार सृजित होंगे।

वर्ष 1986-87 में 16,000 नयी ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना की जायेगी जिनमें लगभग 16.00 करोड़ रु0 का पूंजी निवेश होगा और 56,000 व्यक्तियों के लिये रोजगार का सृजन होगा।

अधिष्ठाता महोदय, वर्ष 1985-86 में 31,300 बेरोजगार नवयुवकों को शिक्षित बेरोजगारों के लिये स्वतः रोजगार योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के निर्देशानुसार योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। वर्ष 1984-85 व 1985-86 में शहरी निर्बल वर्ग योजना के अन्तर्गत 1,00,000 उद्यमियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह प्रयास किया जायेगा कि इन सभी लोगों को वित्तीय सहायता शीघ्र मिल जाये, ताकि वह अपने काम को सुचारु रूप से कर सकें। मान्यवर, हमारे सामने हमारे प्रदेश में बुनकरों की समस्या है। प्रदेश का बुनकर आज दूसरे प्रदेशों के मुकाबिले कमजोर है और जो सहूलियतें दूसरी जगह पर मिल रही हैं, वह हमारे प्रदेश में उनको नहीं मिल रही हैं। बुनकरों के उत्थान के लिए कुछ कार्यक्रम चलाये गये हैं। प्रदेश में लगभग 5.00 लाख करघे हैं, जिनसे 15.00 लाख से अधिक बुनकरों को रोजगार प्राप्त होता है। वर्ष 1984-85 के अन्त में सहकारिता क्षेत्र में हथकरघों की संख्या 3,44,566 थी जो दिसम्बर, 85 के अन्त तक बढ़कर 3,47,534 हो गयी है।

हथकरघा वस्त्रों का उत्पादन वर्ष 1984-85 में 615.45 मिलियन मीटर था। चालू वर्ष में हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन का लक्ष्य 620.00 मिलियन मीटर निर्धारित है, जिसके विरुद्ध फरवरी, 86 तक 534 मिलियन मीटर कपड़े का उत्पादन हो चुका है। वर्ष 1986-87 में हथकरघा वस्त्रों का उत्पादन बढ़कर 640.00 मिलियन मीटर हो जाना सम्भावित है। अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश में लगभग 10,000 करघों पर टेरीकाट कपड़े का उत्पादन किया जा रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तथा विशेष तौर पर वर्ष 1986-87 में हथकरघा क्षेत्र में ब्लैन्डिड कपड़े के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जायेगा। केन्द्रीय सरकार के राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा जिस योजना के अन्तर्गत सस्ते ब्लैन्डिड कपड़े का उत्पादन अभी किया जा रहा है, उस योजना को संशोधित रूप में हथकरघा क्षेत्र पर लागू करने का भारत सरकार द्वारा निर्णय ले लिया गया है। भारत सरकार से विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त होते ही अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम द्वारा प्रोसेसिंग एवं फिनिशिंग की सुविधायें बढ़ाये जाने के लिए खलीलाबाद (बस्ती) में स्थापित प्रोसेसिंग हाउस का सुदृढ़ीकरण/आधुनिकीकरण किया जायेगा तथा मऊरानीपुर (झांसी) में एक और प्रोसेसिंग हाउस की स्थापना की जायेगी। हथकरघा क्षेत्र में सूत की पर्याप्त मात्रा तथा उचित दामों पर आपूर्ति करने के लिये शासन वचनबद्ध है। इस हेतु प्रदेश में कताई मिलों का विस्तार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश वस्त्र निगम की बलिया तथा जौनपुर में दो कताई मिलें निर्माणाधीन हैं तथा इन मिलों द्वारा वर्ष 1986-87 के दौरान उत्पादन प्रारम्भ कर देने की आशा की जाती है। उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ द्वारा 7 सहकारी कताई मिलें स्थापित की जा रही हैं। इनमें से बहेड़ी (बरेली) तथा अमरोहा ((मुरादाबाद) में स्थापित मिलों ने उत्पादन मई, 1985 से प्रारम्भ कर दिया है तथा बहादुरगंज (गाजीपुर) तथा मऊ आइमा (इलाहबाद) में स्थापित मिलों द्वारा भी उत्पादन चालू वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किया जा चुका है। शेष तीन मिलों हेतु जो महमूदाबाद (सीतापुर), कम्पिल (फर्रुखाबाद) तथा फतेहपुर में स्थापित की जा रही हैं, मशीनें आ गई हैं तथा भवन निर्माण प्रक्रिया के साथ-साथ मशीनें लगाने का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। इन तीनों मिलों के भी वर्ष 1986-87 में ही उत्पादनरत हो जाने की आशा है। साथ ही साथ संघ की इटावा बुलन्दशहर तथा मगहर (बस्ती) की कताई मिलों के आधुनिकीकरण का कार्य भी किया जायेगा।

मान्यवर, सातवीं पंचवर्षीय योजना तथा विशेषकर 1986-87 में प्रदेश के बुनकरों की कार्यशालायुक्त मकान उपलब्ध करवाये जाने की योजना है। इस योजना के वित्त पोषण हेतु केन्द्रीय सरकार तथा हुडको से सहायता प्राप्त होगी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 2,000 तथा शहरी क्षेत्रों में लगभग 1,000 कार्यशालायुक्त मकान तथा 7,000 कार्यशालायें बनाये जाने का प्रस्ताव है। योजना के अन्तर्गत कार्यशालाओं की लागत, जो अधिकतम 3,000 रुपये होगी, पूर्ण अनुदान के रूप में दी जायेगी। हथकरघा समितियों को दिये जाने वाले रिबेट से आधा प्रतिशत कटौती करके एक करोड़ रुपये के शासकीय अनुदान सहित 1.32 करोड़ रुपये का एक फण्ड "बुनकर बहबूदी फण्ड" के नाम से स्थापित किया गया है जिसको छात्रवृत्ति, शैक्षिक ऋण, किताब बैंक पुस्तकालय आदि के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रदेश के बुनकरों पर शासन द्वारा अभी हाल ही में सामूहिक बीमा योजना लागू की गयी है। इस योजना का शुभारम्भ संघन हथकरघा विकास परियोजना लिमिटेड, धामपुर, बिजनौर में हुआ और वहां पर 2,905 बुनकरों को प्रमाणपत्र प्रेषित करके इस योजना का शुभारम्भ किया गया। इस योजना के सन्दर्भ में मेरी यह धारणा है अब इस योजना को प्रदेश की प्रत्येक हथकरघा परियोजनाओं में कार्यान्वित किया जा रहा है और अब तक 11,892 बुनकरों को इस योजना का सदस्य बनाया जा चुका है। मान्यवर, हमारे प्रदेश में बनारस रेशम के काम के लिए विख्यात है और मुझे प्रदेश में रेशम के उत्पादन की भी काफी चिन्ता है।

इस सन्दर्भ में हमने रेशम शहतूत रेशम कीट पालन तथा टसर रेशम कीट पालन की योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में इच्छुक कृषकों को शहतूत के पौधों तथा रेशम के कीड़ों का निःशुल्क वितरण करने का कार्य प्रारम्भ किया गया है । इस हेतु शासन द्वारा तराई क्षेत्र में, बुन्देलखण्ड, मिर्जापुर, वाराणसी क्षेत्र में तथा पर्वतीय क्षेत्र में नर्सरी फार्म तथा चाकी कीट पालन केन्द्रों की स्थापना की गयी है ।

छठी पंचवर्षीय योजना काल में रेशम कोये का उत्पादन 1.00 लाख किलोग्राम से बढ़कर 2.08 लाख कि0 ग्रा0 कर लिया गया है । चालू वित्तीय वर्ष में रेशम कोये का उत्पादन 2.20 लाख कि0 ग्रा0 करने का हमारा लक्ष्य है । दिसम्बर, 1985 तक 1.358 लाख किलोग्राम रेशम कोये की प्राप्ति हम कर चुके हैं । वर्ष 1986-87 में रेशम कोये का उत्पादन लक्ष्य 2.80 किलोग्राम निर्धारित किया गया है । वर्ष 84-85 में ओक टसर कोया तथा ट्रापीकल टसर कोया का उत्पादन क्रमशः 37 हजार तथा 19 लाख 51 हजार कोया रहा । चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 1985 तक ओक टसर कोया तथा ट्रापीकल टसर कोया का उत्पादन क्रमशः 61 हजार तथा 14 लाख 21 हजार कोया रहा । वर्ष 1986-87 में यह उत्पादन बढ़कर क्रमशः 3.00 लाख हो जाने की सम्भावना है । मान्यवर, इस संदर्भ में हम यह भी सुनिश्चित कर चुके हैं कि काफी प्रयास करके रेशम की कमी को पूरा करायेंगे । साथ ही साथ रेशम की आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने हेतु सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड, भारत सरकार द्वारा वाराणसी में रेशम बैंक की स्थापना करने का निर्णय हमने लिया है । कर्नाटक सिल्क मार्केटिंग बोर्ड द्वारा रेशम धागे के 2 नये बिक्री केन्द्र वाराणसी में खोले जायेंगे ।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री राम औतार दीक्षित—

मान्यवर, जो आंकड़े हैं वह तो इसी में से दिये जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया सुनें ।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, खाता न बही, मंत्री जी जो कहें वह सही ।

श्री अधिष्ठाता—

अगर यह लिखित होता और लिखित प्रतियां भी बांटी गयी होती तो मैं पढ़ा हुआ मान लेता, लेकिन मैं समझता हूं कि केवल संदर्भ ले रहे हैं ।

श्री राम औतार दीक्षित—

मान्यवर, वाराणसी तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों में रेशम पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु रेशम परियोजना क्रियान्वित की जा रही है । इस सम्बन्ध में सात उत्पादन केन्द्रों में कार्य प्रारम्भ हो चुका है तथा लगभग 1,250 बुनकरों का अंगीकरण किया जा चुका है । इसके साथ-साथ हम रेशम परियोजना वाराणसी का शेष कार्य पूरा करायेंगे ।

मान्यवर, हमारे यहां इलेक्ट्रानिक का कार्य अब प्रारम्भ किया गया है । प्रदूषण रहित उद्योग होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक उद्योगों का विकास विशेष रूप से किया जा रहा है । इस संदर्भ में हमने कुछ अपने प्रयास किये हैं और साथ ही साथ हम

कुछ दूसरी जगहों पर प्रयास करने जा रहे हैं। और मैं इस संदर्भ में यह भी कहना चाहता हूं कि सन् 1990 तक इलेक्ट्रानिक उद्योगों द्वारा 10 हजार रुपये के वार्षिक उत्पादन का हिन्दुस्तान का लक्ष्य है और हम इस देश के लक्ष्य में से यह चाहते हैं कि हमारे उच्च स्तरीय इलेक्ट्रानिक राज्य कम्यूनिकेशन बोर्ड का जो हमने गठन किया है उसके माध्यम से हम अपने प्रदेश में इलेक्ट्रानिक का उद्योग लगाये।

इसी सन्दर्भ में हमने पहाड़ों में कुछ इलेक्ट्रानिक्स के उद्योग लगाये हैं और प्रदूषण और पर्यावरण के सम्बन्ध में हमें काफी कामयाबी मिली है। हम इस मामले में भी अग्रसर हैं और इसको देख रहे हैं कि शीघ्र ही ऐसे स्थानों पर जहां पर हमारे इलेक्ट्रानिक्स के उद्योग लग सकें, हम लगाएं जिससे प्रदूषण और पर्यावरण की जो बढ़ती हुई धारा है उसको रोकने में समर्थ हो सकें। इसी सन्दर्भ में इलेक्ट्रानिक्स निगम द्वारा ई0 पी0 ए0 बी0 एक्स0 एण्ड एलाइड इक्विपमेन्ट, एफ0 डी0 एम0, टी0 डी0 एम0 इक्विपमेन्ट, रूरल आटोमेटिक एक्सचेंज, मैगनेटिक मीडिया, इन्टीग्रेटेड सर्किट्स, सेटेलाइट कम्युनिकेशन, कलर पिक्चर ट्यूब आदि की इकाइयां लगाने का प्रस्ताव है। साथ ही साथ यह भी कहना आपके माध्यम से सदन में मैं मुनासिब समझता हूं कि हमारे इस निगम द्वारा जो कम्पनी लगाई गई है उसमें 80 करोड़ रुपए की लागत से एक कलर पिक्चर ट्यूब की इकाई लगाई जा रही है। इस तरह से मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं कि कलर टी0 वी0 के लिए तोशीबा जो जापान की कम्पनी है, जो इस क्षेत्र में विश्व की प्रख्यात कम्पनी है, उसके माध्यम से एक इकाई हम यहां पर अपने प्रदेश में लगा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त हमारे प्रदेश में जो बड़ी-बड़ी इकाइयां हैं जिनके निवेश होने की सम्भावना है, उनके बारे में मैं सदन को बताना अपना कर्तव्य समझता हूं कि इस सन्दर्भ में खोई पर आधारित कागज की इकाई एच0 पी0 सी0 द्वारा काशीपुर, नैनीताल के पास, इलेक्ट्रानिक स्विचिंग सिस्टम इकाई आई0 टी0 आई0 द्वारा मनकापुर, गोन्डा में, वाच काम्पलेक्स एच0 एम0 टी0 द्वारा रानीबाग, नैनीताल में... (व्यवधान)

श्री मनोहर लाल–

लोहिया मशीन के बारे में भी तो बता दें...

श्री राम औतार दीक्षित–

माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि इस वक्त में इलेक्ट्रानिक्स के बारे में चर्चा कर रहा हूं, लोहिया मशीन की चर्चा नहीं कर रहा हूं।... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी बैठ नहीं रहे हैं, आप बाद में पूछ लें।

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, हैवी इक्विपमेन्ट शाप, बी0 एच0ई0एल0 द्वारा वाराणसी में, हैवी इक्विपमेन्ट काम्पलेक्स बी0 एच0 ई0 एल0 द्वारा रुद्रपुर, नैनीताल में तथा इलेक्ट्रानिक परियोजना, बी0 ई0 एल0 द्वारा कोटद्वार में हम लगाने जा रहे हैं। मान्यवर, इसी सन्दर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमको जो आशय पत्र इस प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए मिले हैं उनके बारे में कुछ विवरण देना मैं अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूं। मान्यवर, 1984 में हमको 137 आशय पत्र मिले थे और 1985 में 198 आशय पत्र मिले थे। निर्गत अनुज्ञा-पत्रों की संख्या 1984 में 83 थी और 1985 में बढ़ गई। इसी तरह से डी0 जी0 टी0 डी0 में पंजीकरण

संख्या जो थी वह 1984 में 372 थी और 1985 में 255 रही । इसी तरह से सम्भावित पूंजी विनियोजन 1984 में 1204 करोड़ रुपए थी जो कि 1985 में 2296 करोड़ रुपए हो गई । इसी प्रकार पूंजी विनियोजन 1984 में 354.87 करोड़ रुपए था जो कि 1985 में 273 करोड़ हुई ।

मान्यवर, बाम्बे हाई से प्राप्त गैस पर आधारित जो हमारे बड़े-बड़े काम्पलेक्स खाद इण्डस्ट्रीज के हैं, उन्हें हम यहां पर लगाने जा रहे हैं इससे सारा सदन भली-भांति अवगत है । इस तरह से आंवला, बरेली में, शाहजहांपुर, बरबंराला, बदायूं में तथा जगदीशपुर, सुल्तानपुर में खाद के कारखाने लगाने जा रहे हैं । मान्यवर, 25 करोड़ रुपए की लागत से बिड़ला यमाहा द्वारा डीजल जनरेटर का कारखाना लगाए जाने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त मेरठ में किनेटिक होंडा प्रोजेक्ट, आगरा मण्डल अथवा सूरजपुर में बजाज स्कूटर प्रोजेक्ट, कानपुर तथा रायबरेली में लोहिया स्कूटर प्रोजेक्ट तथा जगदीशपुर में हिन्दुस्तान मोटर प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं । मैं इसी सन्दर्भ में अधिष्ठाता महोदय, यह भी बताना चाहता हूं कि जो हमारा राज्य स्तरीय वित्तीय निगम है यह लोगों को ऋण देता है और साथ ही साथ जो उद्यमी हैं, उनकी सहायता करता है साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पिकअप को 32 संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाएं स्थापित करने के आशयपत्र प्राप्त हो चुके हैं । इसमें 7 इकाइयां प्रगति के अग्रिम चरण पर हैं । इन इकाइयों में इण्डो गल्फ फर्टिलाइजर तथा कैमिकल कारपोरेशन इण्डिया, पौली फाइबर लि0 तथा अर्पकाम केबिल्स लि0 उल्लेखनीय हैं । औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का विकास हो और जो लोगों को रोजगार की समस्याएं हैं वह उनकी दूर हों । इस सन्दर्भ में आज उद्योग विभाग ने एक और कार्य आरम्भ किया है इसके लिए हमारा उद्योग विभाग औद्योगिक ट्रेनिंग देता है जिसमें 3 दिन, 7 दिन और 15 दिन की ट्रेनिंग का प्रस्ताव है । इसमें जो उद्यमी जिस क्षेत्र में कार्य करना चाहता है उसके लिए उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं । हम चाहते हैं कि लोगों में इससे उद्योग लगाने की भावना बने जिससे वह अपने अपने क्षेत्र में उद्योग लगा सके और उसके लिए हम वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराते हैं । इस सन्दर्भ में हमने ट्रेनिंग कार्य आरम्भ कर दिया है और शीघ्र ही हमारी योजना है कि जो भी विकास खण्डों में उद्योग लगेगें इन लोगों के माध्यम से सहायता करेंगे। जो आदमी जिस उद्योग में रुचि रखता है वह वहां पर जाकर उद्योग लगा सकता है ताकि उससे वह आत्मनिर्भर बन सके ।

इसी सन्दर्भ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे यहां एक राज्य सीमेन्ट निगम है उसमें चुर्क, डाला तथा चुनार में तीन सीमेन्ट की फैक्ट्रीज चल रही हैं । यह तीनों फैक्ट्री प्रदेश में सीमेन्ट उत्पादन करती हैं । डाला और चुर्क हमारी बड़ी पुरानी फैक्ट्रीज हैं लेकिन उसके बावजूद मुझे यह कहने में फख्र है कि चुर्क फैक्ट्री में इस वर्ष उत्पादन 90 परसेंट हुआ है। हालांकि हमारे सामने कुछ समस्याएं हैं; पड़ोस में सतना में फैक्ट्री लग जाने से हमारे यहां मजदूरों की समस्या आए दिन उत्पन्न होती रहती है । चूंकि कारीगर वहां चले जाते हैं, वह प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं नजदीक में होने से उनको तरह-तरह के प्रलोभन देकर कारीगरों को प्रोत्साहित करते हैं । इससे वहां कभी-कभी कुछ समस्याएं खड़ी हो जाती हैं अन्यथा इस वक्त चुर्क और चुनार में सीमेन्ट का काफी उत्पादन हुआ है ।

हस्तकला के प्रोत्साहन में भी हमारी बड़ी रुचि है । हमारे प्रदेश में सहारनपुर में लकड़ी का सामान, मुरादाबाद और

बनारस में पीतल का काम बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा अन्यान्य जगहों हैं जहां पर हमारे यहां की हस्तकला प्रदेश में ही नहीं देश में भी एक प्रमुख स्थान रखती है। हमने उसको प्रोत्साहित करने के लिए 1986-87 में 29 लाख रुपए की व्यवस्था की है। इसके साथ ही साथ हम कुछ प्रदर्शनियां भी लगाते हैं जिनको हम गंगोत्री प्रदर्शनी कक्ष के नाम से कहते हैं। इसके माध्यम से हम अपने प्रदेश के हस्त शिल्प को देश के दूसरे नगरों में प्रदर्शनी लगाकर पहुंचाते हैं। उससे समय-समय पर अच्छी आमदनी होती रहती है। वर्ष 1985-86 में निगम द्वारा 450.72 लाख रुपए का निर्यात किया गया है। 1984-85 के निर्यात को देखते हुए यह निर्यात आगे है। इसको हमने और प्रोत्साहित करने की कल्पना की है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की हस्त शिल्प कला आगे बढ़े ताकि हम देश और विदेशों में अपनी ख्याति अर्जित कर सकें।

साथ ही साथ अधिष्ठाता महोदय, यह सदन इस बात से भलीभांति परिचित है कि कारपेट के मामले में भी हम काफी आगे हैं। और मैंने भदोही में एक कारपेट विकास प्राधिकरण की स्थापना किया जो काम कर रहा है जिसके माध्यम से विदेशों की पूंजी इस देश में लाने में हम काफी समर्थ हैं। कुछ समस्यायें ऐसी हैं लेकिन हमारा कारपेट उद्योग और आगे बढ़े और विदेशों से ज्यादा धन अर्जित कर सके इसमें प्रयास जारी है।

मान्यवर, ब्रास-बेअर, पीतल उद्योग में जो निगम बनाया गया है अच्छी तरह से काम कर रहा है और काफी धन अर्जित कर रहा है।

मान्यवर, आगरे में एक चर्म नगर बनाने का हमारा प्रस्ताव विचाराधीन है। वहां जूते बनाने वाले जो छोटे-छोटे कारीगर हैं जिनका वहां के धनी लोग शोषण करते हैं उनसे बचने के लिये हमने चर्म निगम की स्थापना किया है। जिसके माध्यम से उनको हम प्रोत्साहन देते हैं और पुलिस एवं मिलिटरी में जहां जूतों की अच्छी सप्लाई है वह हम कर रहे हैं। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं कि निकट भविष्य में छोटे कारीगरों, जो हाथ के कारीगर हैं जो दस्तकार हैं और जिनका बड़े धनी लोग शोषण करते हैं उनको उनसे मुक्त कराने में हम आगे बढ़ेंगे और इन छोटे लोगों को प्रोत्साहन देंगे।

मान्यवर, खनिज विकास निगम के माध्यम से तांबा, शीशा, जस्ता, लाइम स्टोन और यूरेनियम हम निकाल रहे हैं जिससे हमको काफी लाभ हो रहा है। इसके अलावा अल्मोड़ा और गढ़वाल में नदियों के किनारे जो रेत है उसमें खनिज विकास निगम के माध्यम से हम सोना निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि खनिज विकास निगम के माध्यम से बांदा में बरगढ़ स्थान पर एक फ्लोट ग्लास की फैक्ट्री 240 करोड़ रुपये की लागत से लगाने जा रहे हैं। इसके माध्यम से हम यूरेनियम निकालने के लिये प्रयत्नशील हैं।

अन्त में मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मुद्रण एवं लेखन सामग्री के लिए प्रेसों के अतिरिक्त राजकीय फोटो लीथो प्रेस, रुड़की एवं शाखा प्रेस, हजरतगंज का प्रसार हमने किया है। निकट भविष्य में तीन जगहों पर नये प्रेसों की स्थापना करने की कार्यवाही हम करने जा रहे हैं जिसमें गोरखपुर, आगरा और झांसी हैं, यहां गवर्नमेंट प्रेस खोलने जा रहे हैं ताकि छपाई की समस्या का निराकरण हो सके। मान्यवर,

आज की इस पद्धति में हमारा संकल्प है कि हम अपने उद्योग को आगे बढ़ायें। हम उन गरीबों को जो छोटी-छोटी जगहों पर, कस्बों और गांवों में रहते हैं, उनको किसी न किसी माध्यम से प्रोत्साहित करना चाहते हैं, जिससे वे उद्योग लगाकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। हम अपने माननीय सदस्यों से अपेक्षा रखते हैं कि वह हमारे इस शुभ काम में अपना हाथ बटायेंगे, ताकि प्रदेश की गरीबी, बेकारी और पिछड़ेपन को हम दूर कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि उद्योग विभाग का बजट आप पारित करें।

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री श्री राम औतार दीक्षित द्वारा बजट भाषण में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमारी मातृभाषा हिन्दी है और यह खुशी की बात है कि आप इस समय अधिष्ठाता के पद पर हैं, संविधान में भी हिन्दी के लिए कहा गया है कि हिन्दी हमारा मातृभाषा और राष्ट्रभाषा है। किन्तु मंत्री जी ने अपना बजट पेश करते हुए बहुत से अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है, और उनका रूपान्तर हिन्दी में नहीं किया है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप उन शब्दों की कार्यवाही से निकलवा दें। मंत्री जी ने चूंकि अंग्रेजी शब्दों का हिन्दी रूपान्तर नहीं किया है, इसलिए उनको कार्यवाही से निकलवा दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अजीत सिंह सेठी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है, ठीक है कि भाषा हिन्दी है, लेकिन भाषा के प्रयोग में दूसरी भाषाओं के भी जो शब्द लिये जाते हैं, उनको लेने और इस्तेमाल करने का भी हक है। इसलिए मंत्री जी ने जो हिन्दी भाषा के अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग किया है, वह ठीक है।

श्री अधिष्ठाता–

मनोहर लाल जी ने जो बात कही है वह ठीक है। हिन्दी हमारी मातृभाषा है और साथ-साथ इस सदन की भी भाषा है। लेकिन इस सदन की परम्परा भी रही है कि हिन्दी में दूसरी भाषाओं के जो प्रचलित शब्द हैं, उनका प्रयोग बराबर किया जाता रहा है। हमारी हिन्दी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है इस लिए हिन्दी के अतिरिक्त जिन दूसरी भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल होगा वह भी देवनागरी लिपि में होने चाहिए। यदि कोई वाक्य या उद्धरण अंग्रेजी में दिया जाता है तो उसका हिन्दी अनुवाद करना आवश्यक है, परन्तु शब्दों का अनुवाद करना आवश्यक नहीं है। यह मेरी व्यवस्था है।

1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 4–उद्योग विभाग (खान और खनिज), अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग), अनुदान संख्या 6–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग), अनुदान संख्या 7–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या 8–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) तथा अनुदान संख्या 9–उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) (क्रमागत)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4–उद्योग विभाग (खान और खनिज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक

रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 7—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 8—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना ।

(इस समय 3 बजकर 29 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष, पुनः पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 9—उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य — विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

आज सदन में घटी घटना के सम्बन्ध में कतिपय सदस्यों तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री द्वारा खेद प्रकाश एवं सम्बन्धित अंश को कार्यवाही से निकाले जाने का सुझाव

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय कुछ उत्तेजना हो गयी थी और कभी-कभी उत्तेजना स्वाभाविक भी हो जाती है। माननीय समाज कल्याण मंत्री ने जिस तरह से हमारे प्रश्न का जवाब दिया था उसको लेकर हम लोग वेल में आ गये थे। ऐसा नहीं करना चाहिये लेकिन कभी-कभी अपने आप ऐसा हो जाता है। मैं समझता हूं कि इसको लेकर कुछ गलतफहमी सदन में हुई है और इस गलतफहमी के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि हम लोगों के आचरण से यदि आपको जरा सी भी ठेस पहुंची है तो मुझको उसके लिये खेद है।

श्री बनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, हमारा अनुरोध है कि जो कुछ हुआ अगर उससे आपको कष्ट पहुंचा है तो उसके लिये हमें खेद है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस प्रकरण को समाप्त करें और आपसे यह भी अनुरोध है कि आप निर्देश दें कि यह प्रकरण समाचार-पत्रों में न छपे।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, जो प्रकरण आज हाउस में एकाएक उत्तेजनावश हो गया और जिससे आपको ठेस लगी उससे हम सबको दुख है। मान्यवर, जो इस्तीफे की बात थी वह आपके प्रति किसी ने नहीं कही। वह माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से मांगा गया था। इस गलतफहमी का हमें दुख है। आपको जो ठेस पहुंची है उससे हम दुखी हैं।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सम्मानित सदस्य शतरुद्र प्रकाश जी ने, माननीय वर्मा जी ने और माननीय रेवती रमण जी ने इस घटना को लेकर खेद व्यक्त किया है। मेरा आपसे आग्रह है कि आपकी भावना को जो ठेस लगी, तो खेद व्यक्त करने के बाद मेरा आपसे आग्रह है कि इस सारे प्रकरण को समाप्त करें और जिस तरह से सदन का संचालन किया है उसी तरह से सदन का संचालन करते रहें।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, इस प्रकरण को कार्यवाही से निकाल दें।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

कार्यवाही से इस प्रकरण को निकाल दिया जायगा।

1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (खान और खनिज), अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग), अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग), अनुदान संख्या 7—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या 8—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) तथा अनुदान संख्या 9—उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) (क्रमागत)

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, मैंने उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभाग के अनुदानों पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़ी वेदना हो रही है। वेदना का कारण यह है कि मैं कल्पना करता था कि आज उद्योग विभाग के अनुदानों पर बहस करते समय हमारे माननीय मंत्री जी ने जो भाषण दिया है या जो भाषण पढ़ा है उसमें अपने विभाग के बारे में कोई स्पष्ट नीति, कोई प्रभावी संकल्प या प्रदेश की औद्योगिक दर को बढ़ाने के लिये जो प्रभावी कदम उठाये गये हों उनकी चर्चा करेंगे लेकिन ऐसा मालूम होता है कि जैसे हम लोगों को जो पत्रिका मिली है और गत वर्ष उसमें जो बातें लिखी थीं इस वर्ष उन्हीं को दोहरा दिया गया है और सदन को सुना दिया गया है। कोई नयी दिशा देने वाली नयी चीज उसमें नहीं है। उन्होंने अपने विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की भागीरथी जो बह रही है उसको दूर करने के बारे में कोई बात नहीं कही। मान्यवर, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उद्योग विभाग जो भ्रष्टाचार में डूबा

है, जो दिशाहीन है, लक्ष्यहीन है और नीति विहीन है उसको एक रुपया भी देना सार्वजनिक धन का दुरुपयोग होगा और इसलिये मैंने कटौती के प्रस्ताव को रखा है। माननीय मंत्री जी ने अपनी बात प्रारम्भ करते हुए कृषि उद्योग पर बल दिया।

मान्यवर, हम सभी जानते हैं कि भारत और उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान देश और प्रदेश है। मान्यवर, दूसरे देशों से हमारी नीतियां भिन्न हैं, जहां पर अन्य देशों में कृषि के ऊपर उद्योगों का विकास निर्भर है। इस ओर हमारे देश की परिस्थितियां कुछ दूसरी हैं, वहां के हिसाब से बिल्कुल भिन्न हैं। साथ ही हमारे देश में ही अलग-अलग प्रदेशों की स्थिति अलग-अलग है, जिसमें उत्तर प्रदेश की बहुत ही उपेक्षा हो रही है।

हमारा उत्तर प्रदेश मान्यवर, आबादी की दृष्टि से पूरे देश का 16 फीसदी है मान्यवर, भौगोलिक दृष्टि से भी हमारा पूरा प्रदेश 9 प्रतिशत में है और मान्यवर, अगर आप औद्योगिक दृष्टि से देखें कि आपके उत्तर प्रदेश में जितनी इकाइयां स्थापित हो रही हैं उनका परसेंटेज मात्र 4.2 है और हमारे यहां जो भी उद्योग स्थापित हो रहे हैं, उनकी स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है, जिससे यह मालूम पड़ता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, एक दल की सरकार जब यहां पर बराबर रही तो उद्योग की नीतियों को इन्होंने समझा नहीं। आज जबकि कृषि से उद्योग का और उद्योग का कृषि से घनिष्ठ सम्बन्ध है, इन दोनों को पृथक किया ही नहीं जा सकता है और उद्योगों के विकास के लिये कृषि का उत्पादन अच्छा होना बहुत आवश्यक है और कृषि का अच्छा उत्पादन निर्भर करता है प्रदेश के उद्योगों पर इन दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध है और अगर आप इन्हें अलग-अलग कर देंगे तो हरितक्रांति की मात्र कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन इनकी नीतियों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि यह उद्योग को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। और मान्यवर, जब छठी पंच वर्षीय योजना प्रारम्भ की गयी तो इस सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी घोषणायें की गयी और लक्ष्य निर्धारित हुए, किसानों से भी बहुत कुछ वायदे किये गये, उद्योगों के क्षेत्र में विकास की भी बहुत सी बातें कही गयीं, मगर क्या उद्योगों का विकास हुआ, हां हुआ, मैं मानता हूं कि हुआ लेकिन सिर्फ बड़े-बड़े उद्योगपतियों को लाभ हुआ।

इसलिए मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो पत्रिकायें हम लोगों को विभाग की ओर से मिली हैं और उनमें जो आंकड़े दिये गये हैं, उसमें भी केवल 3.9 प्रतिशत विकास हुआ है उद्योग में और कृषि में 4.4 प्रतिशत की दर बढ़ी है। इस प्रकार से यदि देखा जाए कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, क्या उसकी पूर्ति हुई है, और आम जनता को इससे कुछ भी प्राप्त हुआ है? हां अगर किसी को प्राप्त हुआ है, इस कांग्रेसीय सरकार में तो वह केवल है पूंजीपति। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि यह सब किन कारणों से हुआ। यह इनकी गलत नीतियों के कारण हुआ, रांग पालिसीज और रांग इम्पलीमेंटेशन के कारण हुआ और जो भी सुविधाएं दिये जाने की घोषणा किसानों

के लिये हुई, पता नहीं वह सुविधाएं किस को दी गयीं और किस को नहीं दी गयीं और बड़े-बड़े उद्योग-पतियों का पैसा जो आज उद्योगों में लगा है, वह गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है जो लोन के रूप में लिया गया है जो काले धन में परि-वर्तित हो गया है। और हमारे उद्योग की दरें न बढ़ने का जो मेन कारण है वह नियोजनों की गलत नीति के कारण है और ठीक ढंग से नियोजन न किये जाने के कारण है, इसी वजह से उद्योगों का जो लक्ष्य था, उसकी प्राप्ति नहीं कर सके, बल्कि उसकी हम प्राप्ति ही नहीं कर पाये हैं, और गिरते ही जा रहे हैं। इसलिए मान्यवर, आपका ध्यान मैं इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा अभी इन्होंने जो प्रस्तुत किया है वर्ष 1986-87 का बजट, उसमें प्रदेश की आर्थिक योजनाएं 2387 करोड़ रु0 की रखी गयी हैं, उसमें से औद्योगिक विकास के लिए मात्र 6 प्रतिशत रखा गया है। और सम्भवतः उत्तर प्रदेश की सर-कार यह सोच रही है कि जब केन्द्रीय सरकार ने उद्योग के विकास का लक्ष्य 5 प्रतिशत रखा, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने 6 प्रतिशत रख दिया और हम केन्द्रीय सरकार से आगे बढ़ गये। लक्ष्य आप जो रखते हैं, उसको आप कभी पूरा कर नहीं पाते हैं। अभी जो आपने 2,387 करोड़ की वार्षिक योजना प्रस्तावित किया वर्ष 86-87 के लिए, उसमें भी आप देखें कि उद्योग विभाग के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। इसलिये हमारे पर्वतीय विकास राज्य मंत्री को उद्योग विभाग का बजट प्रस्तुत करने के लिये सौंपा गया है। उन्होंने पर्वतीय विकास के सम्बन्ध में ज्यादा चर्चा किया और उद्योग विभाग के सम्बन्ध में कम चर्चा किया। मान्यवर, हमारा जो नियो-जन है, वह दूसरे देशों से भिन्न है। हमारे पास भूमि सीमित है।

हमारे पास असीमित भूमि नहीं है। हमारे पास पूंजी भी सीमित है। हमारी जो योजनायें हैं, वह इस प्रकार से होनी चाहिए, जिससे हमें अधिक से अधिक काम मिल सके, जिससे हम अपने प्रदेश की गरीबी मिटा सकें। लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। हमारे माननीय मंत्री जी ने जब भाषण प्रारम्भ किया, उन्होंने सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की चर्चा की। मान्यवर, इस सन्दर्भ में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में जो योजनायें चालू की गयीं, भले ही जो केन्द्र में सरकार है, वही उत्तर प्रदेश में भी है, मैं कहता हूं कि केन्द्र सरकार आपके साथ सौतेला व्यव-हार करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने उद्योग पर ध्यान नहीं दिया।

एक छोटा सा उदाहरण मान्यवर, मैं देना चाहता हूं। कोयला ऊर्जा का आवश्यक स्रोत है। हम हाइडिल से पूरी बिजली इतनी पैदा नहीं कर पाते कि हम प्रदेश को सप्लाई पूरी कर सकें। आबादी की दृष्टि से हमें केन्द्र से मांग का 22 प्रतिशत कोयला मिल रहा है। मान्यवर, जब 22 प्रतिशत कोयला मिलेगा, तो हम किस तरह से अपने उद्योग को विकसित कर सकेंगे? हम समझते हैं कि मंत्री जी ने घोषणा कर दिया। मालूम पड़ता है कि हमारे प्रदेश के शासन की

औद्योगिक नीति आश्वासनों पर ही निर्धारित है। लेकिन आश्वासनों से पेट नहीं भरेगा। इसके लिए प्रभावी नीति अपनानी पड़ेगी। मैं मान्यवर, रांग पालिसी की बात कर रहा था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की जो चर्चा की है। उसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में भी जो कुछ उद्योग लगाये गये, अभी मंत्री जी ने घोषणा की। हमें एक पत्रिका मिली है आपके विभाग से ही, मैं केवल उन्हीं उद्योगों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं जो सार्वजनिक क्षेत्र में लगाये गये हैं, वैसे तो सभी उद्योगों की यही स्थिति है।

(इस समय 3 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी पीठासीन हुए)

अभी प्रतापगढ़ में एक आटो ट्रैक्टर सार्वजनिक उद्योग में कार्य प्रारम्भ किया गया। मंत्री जी ने कह दिया कि हम उद्योग में बड़ी क्रान्ति कर रहे हैं। केन्द्र सरकार से इस ट्रैक्टर के लिए 1981 में लाइसेंस मिला उसमें यह शर्त थी लाइसेंस की कि एक वर्ष में 12 हजार ट्रैक्टर और 2 हजार इंजन प्रति वर्ष यह बनायेंगे और उसमें सरकार ने रुपया लगाया। मान्यवर, जहां लक्ष्य था 1981-82 में 12 हजार वहां यह 151 ट्रैक्टर बना पाये और दो हजार इंजन का लक्ष्य था उसमें एक भी इंजन नहीं बना सके। 1982-83 में 381 ट्रैक्टर और मात्र एक इंजन बना पाये। 1983-84 में 721 ट्रैक्टर और 11 इंजन बना पाये। 1984-85 में 450 ट्रैक्टर और 411 इंजन बना पाये। 1985-86 में 150 ट्रैक्टर और 275 इंजन मात्र बना सके हैं। इस प्रकार जो लाइसेंस की शर्तें हैं उसके अनुसार 5 वर्ष में लक्ष्य था 60 हजार ट्रैक्टर बनाने का और उसमें यह 1853 ट्रैक्टर बना सके और यह तो निर्माण की बात रही।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आपके सार्वजनिक उद्योग की स्थिति क्या है। जो ट्रैक्टर बने हैं उनके पुर्जे ढूंढे नहीं मिलते। जिलों-जिलों में एजेंसी लगा दी गई लेकिन ट्रैक्टर के पार्ट्स कहीं नहीं मिलते हैं। यह काश्तकारों के साथ अन्याय हुआ है और जिन्होंने प्रताप ट्रैक्टर खरीदा है वे रो रहे हैं क्योंकि उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है, सारे ट्रैक्टर खड़े हो गये हैं। यह सार्वजनिक उद्योग के नाम पर मैंने एक उदाहरण छोटा सा प्रस्तुत करके बताना चाहा कि इस शासन ने क्या दशा कर दी है। आप लक्ष्य को न तो पूरा कर पाये हैं और न ही कर पायेंगे। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मैं सार्वजनिक क्षेत्र का बिल्कुल विरोधी नहीं हूं लेकिन मान्यवर, इसके पहले भी जब मैं भारतीय जनसंघ का सदस्य था तब भी दल के सदस्य के नाते बराबर इस बात पर जोर देता था कि कहीं सार्वजनिक क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में टकराव न हो। ऐसा न हो कि निजी क्षेत्र की प्रगति अवरुद्ध हो जाय। निजी क्षेत्र को जितना संरक्षण देंगे, निजी क्षेत्र जितना फलित होगा, जितना विकसित होगा देश और प्रदेश का उतना ही विकास होगा। उस समय यह लोग कहते थे कि जनसंघ वाले ऐसा कह रहे हैं परन्तु मुझे खुशी है कि देर आये दुरुस्त आये। कम से कम इनकी समझ में भी यह

बात आने लगी और इसीलिए इधर जो आपकी नीतियां बन रही हैं उनसे मालूम होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण का जो आपने नारा दिया था, जिस मायाजाल में आप फंस गये थे उसमें से निकलकर निजी क्षेत्र की ओर आप आ रहे हैं। मान्यवर, इनकी पुस्तिका में जो आंकड़े दिये गये हैं उसको प्रस्तुत करते हुए अपनी बात पर बल देना चाहता हूं। इनकी तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस दिशा में, इस रुचि में जो इनका विचार था उसमें कुछ परिवर्तन हुआ।

तीसरी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का व्यय 63.07 प्रतिशत रखा गया था। चौथी योजना में इन्होंने अपनी भूल सुधारी और उसे 60.3 प्रतिशत करना पड़ा। पांचवी योजना में 57.8 किया, छठीं योजना में 52.9 किया और सातवीं योजना में यह 48 प्रतिशत करना पड़ा। सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी घटानी पड़ी और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिये आपको बाध्य होना पड़ा। पूर्व वर्षों में जो बात हम लोगों ने कही थी उस तरफ आपके कदम बढ़े। इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं तथा और भी सुझाव दे रहा हूं उधर भी चलते जायं तो अच्छा होगा। मान्यवर, जो केन्द्र सार्वजनिक क्षेत्र में कर रहा है, प्रदेश सरकार ने वैसी ही एक और स्थिति की है। प्रदेश में निगमों की स्थापना की है। माननीय मंत्री जी ने सब्जबाग दिखाये लेकिन यह नहीं बताया कि सार्वजनिक धन का उद्योग विभाग और यह आई0ए0एस0 अफसरों की लाबी, नौकरशाही किस तरह से अपव्यय और दुरुपयोग कर रही है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति गिरती जा रही है और शायद हमारी अर्थव्यवस्था पंगु हो जाय।

हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 59 निगम हैं। उनमें करीब 59 अरब रुपये लगा है। इनसे अपेक्षा थी कि 60-65 करोड़ रुपये की आय प्रति वर्ष यह प्रदेश को देंगे। लेकिन मान्यवर, वह नहीं हुआ। आज यह घाटा बढ़ते-बढ़ते 18 अरब 60 करोड़ हो गया है। मैं इस सन्दर्भ में भूतपूर्व मुख्य मंत्री नारायण दत्त तिवारी ने जो पिछले सत्र में एक प्रश्न का उत्तर दिया था। मैंने एक प्रश्न किया था उस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने स्वीकार किया था कि हमारे जो निगम हैं, उनसे हमें घाटा हो रहा है। 19 निगम घाटे में चल रहे हैं। यह सदन में जवाब दिया था। मान्यवर, आप देखें एक निगम से कितना जबरदस्त घाटा है। अब तक 84-85 में 1614.82 अरब का घाटा एक निगम में हुआ है। दूसरे में 113.74 और तीसरे में 53.80 का है। 80-81 में 111 करोड़ था, 84-85 में अब तो और भी कुछ दिन हो गये हैं, घाटा निरन्तर बढ़ रहा है। यह लगभग 20 अरब के हो गया है। मान्यवर यह निगम सफेद हाथी की तरह उत्तर प्रदेश पर बोझ बने हैं। और मैंने हिसाब लगाया मान्यवर, तो प्रतिदिन का इनका घाटा 102.80 लाख रुपये का है। और घंटों के हिसाब से देखें तो 4.25 लाख रुपये का प्रति घंटे का घाटा ये हमारे निगम कर रहे हैं। मान्यवर, देखें कि हमारे जितने उत्तर प्रदेश के विधायक हैं, उनको एक माह में जितना वेतन मिलता है, उसका तीन चौथाई वे सफेद हाथी

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित निगम, एक घंटे में खा रहे हैं। पूरे विधायकों का एक माह का वेतन मय एलाउन्सेज के 1750/- रुपये के हिसाब से जोड़ा जाय तो महीने भर के वेतन का तीन चौथाई एक घंटे में ये निगम घाटा दे रहे हैं। यह सार्वजनिक क्षेत्र है ? इसलिये मान्यवर, मेरा आरोप है और मांग है कि ऐसे निगमों को जो निरन्तर घाटा पहुंचाते चले जा रहे हैं, उनको समाप्त किया जाय। आपने पिकअप की विशेष रूप से तारीफ की कहा गया कि लोगों को बड़ा ऋण देता है, उद्योगों के लिये ऋण देता है। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि कितना ऋण देता है। ऐसे ही नहीं देता है, जब तक कमीशन के रूप में कुछ लेते नहीं हैं, तब तक नहीं देते। कमीशन के रूप में एक मोटी रकम लेते हैं, तब देते हैं। अगर न दें तो वहां से आप भी नहीं ले सकते। इसलिये मान्यवर, मैं इस संदर्भ में जो पिकअप के एक आई0 ए0 एस0 आफिसर हैं मिस्टर रवि मोहन सेठी, उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। आपके ही एक बन्धु हैं, कांग्रेस के एक भूतपूर्व विधायक हैं, उन्होंने शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन भूतपूर्व एम0एल0ए0 के भाई अशोक कुमार भार्गव हैं, उन्होंने पिकअप से लोन लेने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया तो उसके बाद कुछ रुपया बकाया था, उसकी वसूलयाबी के संबंध में जब उन्होंने कहा कि पिछले एरियर का अप पर बकाया है, उन्होंने जब उसको लेना चाहा तो उस पर उस आई0 ए0 एस0 आफिसर द्वारा 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगी गयी। उन्होंने आरोप लगाया है कि इसकी जांच की जाय। इसके अतिरिक्त और भी बड़े गम्भीर आरोप लगाए गये हैं।

एक आई0ए0एस0 आफिसर के ऊपर भी ऐसे आरोप लगें तो हम तो कहते हैं "सारे गुलशन का चलन चाहे बदल जाय, लेकिन बदचलन होने से खुशबू तो बचा ली जाय।" इनके ऊपर अगर आरोप लगने लगे तो देश और प्रदेश का क्या होगा ? और आप उन्हीं आई0ए0एस0 अफसरों के हाथ में पूरी बागडोर सौंपे हुए हैं। इसमें यह भी आरोप लगा है कि उन्होंने फर्जी लोग रख रखे हैं। उन्होंने विदेशों की यात्रायें की हैं। न्यूयार्क और फ्रैंकफर्त चीफ सेक्रेटरी को लेकर गये थे एक बच्चा पैदा हुआ था, उसको देखने। सरकारी पैसा खर्च किया गया।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय द्विवेदी जी किसी अधिकारी का नाम लेकर आरोप न लगाएं तो अधिक उचित होगा। यह सदन की परम्परा के अनुकूल नहीं है।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, इस सदन में कोई विधायक किसी अधिकारी का नाम लेकर अभियोग लगाता है या प्रशंसा करता है, तो दोनों की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट होता है। मैं मा0 मंत्री जी से चाहूंगा कि मेरी बात को नोट करें, चूंकि उन्होंने आज उस विभाग का बजट पेश किया है, इसलिये इसकी जांच करावें। मान्यवर, यह एक विधायक की कम्पलेन्ट है अगर यह नहीं हुआ, तो आस्था डिग जायेंगी, विश्वास कम्पित हो जायेगा। मान्यवर, मैंने यह अपना दायित्व

समझा इसलिए मैंने नाम लेकर इसे बताया।

मान्यवर, औद्योगिक प्रगति जो प्रदेश में है, वह दर बढ़े, इसके लिये आपको औद्योगिक स्वायत्ता भी देनी पड़ेगी। औद्योगिक स्वायत्तता नहीं देंगे तो उद्योग नहीं पनपेंगे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपको लाइसेंस प्रणाली को भी सरल करना पड़ेगा। मान्यवर, आज स्थिति यह है कि यदि कोई व्यक्ति उद्योग लगाना चाहता है और उसके लिये पिकप या अन्य जो फाइनेंसिंग एजेन्सीज हैं, उनके पास जाता है, तो वह पहले पूछते हैं कि आपका लाइसेंस कहां है ? जब लाइसेंस के लिये संबंधित स्थान पर जाता है, तो वहां पूछा जाता है कि आपके फाइनेंसर्स कौन हैं ? मान्यवर, वह उसी चक्कर में फंस जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप औद्योगिक प्रगति लाना चाहते हैं, तो इसमें आपको सुधार करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप लाइसेन्सिंग प्रणाली को भी सरल बनाइये। मान्यवर, यह कहा जाता है कि लघु उद्योग और छोटे उद्योगों के लिये जिले में एक सामान्य प्रबन्धक उद्योग का कार्यालय स्थापित किया गया है और वहां एक छत के नीचे से कच्चा माल, मार्केटिंग की व्यवस्था तथा पूंजी का प्रबन्ध होगा। लेकिन स्थिति यह है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश में जहां तक उद्योगों का संबंध है, हर जगह सरकार के ऊपर निर्भरता है, उस स्थान पर आपको औद्योगिक स्वायत्तता भी प्रदान करनी पड़ेगी और ऊर्जा की समुचित सुविधा भी प्रदान करनी पड़ेगी। वैकल्पिक ऊर्जा की बात की जाती है, वैकल्पिक ऊर्जा कितनी क्रियेट कर पायेंगे? मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि ऊर्जा का जितना लक्ष्य है, उसका केवल 35 प्रतिशत उत्पादन कर पा रहे हैं किसी उद्योग के लिये ऊर्जा बहुत ही आवश्यक है। बिजली नहीं होगी, उद्योग नहीं लग सकेंगे। अगर बिजली के अभाव में कोई उद्योग स्थापित कर भी ले तो चल नहीं पायेगा, बीमार हो जायेगा। बीमार हो जायेगा, तो आपका पैसा भी डूब जायेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि कच्चे माल की आप सुविधा दें, विपणन की व्यवस्था करायें, यातायात की व्यवस्था करायें, जब तक इन सब आधारभूत चीजों की व्यवस्था नहीं होगी, लाइसेंसिंग प्रणाली का सरलीकरण नहीं होगा, तब तक प्रदेश में आप उद्योगों को गति नहीं दे सकेंगे। मान्यवर, यह उद्योगों के नाम पर जो सबसिडी दी जाती है, छूट दी जाती है, मैं समझता हूं कि उसका दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए दुरुपयोग हो रहा है कि चाहे वह उद्योग शून्य जिलें हो या पिछड़े जिले हों, जहां आप कैपिटल सबसिडी की बात कहते हैं, वहां फर्जी औद्योगिक इकाइयां लोग स्थापित करते हैं। फर्जी इकाइयां स्थापित करके लोग लोन लेते हैं। अब मान लीजिये 5 लाख का लोन लिया उसमें 25 प्रतिशत के हिसाब से सवा लाख वैसे ही उसकी जेब में चला गया।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें, बाद में भी मौका मिलेगा।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

मैं कहना चाहता हूं कि इस कैपिटल सबसिडी को आप समाप्त करें ताकि यह फर्जी इकाइयां उस बिना पर स्थापित न हो सकें। इसके स्थान पर यह उचित

होगा कि आप कच्चा माल सस्ते दामों पर उपलब्ध करायें। लेकिन, कैस में आप कोई फेसिलिटी देंगे तो उसका दुरुपयोग होगा काला धन उससे बढ़ेगा।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय द्विवेदी जी 35 मिनट हो चुके हैं। बाद में भी आपको मौका मिलेगा।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, बीमार उद्योगों के बारे में विशेष तौर से सुझाव देना चाहता हूं आज बीमार उद्योगों के नाम पर उद्योग पति सरकार से गलत तरीके से पैसा हड़प रहे हैं। वह जानबूझकर उद्योगों को बीमार घोषित करवा देते हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे क्षेत्रों में जिसे आपने औद्योगिक शून्य जिला घोषित किया है वहां पर नई औद्योगिक इकाई की स्थापना कर आप से सबसिडी ले सकें। यदि आप उनकी पुरानी इकाइयों को लेते भी हैं तो उसे वर्तमान मूल्य पर लेते हैं जिससे आप के ऊपर एक और बोझ बढ़ जाता है इसलिये मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और जो उद्योगपति इस प्रकार अपनी सही औद्योगिक इकाइयों को बीमार घोषित कर देते हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाय।

मान्यवर, मैं क्षेत्र चयन के बारे में कहना चाहता हूं। आपने सुल्तानपुर को शून्य जिला घोषित कर दिया। मेरी समझ में नहीं आया, इधर और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों के हृदय में भी सन्देह है कि सुल्तानपुर कैसे शून्य जिला हो गया, अगर सुल्तानपुर शून्य जिला घोषित कर दिया गया है तो मैं समझता हूं कि प्रदेश का कोई भी ऐसा जिला नहीं होगा जिसे शून्य न घोषित किया जा सके। इसलिये मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वह सही तरह से क्षेत्र चयन करें। जिस एरिया में जिस चीज का उत्पादन हो वहां पर वह उद्योग लगाया जाय। कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। मैं फर्रुखाबाद के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां पर आलू ज्यादा होता है इसलिये वहां पर आलू पर आधारित उद्योग लगाये जायं तो उचित रहेगा।

श्री अधिष्ठाता–

श्री द्विवेदी जी, 35 मिनट का समय हो चुका है काफी माननीय सदस्यों को इस पर बोलना है। इसलिये अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने लघु उद्योगों विशेष तौर से हथकरघा की बात कही थी। इस सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। यह सब मानते हैं कि कृषि के बाद अगर हमारी जीविका का कोई साधन है तो वह हथकरघा उद्योग है। पूरे देश में तमिलनाडु व आन्ध्र प्रदेश के बाद हमारा दूसरा नम्बर है लेकिन आज इन की स्थिति क्या है? माननीय मंत्री जी ने चार्ट पढ़कर के बता दिया। हमारे प्रदेश के भूतपूर्व उद्योग मंत्री श्री इस्तीफा हुसैन जी थे और नजूर हुसैन अंसारी आल इण्डिया हथकरघा उद्यमियों के ज्वाइन्ट सेक्रेटरी हैं। इन्होंने सीतापुर के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया है कि सीतापुर के दरी का काम करने वाले बुनकरों की दशा इतनी खराब हो गयी है कि वे रिक्शा चलाने के लिये बाध्य हो रहे हैं। कारण यह है कि आपने सूत के दाम बढ़ा दिये 50 प्रतिशत। जो ढिंढोरा पीटा गया कि उत्तर प्रदेश में बुनकरों के लिये बड़ी भारी योजना है। पूरे प्रदेश में 15,08,684 बुनकर हैं। वर्ष भर में

615·45 लाख मीटर कपड़ा तैयार करते हैं। इसका हिसाब लगाने से 410 मीटर कपड़ा प्रति बुनकर प्रति वर्ष आता है। इस प्रकार 365 दिन में एक बुनकर के हिस्से में एक दिन में डेढ़ मीटर आया। अगर उसे आठ आना भी एक मीटर पर मिला, तो भी क्या मिल गया? उत्तर प्रदेश की सरकार एक बुनकर को एक दिन में 60-62 पैसा दिला पाती है। बुनकर उत्तर प्रदेश में भुखमरी का शिकार है। आज वह रिक्शा चलाने के लिये मजबूर हो रहा है। उनकी स्थिति को सुधारने की जरूरत है।

लघु उद्योगों के सम्बन्ध में इनकी नीति हमेशा गलत रही है। लघु उद्योगों को आप जितना ही बढ़ावा देंगे, बेरोजगारों को काम मिलेगा। आज प्रदेश के सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, यह दूर होनी चाहिये। भारत की अर्थ-व्यवस्था, जिसके लिये बड़े-बड़े धुरन्धर अर्थशास्त्री भी बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों से भिन्न है। हमारी व्यवस्था के लिए कैपिटल स्कार्स और "लेबर एवेन्डण्ड इकानामी" इसका प्रयोग करना पड़ेगा। इसीलिये लघु उद्योग और कुटीर उद्योग और बढ़ाने पड़ेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक लघु उद्योगों को और कुटीर उद्योगों को नहीं बढ़ायेंगे और विशेष रूप से लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों के नाम से जो लूट हो रही है, उसको नहीं रोकेंगे, जनता धोती की बात कही गयी लेकिन उसके नाम पर जनता को क्या मिल रहा है? जनता धोती की कहीं 100 तो कहीं 50 गांठे पकड़ी जा रही हैं। लघु उद्योगों के सम्बन्ध में अगर कभी ध्यान दिया गया तो वर्ष 78, 79 और 80 में, जब जनता शासन रहा तो "चलो गांव की ओर" का नारा दिया गया और "कुटीर उद्योगों का विकास करो" का नारा दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय द्विवेदी जी, आपने काफी समय ले लिया है, अब आप बैठें, अभी आपको बाद में भी मौका मिलेगा।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

बस मान्यवर, समाप्त कर रहा हूं। जनता शासन ने 1979-80 में लघु उद्योगों और ग्रामीण उद्योगों का परिव्यय बढ़ाया था, तीन गुना कर दिया था, लघु उद्योगों में 320 लाख रु0 से बढ़ाकर 1035 लाख रु0 कर दिया था और हथकरघा में 252 लाख रु0 से बढ़ाकर 700 लाख रु0 किया गया था। इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को काम मिले, प्रदेश की भुखमरी और गरीबी दूर हो, तो यह उद्योग से ही सम्भव है। इसके लिये बड़े-बड़े उद्योगों के स्थान पर लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों को दिशा देनी पड़ेगी, इनका मार्ग प्रशस्त करना पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अब आप अपना आसन ग्रहण करें।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, इसलिये शासन की जो गलत नीतियां हैं गलत नियोजन है जिसके कारण से भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसीलिये मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं कि उद्योग विभाग में केवल एक रुपये का इजाफा किया जाय तो ये अपने कर्तव्यों के साथ कुछ न्याय कर सकेंगे।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उद्योग

के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। विरोध पक्ष के द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, मैं इसका विरोध करता हूं। मान्यवर, सातवीं पंचवर्षीय योजना में उद्योग के लिये जो लक्ष्य रखा गया है कि एक लाख उद्योग लगाये जायेंगे...

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, वक्त बहुत कम है और बोलने वालों की संख्या अधिक है, इसलिये आप अपनी बात पांच मिनट में ही समाप्त कर दें।

श्री प्रदीप माथुर—

ठीक है। मैं कह रहा था कि जो एक लाख उद्योग लगाने का प्रस्ताव है, यह सराहनीय है। इसके साथ ही वर्ष 1986-87 में 20 हजार उद्यमियों को ट्रेनिंग देने के लिये योजना प्रस्तावित की गयी है, यह भी सराहनीय है।

मथुरा में रिफाईनरी तथा प्रदेश में फर्टीलाइजर प्लान्ट जो लगाये जा रहे हैं यह इस बात को दर्शाते हैं कि हमारे प्रदेश ने उद्योग में प्रगति की है लेकिन जो बातें लघु इकाइयों की हैं यह नहीं पनप रही हैं। जब कोई इकाई लगायी जाती है वह डिफरेन्ट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन्स के माध्यम से लगा तो दी जाती हैं परन्तु यह नहीं देखा जाता है कि उसके द्वारा कितना इजाफा हो रहा है, यह देखने की जरूरत है कि वे यूनिटें चल रही हैं या नहीं ?

मथुरा इण्डस्ट्रियल एरिया 1978 में बना था जो अब देखने से कब्रिस्तान की तरह दिखायी देता है। जब वह इण्डस्ट्रियल एरिया बनाया जा रहा था तो रुड़की के इंजीनियर्स और आई0 आई0 टी0 के इंजीनियर्स बुलाये गये थे, और उन्हें प्रलोभन देकर फंसाया गया कि फैक्ट्री लगाओ अब उनके इन्टरप्रेनर्स में से दो की मृत्यु भी हो चुकी है। उद्योग विभाग के कारपोरेशन द्वारा धोखा करने पर यदि सरकार चाहती है कि उद्योग लगें तो उद्योग के लगाये जाने के साथ यह भी देखना जरूरी होगा कि यह भी देखा जाय कि वह उद्योग कैसे पनप सकता है ? सरकार अपनी ओर से उद्योग को लगाये जाने के लिये सुविधा प्रदान कर देती है परन्तु वह उद्यमी जिसके द्वारा वह उद्योग लगाया जाता है उसके पास साधन के अभाव में वह चौपट हो कर रह जाता है और पनप नहीं पाता है।

मथुरा में यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 का इण्डस्ट्रियल एरिया है, जहां पर एक धर्मप्रचार की संस्था ने कब्जा कर रखा है। यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 अक्षम है उसके कब्जे को रोकने में। उद्योग को बैंकों के द्वारा आर्थिक कैपिटल नहीं दिया जाता है यू0 पी0 एफ0 सी0 द्वारा उनको केवल रिकवरी ईश्यू कर दी जाती है।

सरकार एक तरफ तो औद्योगीकरण की बात करती है और दूसरी तरफ उद्यमियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है जिस पर ध्यान दिये जाने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 द्वारा लीज डीड के लिए इन्टरप्रेनर्स भागा-भागा फिरता है। डिफरेन्ट कारपोरेशन उनको फुटबाल की तरह हिट करते रहते हैं लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान कोई नहीं करता है।

इसी तरह से यू0 पी0 एफ0 सी0 में रिश्वत ले कर लोन दिया जाता है। साधारण उद्यमी यह कार्य कैसे कर सकता है ? इसके अतिरिक्त मथुरा में पाल्यूशन बैन लगा हुआ है। हमारे प्रदेश का वैसा

एटमासफियर नहीं है जैसा कि गुजरात या महाराष्ट्र का है । सब चाहते हैं औद्योगीकरण हो, हम चाहते हैं कि औद्योगीकरण हो, सरकार चाहती है कि औद्योगीकरण हो, लेकिन यह हो तो कैसे हो ? इसके लिये हमें टास्क फोर्स कमेटीज बनानी होंगी यह देखने के लिये कि औद्योगीकरण हो रहा है कि नहीं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें, समय कम है।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, मथुरा में नान-पाल्यूशन इण्डस्ट्रीज नहीं आ रही हैं तथा धुंआं वाली इकाइयों पर प्रतिबन्ध ताजमहल के कारण लगा हुआ है । मेरा निवेदन है कि मथुरा को हिल स्टेशन जैसी सब्सीडी दी जाये, 50 प्रतिशत की सब्सीडी दी जाये, जिससे यहां का औद्योगीकरण हो सके । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर साड़ी उद्योग पनप सकता है, परन्तु अधिकारियों ने इस पर बैन लगा रखा है, तो मेरा अनुरोध है कि इस बैन को समाप्त किया जाना चाहिये, जिससे यह उद्योग ठीक से चल सके तथा साड़ी उद्योग नगर की स्थापना जल्दी से की जानी चाहिए मान्यवर, हमारे यहां पर इलेक्ट्रानिक इन्डस्ट्रीज लगाने की जरूरत है । पिक अप को 32 लैटर आफ इन्डेन्ट मिले हैं। वित्त विभाग को पिकअप से इस बारे में कहा जाना चाहिये कि वह वित्तीय सहायता प्रदान करे । मान्यवर, केवल उद्योग ही नहीं लगाये जाने चाहिए बल्कि जो उद्यमी भी हैं वह किस प्रकार से बेनीफिटेड हों, इस ओर भी ध्यान देना चाहिये । आपके अधिकारी सक्षम हैं, लेकिन वह इस ओर ध्यान नहीं देते हैं । मान्यवर, इस विभाग में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसको दूर किया जाना चाहिये । जो उद्योग नहीं पनपते हैं उसका कारण यह है कि इस विभाग के कारपोरेशन्स में कोई कोआर्डीनेशन नहीं है । मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका विरोध करता हूं ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुये आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह बजट बुनकर विरोधी बजट है और इसकी ताईद इसी बात से हो जाती है कि जो उद्योग मंत्री हैं जिनका अर्से से बुनकरों से गहरा ताल्लुक है, इसीलिये उन्होंने कह दिया कि मैं यह बजट पेश करने में असमर्थ हूं और इसी कारण दूसरे मंत्री को बजट पेश करना पड़ा । मैं इस बात के लिये उसको मुबारकबाद देना चाहता हूं। मान्यवर, मैं 2-3 सुझाव देना चाहता हूं कि खलीलाबाद प्रोसेसिंग मिल में एक रुपये से ज्यादा प्रोसेसिंग का खर्चा न लिया जाय बल्कि इस खर्चे को सरकार को बरदास्त करना चाहिये । जो नई टेक्सटाइल पालिसी है, उस पर सरकार को अमल करना चाहिये कि जो हैन्डलूम पोलिएस्टर है, उस 20 प्रतिशत की एक्साइज ड्यूटी को माफ किया जाना चाहिये और पैसा सब्सीडी के रूप में उत्तर प्रदेश को देना चाहिये । उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष हैंडलूम सहकारी समितियों की नुमाइश नहीं लगाई है और जो सब्सीडी दी जाती थी सरकार को उसको गोल कर दिया है और जो केन्द्रीय सरकार से सब्सीडी का पैसा मिलता है, उसका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश

हैंडलूम कारपोरेशन कर रहा है। मान्यवर, आपने यूपिका को बागडोर एक अनुत्तरदायित्वपूर्ण चेयरमैन को दे दिया है। एक करोड़ रुपये का माल बिना आर्डर खरीदा गया, जिसका पेमेंट पहले वाले एम0 डी0 ने रोकवा दिया था परन्तु मौजूदा एम0 डी0 ने चेयरमैन के दबाव में आकर उसका पेमेंट करवा दिया। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो डाइरेक्टर हैं, जो चुनाव लड़े और चुनाव में वह हार गये थे, लेकिन सरकार ने उनको उसी पद पर नामजद कर दिया है जो नियमावली के विरुद्ध है। और दूसरों मान्यवर, जो डाइरेक्टर हैं बराबर, नियमावली के आधार पर, चौथे टर्म नहीं रह सकता है, लेकिन वह हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह तमाम चीजे होने के बाद मैं यह मान लूं कि चेयरमैन साहेब का इसमें हाथ है या उनको जानकारी नहीं है। अगर सरकार उनको रोजी रोटी से लगाना चाहती है, तो बहुत से निगम हैं, उनका चेयरमैन बना देना चाहिये। क्या यही सबसे कमजोर यूपिका ही मिला है? जो बुनकर हैं वह सदियों से कांग्रेस को वोट देते चले आये हैं इसीलिये मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस चेयरमैन को तुरन्त वापस बुलावे और इस बोर्ड को तुरन्त भंग करें।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, मुझे समय निर्धारित कर दीजिए।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें, 5 मिनट हो चुके हैं।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव और देना चाहता हूं। पिछले वर्ष सरकार ने सुगर मिलों के किसानों की बकायाजात अदायगी के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए दिए थे। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि 'यूपिका' जो बुनकरों का इदारा है जहां बुनकरों का लगभग 3 करोड़ रुपया बाकी है उसको अदा करने के लिए आप कम से कम 5 करोड़ रुपया अनुदान दीजिए। मान्यवर, पिछले साल मैंने इसी सदन में एक बात कही थी कि हैण्डलूम कारपोरेशन में उद्योग विभाग के एक सचिव जिन्होंने मिसेस सुभासिनी अली जो अपने नाम और काम दोनों में अजूबा है, उन्हें हैण्डलूम कारपोरेशन में बिला किसी क्वालीफिकेशन के हैण्डलूम कंसलटेन्ट बना दिया गया था। वहां से मंजूरे नजर उनको हटाकर किसी एक सेक्रेटरी महोदय ने जिनकी वह मंजूरे-नजर हैं अपनी गलती को दोहराकर उन्हें इस बार यू0 पी0 इक्सपोर्ट कारपोरेशन में एक एक्सपर्ट बनाकर भेज दिया है। मैं चाहता हूं कि इस बार मिसेस सुभासिनी अली की जगह उन सचिव महोदय को ही हटा दीजिए या उन्हें चलचित्र निगम में भेज दीजिए क्योंकि वहां उनकी तफरीह का सामान मिल जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, अभी 2-3 दिन पहले सहकारी समितियों की एक विजिलेंस की इन्क्वायरी शुरू हुई है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अगर हुकूमत दम रखती है, अगर माननीय मंत्री जी कुछ बुनकरों का भला करना

चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के जितने विभाग हैं सहकारी समितियों के वहां पर विजिलेंस की इन्क्वायरी करावें या उसे स्थगित करें। कानपुर में शुक्लागंज और बांगरमऊ की इन्क्वायरी जरूर करावें। क्योंकि मेरी जानकारी है कि एक-एक आदमी के पास 20-20 समितियां हैं और यह सब लोग कानपुर के रहने वाले हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, मुझे सुन तो लीजिए। जनता धोती जिसमें एक ए0 पी0 ओ0 बाराबंकी में सबस्टैण्डर्ड माल खरीदने से सस्पेण्ड कर दिया गया था। खलीलाबाद में बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट आफिसर श्री रामालिंगम ने जनता धोती 600-700 ग्राम की लाखों रुपये की खरीदी जो अभी भी स्टोर में मौजूद है। उसे क्यों नहीं निकाला गया? यह दोहरा पैमाना क्यों है? यह इसलिए हो रहा है कि हैण्डलूम कारपोरेशन इस वक्त अधिकारियों के दो गुटों की लड़ाई की चपेट में है। वहां एक पी0 सी0 एस0 आफिसर डिप्टी जी0एम0 को लाने की क्या जरूरत थी जबकि कारपोरेशन पहले से ही कई बड़े सफेद हाथियों के बोझ तले दबा हुआ था। मान्यवर, लखनऊ का चिकन उद्योग हिन्दुस्तान में मशहूर है। मान्यवर, जब मैंने एक बूढ़ी बेवा औरत से पूछा जो चिकन का काम करती थी और एक्सपोर्ट कारपोरेशन से सम्बन्धित है, उसने रोते हुए मुझे बताया कि एक कुर्ता दो दिन में बनता है और उसका उसे 3 रुपये दिया जाता है। यह कैसा खिलवाड़ है? चिकन सेंटर जो डालीगंज में बना हुआ है उसमें 8-9 लोग काम करते हैं इसका टर्न ओवर 2 लाख से भी कम है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, मैं एक बात और कह कर समाप्त करता हूं। मान्यवर, तिवारी जी की सरकार ने तय किया था 1976-77 में कि उत्तर प्रदेश दुकान एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान नियम के अधीन एक जी0 ओ0 लेबर आफिस में कराने का जिसको राज्यपाल उत्तर प्रदेश ने इक्जम्प्ट कर दिया था अब क्या जरूरत पड़ गई कि फिर उसे फैक्ट्री एक्ट में शामिल किया जा रहा है? मान्यवर, एक शेर कहना चाहता हूं–

हमको उनसे वफा की है उम्मीद,
जो नहीं जानते वफा क्या है।

*श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। माननीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका घनघोर विरोध करती हूं और उद्योग मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसका समर्थन करती हूं। मान्यवर, मैं ब्रह्म दत्त द्विवेदी जी, जो बड़े अच्छे वक्ता हैं, को सुन रही थी। उन्होंने एक तरफ बुराई बतानी शुरू की लेकिन मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहती हूं कि यही हिन्दुस्तान था जहां सुई तक नहीं बनती थी और आज यही हिन्दुस्तान है जिसमें हवाई जहाज बनने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगे हैं । इतनी प्रगति उद्योग के माध्यम से हुई है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बात न करें ।

श्री मती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, यही नहीं बड़े से बड़े कारखाने इस देश की धरती पर, इस प्रदेश की धरती पर लगते चले जा रहे हैं । यह बात नहीं है कि नहीं लग रहे हैं । लखनऊ में चिनहट में हवाई जहाज बनाने का कारखाना है जो लखनऊ की धरती पर, उत्तर प्रदेश की राजधानी में बना हुआ है । यही नहीं, अनेक उद्योग इस प्रदेश में लगाये गये हैं । हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है।हमने कृषि के क्षेत्र में काफी उन्नति की है, इसमें कोई संदेह नही है, यह सत्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता है । लेकिन खाली हल और बैल के ऊपर खेती हो तो मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि सभी विरोध पक्ष के लोग जानते हैं कि आज प्रदेश के अन्दर इतनी अच्छी फसल पैदा नहीं हो सकती थी । आज देश और प्रदेश की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है और खेत में इतना अन्न पैदा हो जाता है कि जिसके परोक्ष में उद्योग का बहुत महत्व है । उसके द्वारा ट्रैक्टर बनाने लगे हैं, थ्रेशर बनने लगे हैं, ट्रक्स बनने लगे हैं, क्या यह उद्योग की तरक्की नहीं है ? यह जानने की आप कोशिश करें । यही नहीं, हमारे यहां प्लास्टिक के कारखाने बनने लगे हैं जहां प्लास्टिक के सामान बनते हैं और विरोध पक्ष के सभी साथी उसका उपयोग करते हैं जैसे गिलास के रूप में तश्तरी के रूप में टेबुल और चेयर के रूप में हम उनका उपयोग करने लगे हैं । हमारे यहां पोटरीज की फैक्टरीज, ग्लास की फैक्टरीज चल रही हैं और उसका उपयोग हम सब करते हैं । ऐसी बात नहीं है ।

एक चीज माननीय बुनियाद हुसैन अंसारी जी ने बड़े दर्द से कही और यूपिका का उन्होंने संदर्भ दिया । मैं उनको चुनौती के साथ कहना चाहती हूं कि लखनऊ में पहले केवल दो दुकानें यूपिका की खुली थीं, मैं दावे के साथ कहना चाहती हूं कि आज यूपिका की 10 दुकानें खुली हुई हैं । आप जाकर देख लें और हर दुकानों के सामने लिखा हुआ है कि 22 रुपये 40 पैसे की जनता धोती जनता के लिए उपलब्ध है । मैं विरोध पक्ष के सदस्यों से कहना चाहती हूं कि जहां-जहां इस प्रकार की दुकानें हैं, उन्हें आप देख सकते हैं । माननीय सदस्य ने बुनकरों के लिये बड़ी हमदर्दी दिखाई । मुझे भी उनके प्रति उतनी ही हमदर्दी है । मैं इसी दर्द की दुहाई देकर इस माननीय सदन को बताना चाहती हूं कि इसी नाते मैं जगह-जगह गई । मैंने बुनकरों के दरवाजे खटखटाये, सोसाइटियों के दरवाजे खटखटाये । उनसे कहा कि आप काम करिये, हमारे साथ मिलकर काम करिये । मैं आपको बताना चाहती हूं कि जितनी भी सोसाइटियां काम कर रही थीं आज वे चौगुनी बढ़ गई हैं । उनकी फेहरिस्त भी मेरे पास है । वह मैं आपको दिखाने के लिये तैयार हूं । मान्यवर मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहती हूं । सरकार की नीति प्रदेश से लेकर पूरे देश में जरा जाकर

तो देखिये । एक गरीब के पास से 34 रुपये में धोती खरीदी जाती है यानी मंहगी खरीदी जाती है, बुनकरों से खरीदी जाती है और इसलिये कि उसकी जेब में वह पैसा जाय, ज्यादा जाय और वह जनता में बेची जाती है 22 रुपये 40 पैसे में । तो क्या यह निर्बल वर्ग के उत्थान की नीति नहीं है । तो यह कहने की बात नहीं है कि यह कैसी नीति है ?

एक बात और कहना चाहूंगी कि हमारे पास अधिकारियों की और खास तौर से प्रबुद्ध अधिकारियों की कमी नहीं है । लेकिन मुझे यह कहने में बड़ी तकलीफ होती है कि जब एक ही अधिकारी को 3/4 काम दे दिये जाते हैं । इसकी वजह से किसी एक काम में कमी हो जाती है । मान्यवर, वही कहावत चरितार्थ होती है कि अंधा बांटे रेवड़ी, फिर-फिर अपने को देये । मान्यवर, 3/3 जगहों पर एक अधिकारी बैठे हैं । कहीं वह डायरेक्टर होता है तो कहीं किसी निगम का चैयरमैन होता है । प्रदेश में बहुत से अधिकारी हैं जिनको अधिक स्थानों पर बैठा करके उनसे ज्यादा काम कराया जाता है । मान्यवर, अगर आप आज्ञा दें तो एक बात कह कर समाप्त करूंगी ।

श्री अधिष्ठाता–

समय हो चुका है ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

थोड़ी सी महिला हूं इसलिए उसका भी ध्यान रखें समय देने में । मान्यवर, बुनियाद हुसैन अन्सारी एक बात बड़े मजे से कह गए । तो किसी भी कमजोर और निर्बल को कचोटने के पहले जरा उनके साथ मेहनत करके खड़े होईये, थोड़ा चल कर देखिये, मैं आपको दावतनामा देती हूं जिस तरह से आप बुनकर की सहायता करना चाहते हैं उसके परिप्रेक्ष्य में आप देखें हमारे प्रदेश की सरकार और उद्योग मंत्री तथा हमारे मुख्य मंत्री किस तरह से सहायता कर रहे हैं बिना भेदभाव के निर्बल और कमजोर वर्ग की सहायता कर रहे हैं । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करती हूं ।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उद्योग एवं श्रम विभाग का बहुत महत्व है । माननीय मंत्री जी ने जिसकी विस्तार से चर्चा की और हमारे कटौती के प्रस्तावक द्विवेदी जी ने नीति सम्बन्धी अनेक मुद्दों में परिवर्तन करने की बात कही । चूंकि समय कम है मैं दो तीन बातें ही कहूंगा ।

लघु उद्योगों की स्थापना के लिए जो योजना है उसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नोयडा, गाजियाबाद के आपके विभाग के अधिकारियों ने फर्जी कारखाने बना दिये हैं जो दिल्ली में कारखाने चल रहे हैं और नोयडा के नाम पर आपसे कैपिटल सब्सिडी और सेल्स टैक्स में छूट ले लेते हैं । मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा बात न कह कर केवल एक रिपोर्ट पढ़ना चाहता हूं और इस सम्बन्ध में एक लिस्ट आपके पास भेज देना चाहता हूं । एक इलेक्ट्रानिक यूनिट गाजियाबाद में है इसके बारे में बिक्रीकर कमिश्नर ने लिखा है कि इनकी बिक्रीकर की चोरी का तरीका इस तरह से है कि दिल्ली में पुरानी फैक्ट्री में जो टेलीविजन बनते थे उनको नोयडा में बना हुआ दिखा देते हैं, दिल्ली में इस कं0 के जो डायरेक्टर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं वही नोयडा की कम्पनी के भी डायरेक्टर हैं और पिछले 6 महीनों में 20 लाख रुपये की बिक्री कर की चोरी का मामला है। इस तरह से बीसियों फर्म हैं जिन्होंने फर्जी नाम रखा है जो आपके यहां से कैपिटल सब्सिडी और सेल्सटैक्स में छूट लेते हैं। इस तरह से बीसियों उद्योग हैं जो दिल्ली में स्थापित हैं और अपना नाम बदल कर लाखों करोड़ों रुपये की कर वंचना करते हैं। यह सब काम आपके अधिकारियों से मिल कर होता है। इस तरह से जबरदस्त भ्रष्टाचार किया है। तो आपका जो उद्देश्य है, जो आपकी मंशा है लघु उद्योगों की इकाई स्थापित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का और श्रम में मानव दिवस बढ़ाने का वह सारा आपके अधिकारी ध्वस्त कर रहे हैं।

श्रीमन्, मैंने इस नोयड़ा के मामले में माननीय मुख्य मंत्री जी को 14-10-85 को एक पत्र लिखा था और उस सम्बन्ध में एक रिमाइंडर 4-11-85 को दिया था इस इलेक्ट्रानिक यूनिट के सम्बन्ध में। इस तरह के बीसियों कारखाने हैं जिनकी सूची मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी के दफ्तर में दी है उसकी प्रति मैं आपको भी दे रहा हूं। लेकिन इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मैंने स्पष्ट आरोप लगाया है कि जनरल मैनेजर श्री परमानन्द सिंह हैं जिन्होंने इस प्रकार के फर्जी उद्योग लगवाने और 112 पुराने उद्योगों का नाम बदल कर नये उद्योग लगाने तथा स्थापित करने की संस्तुति की जिससे करोड़ों रुपयों का घपला हुआ है। मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन कहना चाहता हूं कि आज के मंत्रिपरिषद् के और हमारे सदन के जो नेता हैं उनके वह निकट के सम्बन्धी हैं। मैंने इस सम्बन्ध में पत्र भेजा था मान्यवर, आपके माध्यम से मैं उनकी कापी दीक्षित जी को देना चाहता हूं। इसमें नोयडा की फर्जी के नाम हैं।

मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूं ट्राइसम योजना के अन्तर्गत जो काम करते हैं बेरोजगारी उन्मूलन के लिए जो योजना है उसमें आयु सीमा 35 वर्ष रखी है, मजदूरी की जो सीमा निर्धारित की है वह भी गलत ढंग से दर्शाई है, बहुत घपला इसमें किया है। इस सम्बन्ध में राज्य नियोजन संस्थान उ0 प्र0 ने एक सर्वे दल बनाया था और उस अध्ययन दल ने रिपोर्ट अपनी जनवरी में भेजी है जिसमें कहा गया है कि आपके अधिकारियों ने आयु सीमा का उल्लंघन किया है, और गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों की आयु सीमा का उल्लंघन किया है और ऐसे लोगों को रुपया दिया है जिनके नाम पते नहीं मालूम हैं और न वह मौजूद हैं, इसलिए उनसे बैंक का रुपया आप वसूल नहीं कर सकते हैं। यह करोड़ों रुपये का घपला हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि नेता सदन उस रिपोर्ट को सदन के सम्मुख प्रस्तुत करें ताकि इस योजना में जो गड़बड़ियां हुई हैं वह प्रकाश में आ सकें।

मान्यवर, तदर्थ वाद के नाम पर आप अपने अधिकारियों को पीड़ित कर रहे हैं। सैकड़ों अधिकारी अपना वेतनमान बढ़ा रहे हैं और सेवा के बाद भी ज्यादा वेतन ले रहे हैं लेकिन उनका नियमितीकरण नहीं हुआ है। आप दूसरे विभागों से बी0 डी0 ओ0 लेकर

उनको अधिक वेतन दे रहे हैं जबकि उनको आपको वापस उनके मूल विभाग को भेज देना चाहिए था। इसलिये इस तदर्थवाद को आप समाप्त करें और नियमितीकरण करके अपने विभाग के अधिकारियों की पदोन्नति करें जिससे उनके मन में जो निराशा फैल रही है वह दूर हो सके।

मान्यवर, जो इलेक्ट्रानिक इन्डस्ट्री है जिसे प्रदूषण के नाम पर लगाना चाहते हैं आगरा को ट्रान्सफर करें और मथुरा की रिफाइनरी का उस पर असर नहीं होगा।

मान्यवर, मैं यह भी चाहता हूं और मेरा सुझाव है कि मथुरा में जो रिफाइनरी है उससे गैस पाइपलाइन के जरिए फिरोजाबाद की चूड़ी और कांच की फैक्ट्रियों को गैस सप्लाई करें जिससे चूड़ी और कांच पकाने का काम किया जा सके।

मान्यवर, मैं यह भी मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में कोयले की सप्लाई 1984 की अब 1986 में कर रहे हैं और उद्योग निदेशालय 1986 की सप्लाई के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित करके लाखों रुपये रिश्वत में ले रहा है और यह सप्लाई 1988 में मिलेगी। इस लिये प्रार्थना है कि इस रिश्वत को रोकने के लिये आप कड़े कदम उठायें। मेरा यह भी सुझाव है कि फिरोजाबाद और गाजियाबाद में कोयले की आपूर्ति के लिये एक स्पेशल प्लान बनायें अन्यथा काम नहीं चलेगा और इस आपूर्ति को प्रत्येक वर्ष सुनिश्चित करने का काम करें।

मान्यवर, आपका विभाग जो भ्रष्टाचार से ओतप्रोत है उसको दूर करने के लिये आपको कठोर कार्यवाही करनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री मोहम्मद असलम खां–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने उद्योग विभाग के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं मंत्री जी द्वारा रखे बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

मान्यवर, सरकार की नीति के अनुसार उद्योग इस प्रदेश में तरक्की कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज इस अवसर पर 3-4 सुझाव मैं देना चाहता हूं। जो लघु उद्योग हैं इसमें जो कठिनाई है वह छोटे उद्यमियों को आती है जिसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि एक तो रा-मैटेरियल की बहुत कमी है। कच्चे माल की कमी है और ज्यादातर यह उद्योग इसी कारण नुकसान में जाते हैं और उद्यमियों को परेशानी होती है।

मान्यवर, मैं धाड़ क्षेत्र के एक पिछड़े इलाके से चुनाव लड़ा था और आपको इस बात को सोचकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहां उद्योग नाम की कोई चीज नहीं है, उद्योग के नाम पर वहां केवल बांध की रस्सी ही बनती है। यह कार्य कुटीर उद्योग में भी पूरी तरह से नहीं आ पाता है, लघु और मध्यम उद्योग की बात कौन कहे। यह बांध की रस्सी भांवर घास से बनती है, और इसके बनाने के लिए अभी तक कोई मशीन नहीं बनी है, पूरी तरह सारा कार्य हाथों से किया जाता है इसलिए हम इसको कुटीर उद्योग भी नहीं कह सकते हैं। हमारे यहां 80 फीसदी लोग बांध बनाने का काम करते हैं। यह बड़े और मध्यम उद्योग देखने का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो वहां के लोगों को मौका ही नहीं मिला है। यू0 पी0 फाइनेन्शियल कारपोरेशन और पिक-अप के बारे में कुछ बातें कही गई। इसकी जो ऋण देने की नीति है, वह कभी-कभी बड़ी अजीबो-गरीब पाई गई है। एक जगह पर मुझे याद है यह लोन सेंक्शन हुआ, यू0पी0 फाइनेन्शियल कारपोरेशन ने इसके कागजात पूरे किये, लेकिन उसके बाद पैसा देने का वक्त आया तो बताया गया कि यह जो प्रापर्टी है इसका आप सेकेण्ड पार्टी को बैनामा कीजिए, तब पैसा दिया जायगा। तो जिसके पास प्रापर्टी होगी वह कर्जा ही क्यों लेगा आपसे। तो जो लोग यू0 पी0 फाइनेन्शियल कारपोरेशन को कर्ज देने के लिए अप्लाई करते हैं, उनको ठीक तरह से पैसा मिलना चाहिए। इस तरह मैं अपने धाड़ क्षेत्र की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। नमस्कार।

[समय 4 बजकर 45 मिनट]

*श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

मान्यवर, आज सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र हावी हो रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र की बराबर उपेक्षा हो रही है। मालूम पड़ता है कि पूंजीवादी पंजा इस देश में और प्रदेश में कसता चला जा रहा है। अतः सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शासन को प्रयास करना चाहिए। यह जरूरी है कि सार्वजनिक क्षेत्र में.... (व्यवधान) केवल कार्यकुशलता का परिणाम है, अतः वहां पर कार्यकुशल प्रबन्ध समिति की व्यवस्था होनी चाहिए। औद्योगिक विकास की गति धीमी हो रही है और इसके धीमी होने का मुख्य कारण सरकारी नीतियों का वहां पर अच्छे ढंग से न लागू किया जाना है। इसलिए इन नीतियों में सुधार होना चाहिये। औद्योगिक विकास की गति धीमी होने का दूसरा कारण है सुविधाओं की कमी और अत्याधुनिक तकनीक का न होना। भ्रष्टाचार भी साथ-साथ बढ़ रहा है, यह भी इसके पीछे एक कारण है।

मुझे बीमार उद्योगों के सम्बन्ध में यह कहना है कि बीमार उद्योगों को कारगर बनाया जाये और जो बीमार उद्योग हैं, उनमें जो श्रमिकों के रोजी रोटी की भीषण समस्या पैदा हो गई है, उसके निराकरण के लिये यह आवश्यक है कि बीमार उद्योगों को जल्दी से जल्दी ठीक हालत में किया जाए। उनको तकनीकी ढंग से सही कराया जाए। लघु उद्योगों के बारे में एक बात यह कहनी है कि यदि लघु उद्योगों का ज्यादा विकास किया जाए तो उससे बेरोजगारी दूर हो सकती है और महंगाई भी दूर हो सकती है। इसलिए लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों को देहातों में बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

इसके साथ ही साथ जो संकट ग्रस्त उद्योग हैं उनको श्रम सहकारी समितियों के सुपुर्द कर देना चाहिये। उद्योग धन्धों में जो औद्योगिक प्रबन्ध समितियां हैं उनमें श्रमिकों की भी साझेदारी को लागू करना चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड में अनेक जिले उद्योग शून्य हैं। इसमें बांदा जिला सबसे पिछड़ा है।

वहां पर एक ग्लास फैक्टरी की स्थापना के बारे में पिछले बजट सत्र में कहा गया था लेकिन पता लग रहा है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि वह फैक्टरी इलाहाबाद में लगने जा रही है। बांदा जिले में कोई विकास नहीं हुआ है और न लोगों को कोई फायदा पहुंचा है। बांदा में केन नदी में सजर पत्थर बहुत पाया जाता है तो इसके तराशने के लिये वहां पर फैक्टरी लगायी जाय। सजर पत्थर पर आधारित कारखाना कम दामों में तैयार हो जायगा। बांदा जिले में अतर्रा में बहुत सी धान की मिलें हैं जिससे काफी मात्रा में धान की भूसी निकलती है। यदि भूसी से दफ्ती बनाने का कारखाना वहां चलाया जाय तो लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। इसलिये मेरी मांग है कि अतर्रा में भूसी से दफ्ती बनाने का कारखाना लगाया जाय। यह कारखाना बहुत कम दामों में लग सकता है। इसी के साथ-साथ बांदा जिले में मऊ मानिकपुर में सिलिका सैंड बहुत अधिक मिलता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि वहां पर सिलिका सैंड पर आधारित उद्योग का कारखाना लगायें। इसी के साथ में कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री नेक चन्द्र पाण्डेय—

मान्यवर, आपने मुझे इस बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया उसके लिये आपको धन्यवाद। अभी माननीय ब्रह्मदत्त जी कटौती का प्रस्ताव रख रहे थे, वह फर्रुखाबाद के सदस्य हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह लखनऊ से फर्रुखाबाद जाते समय एयर कंडीशंड डिब्बे में परदे गिराकर चलते हैं इसीलिये उनको कुछ दिखायी नहीं देता है। फर्रुखाबाद जाते समय उन्नाव आता है उसके बाद कानपुर देहात आता है तब वह फर्रुखाबाद पहुंचते हैं। रेल की पटरी के किनारे देखा जाय तो उन्नाव में इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया है जिसमें सैकड़ों उद्योग लगे हुये हैं। कानपुर देहात को उद्योग शून्य जनपद घोषित किया गया है। सन्दना जहां से कानपुर देहात शुरू होता है और कन्नौज जहां पर कानपुर की सीमा समाप्त होती है वहां पर जी0 टी0 रोड के किनारे बड़े और छोटे उद्योग लगे हैं। यह इस बात का द्योतक है कि अनेक छोटे और बड़े उद्योगों का जाल बिछाया गया है लेकिन उन्होंने इसका कोई जिक्र नहीं किया।

भारतीय जनता पार्टी के वह हैं वह बड़े लोगों की पार्टी है। उनको नहीं दिखायी देता है। सरकार गांवों का विकास कर रही है। गांवों में इंडस्ट्रियल एरियाज स्थापित कर रही है लेकिन मान्यवर, इनको दिखायी नहीं देता है। आलू जो पैदा होता है तो उसके लिये इतने ज्यादा कोल्ड स्टोरेज लगाये गये हैं कि आलू बरबाद नहीं हो रहा है। धान की मिलें लगायी गयी हैं। दलहन के लिये दाल मिलें लगायी गयी हैं। लेकिन यह इनको नहीं दिखायी देता है। यह सिर्फ परम्परागत कटौती का प्रस्ताव रखते हैं और हमारे विकास कार्यक्रम जो हैं और नये-नये संसाधनों का सृजन करके विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिये बजट में प्रस्ताव करते हैं तो उसमें भी यह कटौती की बात करते हैं। मान्यवर, कानपुर देहात में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्थापना करके उद्योगों के सृजन को महत्व दिया गया है। मेरे यहां चौबेपुर के दिलीपनगर में इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जा रहा है लेकिन उसमें रुकावटें डाली जा रही हैं तो मैं मांग करता हूं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि रुकावटों को दूर करके इसकी स्थापना की जाय। कानपुर में बड़े-बड़े उद्योग हैं। वहां पर प्रदूषण की समस्या है। बड़ी बड़ी मिलों का धुआं निकलता है और तमाम गंदा पानी गंगा नदी में डालने से प्रदूषण पैदा होता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे उद्योगों को प्रदूषण दूर करने वाले यंत्रों को लगाने के लिये बाध्य किया जाय। और गंगा जी के पानी को जो अपवित्र करता है, उसको दूर करने की व्यवस्था की जाए। इसलिए मैं मांग करता हूं अपनी सरकार से कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में तमाम उद्योग की जो इकाइयां लगाई गयी हैं उनमें बाहर के लोगों को सेवा का अवसर अधिक दिया जा रहा है, और हमारे यहां के युवकों को कम दिया जा रहा है, इसलिए इन उद्योगों में हमारे वहीं के नवयुवकों को ही ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराए जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मा0 उद्योग मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं, धन्यवाद।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

मान्यवर, इस पक्ष के और उधर के मा0 सदस्यों का एक ही मत है कि ज्यादा से ज्यादा इस पर समय दिया जाए। इसलिए समय इस पर चर्चा के लिए और बढ़ा दिया जाए।

श्री अधिष्ठाता–

बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक है, एकाध कोई मा0 सदस्य होते तो ठीक था, बुलवा लेते, परन्तु इतने अधिक लोगों को मैं समय की कमी के कारण बुलवा नहीं सकता, इसलिए मा0 द्विवेदीजी, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, अगर वह कुछ संक्षेप में अपनी बात कहना चाहें तो कहें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(तत्पश्चात् सर्वश्री काशी सिंह ऐरी, यदुनाथ सिंह तथा श्री मनोहर लाल सदन त्याग कर चले गये।)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मैं मान्यवर, आपका बहुत आभारी हूं कि दोनों ओर के माननीय सदस्यों को सुनने के बाद मुझे फिर मौका दिया और मान्यवर, उस पक्ष के जितने भी माननीय सदस्यों ने इस में भाग लिया है, बजट के प्रस्तुतीकरण के समर्थन के बाद सभी ने एक स्वर से सरकार की औद्योगिक नीतियों की आलोचना ही की है। मान्यवर, मैं इस पर कुछ अधिक न कहकर केवल 2-3 बातें संक्षेप में अवश्य कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि हमारे यहां उत्तर प्रदेश में जो छोटे-छोटे लघु उद्योग हैं, उनको जिंदा रखने के लिए और उनको प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उनके उद्योगों का वर्गीकरण करना बहुत आवश्यक है, इसे आप कर दें, ऐसा करना बहुत आवश्यक है क्योंकि आगरे के जूतों के काम करने वाले मोची तो काम करते करते मर जायेंगे और उसका लाभ उठायेंगे बाटा वाले। इसी प्रकार से तेल व साबुन आदि के क्षेत्र में काम करने वाले छोटे-छोटे उद्यमी मरेंगे और इसका लाभ उठायेंगे टाटा वाले व अन्य बड़े-बड़े उद्योगपति। इसलिए मेरा सरकार को यह सुझाव है कि इस प्रकार के छोटे-छोटे उद्योगों का वर्गीकरण कर दिया जाए दूसरे हमारे जो छोटे-छोटे और उद्योग हैं, विशेषतौर से आज ही

अखबारों में छपा है कि आगरे का एक छोटा सा उद्योग है, उस पर 14 गुना एक्साइज ड्यूटी थोप दी गयी, जिससे बेचारा वह ऐसे ही मर गया। एक तो उसका स्वयं छोटा उद्योग, उस पर सरकार द्वारा इतनी हैवी एक्साइज । इस लिए मान्यवर, मेरा सुझाव है कि इन छोटे उद्योगों को जहां आप कच्चा माल दिलवाने की सुविधा प्रदान किए हुए हैं वहीं पर अन्य सुविधाओं के साथ एक्साइज आदि की छूट की व्यवस्था भी करिए। साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि छोटे उद्यमियों ने जो माल तैयार किया है, अगर उनका यह माल कुछ समय तक बाजार में नहीं बिकता है, तो वह तो बेचारे छोटी पूंजी होने की वजह से पहले ही मरने के करीब हो जाते हैं, इसलिए जिस प्रकार से आपने गेहूं की खरीद के लिए जगह-जगह सेन्टर खोले हैं, उसी प्रकार से इनके तैयार माल पर यदि सरकार इनको उस माल की लागत का 75 फीसदी या 80 फीसदी दे देगी तो. . .

श्री मूल चन्द–

मैं भी सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री मूल चन्द भी सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

इस प्रकार की अगर सुविधा होगी, तो उनके सामने जो प्रोड्यूस है, जो उनका उत्पादन है, उत्पादन के सामान की विपणन की समस्या उनके सामने नहीं आयेगी और वह पनप सकेंगे । जो हमारे लघु-उद्योग हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए प्राइस प्रिफरेंस की स्कीम, वरीयता की प्राइस जैसे सरकार छूट देती है, छूट का तो दुरुपयोग भी होता है, चाहे वह लघु उद्योग हो, चाहे खादी हो, उस पर फर्जी बिक्री दिखाते हैं, केवल सब्सीडी प्राप्त करने के लिए वह अपनी फर्जी बिक्री दिखाते हैं । तो फर्जी बिक्री न करके, उनका जो उद्योग में घाटा हो, आप 15 प्रतिशत उनको प्राइस प्रिफरेंस फिक्स कर दें ।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो छोटे-छोटे उद्योग हैं, इनको विशेष तौर से कच्चा माल नहीं मिल पाता और इसलिए नहीं मिल पाता है कि इनकी अप्रोचेज नहीं होती है, जिसके लिए उन्हें सरकार पर या बड़े उद्योगों पर आश्रित रहना पड़ता है। उनके लिए कच्चे माल की सुविधा सुनिश्चित होनी चाहिए, जिससे वे पनप सकें। यह भी चाहता हूं कि श्रम और उद्योग विभाग एक में कर दिया जाय। ये दोनों विभाग अलग-अलग हैं, इससे काम नहीं चलता । उद्योग का उद्देश्य व्यक्तिगत पूंजी बढ़ने से है, जीवन स्तर बढ़ाने से है, उत्तर प्रदेश के अन्दर जो लोग बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दिलाया जाय । जब आप इसे जीविका से जोड़ देंगे, तब आपका उद्योग पनप सकेगा । आपका श्रम विभाग अलग है । उद्योगों में ठेकेदारी चलती है । आपके उद्योगों में ठेकेदारी पनप रही है। फर्रुखाबाद में करोड़ों रुपए की छपाई होती है, लेकिन वहां पर मजदूर कांट्रैक्टर के रूप में हैं, जो जितना छापता है, उसको उस हिसाब से पैसा मिलता है । इसी तरह से मुरादाबाद में ठेके पर पीतल का काम कराया जाता है और पीतल का काम बर्तन वगैरह जो बनवाते हैं, वह अपने मजदूरों को मात्र 8-10 रु0 रोजाना देते हैं, लेकिन उद्यमी लोग उससे लाखों रुपए कमाते हैं । इसी तरह से बीड़ी उद्योग है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में अनेकों जगहों पर बीड़ी उद्योग चलता है, जिसमें कम से कम 25 हजार मजदूर लगे हुए हैं, लेकिन कहने के लिए वे मजदूर नहीं हैं,

उनके ऊपर लेबर ला अप्लाई नहीं होता है । वे ठेके पर बीड़ी बनवाते हैं दो रुपए हजार के हिसाब से और वह 50रु0 हजार के हिसाब से बेचते हैं । तो मान्यवर, इस ठेकेदारी की प्रथा को आप समाप्त करें और यह तभी सम्भव होगा, जब आप उद्योग और श्रम विभाग को एक में कर देंगे । आप वरीयता भी दें, तो श्रम प्रधान उद्योगों को दें । जो छोटे या बड़े उद्यमी हों, जहां पर 50 या इसके आसपास काम करते हों, उनके लिए आप निर्देश कर दें कि वह अपने श्रमिकों के लिए आवास, पेंशन की योजना यह तो लागू करेंगे ही और आप उनको ऐसे निश्चित उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को जो मिनिमम वेजेज एक्ट के अन्तर्गत गवर्न नहीं होते हैं, उनको शासन के द्वारा वेतन दिया जाय । मान्यवर, एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि गांधी जी के नाम पर वोट मांगने वाली कांग्रेस सरकार में कुछ लोगों को गांधी जी के प्रति लगाव होगा और कुछ तो ललक होगी, वह एक सिद्धान्त मानते थे ट्रस्टीशिप का इसलिए आप यह भावना जागृत करें कि उद्यमी के हृदय में भी ट्रस्टीशिप की भावना जाग सके । लोग कल्याणकारी कार्यों को शुरू करते हैं तो उनको छूट मिले ।

इसी प्रकार कुछ बातें मैं खादी ग्रामोद्योग के बारे में कहना चाहता हूं । आजकल तो मंत्री लोग भी खादी नहीं पहनते हैं । आपके प्रधान मंत्री ने जिस दिन यह पास किया कि खादी पहनना अनिवार्य होगा उसके दूसरे ही दिन वह पालिएस्टर पहनने लगे तो फिर आप खादी को क्या सुविधा देंगे, सारी सुविधा तो पालिएस्टर को देंगे । इसी प्रकार से मान्यवर, एक और मेरा सुझाव है कि यह जो जिला केन्द्र आपने बनाए हैं, जो योजनाएं बनाई हैं, वह योजनाएं आपकी सफल नहीं हुई क्योंकि वह आपको ऊर्जा लोड दे नहीं सकते, कच्चा माल दे नहीं सकते तो आप कम से कम रोजगार कार्यालय को ब्लाक स्तर तक ले जायं । आप ग्रोथ सेंटर उसी लेबिल तक बना रहे हैं । आप इन विकास केन्द्रों को, इन रोजगार कार्यालयों को उस लेबिल तक ले जायं जिससे वहां के जो कार्य करने वाले लोग हैं, उस क्षेत्र के लोगों को कार्य मिल सके ।

अन्त में मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि यह जो आप क्षेत्रीय असंतुलन पैदा करते हैं उस क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करें । कौन सी चीज कहां पर निर्मित होगी, कहां पर श्रम अवेलेबिल है, जहां श्रम है वहां उद्योग नहीं है । कहीं पर श्रम और उद्योग है तो लाइसेंस नहीं है तो इस विषय में असन्तुलन समाप्त करने के लिए आप प्रभावी कदम उठायें । मान्यवर, मैं एक बार पुनः सुझाव देने के बाद भी अनुभव करता हूं कि यह सरकार बहरी और गूंगी है । भ्रष्टाचार पनप रहा है । कोई कन्ट्रोल नहीं है सरकार का या मंत्रियों का । अफसरशाही उसको चलने नहीं देते हैं इसलिए मैं समझता हूं और बल देता हूं इस बात पर कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए शासन को एक रुपया भी देना धन का दुरुपयोग होगा इसलिए मैं पुनः अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे साथ सहमति व्यक्त की है ।

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)–

अधिष्ठाता महोदय, हमारे विद्वान मित्र श्री द्विवेदी जी ने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिये हैं और जहां तक उन्होंने

कतिपय भ्रष्टाचार की बातें कहीं, यह बातें तो हर क्षेत्र में कही जाती हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से यह जरूर कहना चाहता हूं कि यह भ्रष्टाचार का कोई सामूहिक, समूल उदाहरण दें और जब तक वह इसका उदाहरण हमें विधिवत नहीं देते तब तक सदन में भ्रष्टाचार की बात कहना तथ्यों से परे है।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, आपके माध्यम से सामूहिक भ्रष्टाचार का उदाहरण मैं प्रस्तुत करता हूं। यदि आपमें हिम्मत है तो आप इसकी जांच करा लें।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें। व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, आप इस उदाहरण की भी जांच करवा लीजिये।

श्री राम औतार दीक्षित–

अंसारी जी बुनकरों के बीच से आये हैं, इनका यही नहीं मालूम कि सूत की कीमत क्या है अभी कह रहे थे कि सूत की कीमत बढ़ी है।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

आप कार्यवाही निकलवाकर देखलें। मैंने कहीं यह नहीं कहा है कि सूत की कीमत बढ़ी है। इनको सपना आ रहा है।

श्री राम औतार दीक्षित–

माननीय सदस्य बोल रहे थे तो मैं बड़े गौर से सुन रहा था। लेकिन हमारे बोलने पर बार-बार जैसा नये लोगों में आदत होती है, खड़े हो रहे हैं, सदन में वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि उनसे आप कुछ सीखें।

सूत का दाम डेढ़ नम्बर का जुलाई, 85 में 53 और 62 रुपये था दिसम्बर, 85 में यह 50 से 52 रुपये हुआ, 2 नम्बर जुलाई, 85 में 60 से 79 रुपये था अब दिसम्बर, 85 में 49 रुपये 68 रुपये हुआ, इसी प्रकार 6 नम्बर का जुलाई, 85 में 82 से 85 था दिसम्बर में 72 से 76 हुआ, 4 नम्बर 98 से 100 रुपये था और दिसम्बर, 85 में 85 से 91 रुपये हो गया। माननीय सदस्य ने प्रतापगढ़ आटो टैक्टर के बारे में कहा मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हम रोजगार नहीं करते, व्यापार नहीं करते कि हर चीज में लाभ हो, यह कल्याणकारी राज्य है, बहुत से ऐसे काम हमको करने पड़ते हैं जनहित में जिसमें नुकसान होता है। माननीय सदस्य ने और बहुत से सुझाव दिए, मैं उनका परीक्षण करूंगा। निरीक्षण करूंगा और उनको आत्मसात करने की चेष्टा करूंगा। उद्योग के बजट पर जिन माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया मैं उनका आभारी हूं। मैं माननीय ब्रह्म दत्त द्विवेदी जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लें।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4-उद्योग विभाग (खान और खनिज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 4–उद्योग विभाग (खान और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **4,99,45,000** रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या--5--उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के

अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 20,33,25,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–6 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 6–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 29,94,40,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 7–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 45,37,19,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 8–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 8–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 14,82,60,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9–उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 9–उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,11,55,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(मेजों की थपथपाहट)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

नियम 51 के अन्तर्गत आज 7 सूचनाएं प्राप्त हुईं । (1) श्री सत्यपाल सिंह की सूचना कासगंज, एटा निवासी श्री जितेन्द्र पाल सिंह की हत्या के बारे में, (2) श्री अनुग्रह नारायण सिंह की लखनऊ स्थित स्वास्थ्य भवन में आग लगने के बारे में, (3) श्री बाबू राम यादव, श्री पारस नाथ यादव एवं श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ की 13-1-86 को के0 के0 सी0 डिग्री कालेज के सामने आग लगने के संबंध में, (4) श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की बांदा की नरैनी तहसील के अन्तर्गत रसिन बांध परियोजना का काम पूरा न किए जाने के संबंध में, (5) श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की मेरठ के निकट छज्जा गिरने से 13 लोगों के मरने के संबंध में है । (6) श्री अकबर हुसैन बाबर की फैजाबाद में हरिजन बालिकाओं के साथ बलात्कार के संबंध में है। और 7वीं सूचना श्री राम नरेश की मैनपुरी में डकैती के संबंध में है ।

मैंने पहली सूचना, जो श्री सत्यपाल सिंह की है, उसे स्वीकार किया है । बाकी सबको अस्वीकार किया है ।

सेकेण्ड एडीशनल सेशन्स व जज गोण्डा द्वारा श्री फसीउर्रहमान सदस्य, विधान सभा को कारावास व जुर्माना किए जाने की सूचना

श्री अधिष्ठाता–

इसके अतिरिक्त एक सूचना सदन को देनी है, वह इस प्रकार है । सेकेण्ड एडीशनल सेशन्स जज गोण्डा ने अपने पत्र दिनांक 6-3-86 जो 14-3-86 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां, सदस्य, **विधान सभा को भारतीय दण्ड विधान की** धारा 148 एवं धारा 149 के साथ पठित धारा 307 के अन्तर्गत अपराध संख्या 112 सन् 1980, थाना–कर्नलगंज, जिला–गोण्डा, सेशन ट्रायल संख्या 281 सन् 1981, राज्य बनाम मारुफ तथा अन्य, में उक्त जज द्वारा दिनांक 5-3-86 को भारतीय दण्ड विधान की धारा 149 के साथ पठित धारा 307 के अन्तर्गत 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं रु0 100/- के जुर्माने एवं जुर्माना का भुगतान न करने पर 4 माह का कठोर कारावास तथा धारा 148 के अन्तर्गत एक वर्ष का कठोर कारावास दिया गया और दोनों सजाएं एक साथ चलने की भी सूचना दी गई है ।

उक्त सेकेण्ड एडीशनल सेशन्स जज ने अपने उक्त दिनांक के दूसरे पत्र जो 14-3-86 को प्राप्त हुआ, में यह भी सूचित किया है कि उक्त माननीय सदस्य को अन्तरिम जमानत पर एक माह के लिए रिहा कर दिया गया है, ताकि वे उच्च न्यायालय में अपील कर सकें ।

बस्ती जिले के डुमरियागंज तहसील मुख्यालय पर एक जनसभा में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से श्री रामवृक्ष पाण्डेय की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

एक सदस्य–

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 23-2-86 को हिन्दू जागरण मंच, बस्ती द्वारा श्री राम जन्म भूमि मुक्ति हेतु चलाये जा रहे आन्दोलन को सुदृढ़

(नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

व सफल बनाये जाने हेतु कस्बा डुमरिया गंज जनपद बस्ती में विराट हिन्दू संगम नामक आयोजन का प्रस्ताव किया गया था, जिसमें महन्त अवैधनाथ (गोरखपुर) महन्त मृत्यु गोपाल दास, राम चन्द्र परमहंस जी (अयोध्या) स्वामी मोक्षानन्द (मथुरा) आदि के सम्मिलित होने की सम्भावना थी। इस आयोजन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से राम जानकी की झांकी को लेकर डुमरियागंज में सम्मिलित होना, शोभा यात्रा निकालना, वी0डी0 ओ0 फिल्म दिखाने आदि के कार्यक्रम थे। इसके क्षेत्रीय संयोजक द्वारा व्यापक प्रचार हेतु पर्चे छपवाकर कार्य कर्ताओं द्वारा सुनियोजित ढंग से धार्मिक भावनाओं को प्रेरित कर व जन सम्पर्क द्वारा व्यापक प्रचार किया गया।

2—विराट हिन्दू संगम के क्षेत्रीय संयोजक ने परगना मजिस्ट्रेट, डुमरियागंज से उक्त आयोजन की अनुमति दिनांक 18-2-86 को मांगी थी, जिसे परगना मजिस्ट्रेट, डुमरियागंज द्वारा दिनांक 19-2-86 को अस्वीकार कर दिया गया था।

3—यह कहना सही नहीं है कि धारा 144 दिनांक 22-2-86 को लगायी गयी। वास्तविकता यह है कि साम्प्रदायिक तनाव एवं धार्मिक उत्तेजना को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिकोण से परगना मजिस्ट्रेट, डुमरियागंज द्वारा धारा 144 दं0 प्र0 सं0 अन्तर्गत निषेधाज्ञा दिनांक 20-2-86 को ही लगा दी गयी थी, जिसका व्यापक प्रचार पूरे क्षेत्र में लाउडस्पीकर आदि के माध्यम से किया गया, तथा तहसीलदार, डुमरियागंज व ब्लाक कार्यालयों पर प्रचार हेतु प्रतिलिपि भी भेजी गयी। बीट कान्सटेबिलों द्वारा भी प्रचार गांवों में कराया गया। पुनः आयोजकों द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती को आयोजन करने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया जिसको जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भी दिनांक 22-2-86 को ही विचार कर निरस्त कर दिया गया।

4—विराट हिन्दू संगम के आयोजकों द्वारा गांव-गांव में जन सम्पर्क किया गया था। गांववासी धार्मिक भावना में बहकर विभिन्न मार्गों से एकत्रित होने लगे। यह सही नहीं है कि एकत्रित लोग जुलूस बनाकर सड़कों पर घूमकर 12 बजे वापस आ गये। वास्तविकता यह है कि उन्हें जुलूस बनाने से रोका गया। दिनांक 23-2-86 को प्रातः साढ़े सात बजे राप्ती पुल के पास पश्चिम बन्धे पर लाउडस्पीकर शामियाना, दरी, पोस्टर आदि लेकर इकट्ठा हुये चार व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा 151/107/116 जा0 फौ0 गिरफ्तार किया गया। आयोजन के उक्त सामान को कब्जे में ले लिया गया तथा बाकी भीड़ तितर बितर हो गयी।

5—पुनः कस्बा डुमरियागंज के मुहल्ला तेलियाना में समय 11-30 बजे दिन में भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाने पर प्रादेशिक पदाधिकारी, हिन्दू जागरण मंच, कानपुर सहित 37 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा 188 भा0 द0 वि0 गिरफ्तार किया गया तथा बाकी भीड़ तितर-बितर हो गयी।

6—दोपहर करीब 2-15 बजे कस्बा डुमरियागंज चौराहे पर मन्दिर के पास धार्मिक भावना से उत्प्रेरित लोग पुनः इकट्ठा होने लगे जिन्होंने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप के

बावजूद बार-बार आम सभा करने का प्रयास किया। अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा चेतावनियां देने के बावजूद मंदिर के पास एकत्रित भीड़ में से कुछ व्यक्तियों ने साम्प्रदायिक नारे लगाना प्रारम्भ किया जिसको भीड़ दोहराने लगी।

7—अपर जिला मजिस्ट्रेट ने भीड़ को गैर कानूनी घोषित किया और चेतावनी दी कि वह तितर-बितर हो जाय। भीड़ ने उग्र रूप धारण कर पुलिस बल व अधिकारियों पर पथराव किया। भीड़ को अनियंत्रित व उग्र होते देखकर अपर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से 2-45 बजे दिन में टियर-गैस शेल तथा 11 टियर गैस ग्रेनेड फेंके गये परन्तु इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। उग्र भीड़ द्वारा जबरदस्त पथराव करने से पुलिसकर्मी घायल होने लगे। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने दुबारा भीड़ को तितर-बितर होने का आदेश दिया परन्तु भीड़ और भी हिंसक हो गयी तथा उग्र रूप धारण करने लगी। अपर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से 3-00 बजे दिन में हिंसक व अवैधानिक भीड़ पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया, जिससे भीड़ कुछ तितर-बितर हुई। परन्तु कुछ लोगों ने पुनः भीड़ को बलकारा आपत्तिजनक नारे लगाये। उक्त आपत्तिजनक नारों को सुनकर दूसरे-दूसरे सम्प्रदाय के लोग एकत्र होने लगे। हिंसक उग्र भीड़ धुआंधार पथराव करती हुई पुलिस बल पर व दूसरे सम्प्रदाय की दुकानों/घरों की ओर बढ़ने लगी। इसी बीच भीड़ की ओर से अवैध कट्टों से पुलिस की ओर फायर किया गया। पास में खड़ी क्षेत्राधिकारी, हरैया, परगना मजिस्ट्रेट, डुमरियागंज व तहसीलदार, डुमरियागंज की जीपें पथराव से क्षति ग्रस्त हुई। पथराव से अधिकारी व कर्मचारी घायल होने लगे। अवैध भीड़ के धुंआधार पथराव से पुलिस बल सिमटने लगा तथा इसी बीच भीड़ द्वारा एक गुमटी में आग लगा दी गयी। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बार-बार चेतावनियां दी। परन्तु इन चेतावनियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और अवैध हिंसक भीड़ अधिक उग्र होती गयी तथा अपना दबाव बढ़ाती गयी। भयानक साम्प्रदायिक दंगे की सम्भावना को देखते हुए एवं उसको रोकने तथा जन-जीवन व सम्पत्ति की रक्षा का अन्य कोई विकल्प न पाकर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती ने फायर कर भीड़ तितर-बितर करने का आदेश 3-32 बजे अपराह्न अपर पुलिस अधीक्षक को दिया। उस आदेश पर पुलिस द्वारा 8 राउन्ड मस्केट की बौली फायर की गयी। गोली लगने से एक अज्ञात व्यक्ति घायल हुआ जिसे तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भेजा गया। वहां उसकी प्राथमिक चिकित्सा के दौरान मृत्यु हो गयी। एक अन्य घायल व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन दोनों के अतिरिक्त दो अन्य व्यक्ति फायरिंग से घायल हुए। पुलिस ने भीड़ में से कुल 24 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जिनके विरुद्ध थाना डुमरियागंज पर मु0 अ0 सं0—48/86 धारा 147/148/149/153 ए/153 बी/332/353/436/336/307 427 भा0 द0 वि0 एवं 25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अज्ञात मृतक के बारे में बाद में जानकारी हुई कि मृतक रामवृक्ष पाण्डेय पुत्र लेदा निवासी

ग्राम महोखा, थाना डुमरियागंज का था।

8—यह कहना सही नहीं है कि एक घटनास्थल पर तथा एक व्यक्ति की अस्पताल में मृत्यु हुई। वास्तविकता यह है कि फायरिंग से दो व्यक्ति घायल अवस्था में मिले जिन्हें तुरन्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डुमरियागंज ले जाया गया, जहां पर रामवृक्ष नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी। दूसरा घायल (हनुमान प्रसाद) सदर अस्पताल में भर्ती है तथा जीवित है। इसके अतिरिक्त दो व्यक्ति दिनेश चन्द्र निवासी डुमरियागंज एवं अदालत पुत्र गोकुल निवासी धौरहरा, थाना-इटवा घायल हुए जो खतरे के बाहर हैं।

9—कहना सही नहीं है कि स्थिति के प्रति जिला प्रशासन उदासीन रहा। भयानक साम्प्रदायिक दंगे की सम्भावनाओं को देखते हुए क्षेत्र में पुलिस की व्यापक व्यवस्था की गयी है, तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है।]

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, मैंने यह वक्तव्य पढ़ा, सरासर झूठा यह वक्तव्य दे दिया है।

श्री अधिष्ठाता—

आप स्पष्टीकरण पूछें।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

इसमें लिखा है कि अवैध भीड़ के धुआंधार पथराव से पुलिस बल सिमटने लगा तथा इसी बीच भीड़ द्वारा एक गुमटी में आग लगा दी गई। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह किसकी गुमटी थी, उसे किसने जलाया और उन पर कौन सा मुकदमा कायम हुआ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर; किस व्यक्ति की गुमटी थी, वह जानकारी इस वक्त नहीं है। मान्यवर, उस वक्त उत्तेजना थी, भीड़ इकट्ठी थी, उसी बीच गुमटी जला दी गई।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

मैं यह जानना चाहता हूं कि उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसकी गुमटी जली है? मंत्री जी के पास इसकी जानकारी नहीं है।

श्री हुकुम सिंह—

इस संबंध में मैंने पूर्व में उत्तर दे दिया। किस-किस व्यक्ति की गुमटी जली, यह जानकारी इनको ज्यादा होगी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, वहां जब यह काण्ड हो रहा था, बड़ा कष्ट हो रहा है, जो आंखों से देखा, ठीक उसके विपरीत इसमें लिखा गया है। अब सोचता हूं कि बैठकर रोऊं या कालिक लाकर अपने मुंह पर और इस सरकार के मुंह पर पोतकर वापस चला जाऊं। मान्यवर, उसमें दो सम्प्रदाय का झगड़ा था ही नहीं। मान्यवर, जो इस वक्तव्य का पृष्ठ—3 है उसे आप देखें। लिखा है दूसरे सम्प्रदाय के लोग इकट्ठे होने लगे। हिंसक उग्र भीड़ धुआंधार पथराव करती हुई पुलिस बल पर व दूसरे सम्प्रदाय की दुकानों/घरों की ओर बढ़ने लगी। मान्यवर, यह वक्तव्य विस्फोटक स्थिति बना सकता है। वास्तव में यह स्थिति थी ही नहीं। मान्यवर, वहां आस-पास नजदीक कोई दुकान नहीं है। कोई भीड़ पथराव करती हुई किसी सम्प्रदाय की ओर नहीं बढ़ी। और न ही दूसरे सम्प्रदाय के लोग इकट्ठा हुए थे। इस वक्तव्य में जो लिखा हुआ है उससे उत्तेजना फैल सकती है। इस लिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माम-

नीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जहां-जहां पर मीटिंग हो रही थी उससे कितनी-कितनी दूर पर दूसरे सम्प्रदाय के लोगों की दुकानें हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं इस प्रकरण को तीन भागों में बांटना चाहता हूं । प्रथम जहां पहले प्रात:काल ही बैठक करने का कार्यक्रम बनाया गया था । साढ़े सात बजे लोग वहां इकट्ठा हुए । पुलिस मौके पर गई और उनको मीटिंग नहीं करने दी और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया । दूसरा : तुलियाना में लोग इकट्ठा हुए, पुलिस फिर मौके पर गई और लोगों को गिरफ्तार किया । तीसरा : जब मीटिंग करने का कोई निश्चित स्थान तय नहीं हो सका तो जहां-जहां पर मीटिंग करने का पता चला, वहां-वहां पर रोकने का प्रयास किया गया । जैसाकि माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में भी कहा है कि काफी संख्या में चारों तरफ से भीड़ इकट्ठा हो रही थी । डुमरियागंज एक बहुत बड़ा कस्बा है जहां पर 5-6 हजार की आबादी है और दोनों सम्प्रदाय के लोग वहां पर रहते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जिस समय मेरठ के बारे में यहां पर बयान आया था तो उस समय भी मैंने आपत्ति की थी । उनका जो बयान आया है उसे देखने का कष्ट करें । वहां के पुलिस कर्मियों ने गोलियां चलाई जिससे एक आदमी की हत्या हो गई । उसके बारे में विधान सभा में मामला उठाया । अपनी हत्या करने के पाप को छिपाने के लिए एक मनगढ़न्त स्टोरी बनाने की चेष्टा की गई है । इस वक्तव्य में जो वाक्य प्रयोग किए गए हैं मैं समझता हूं कि वे सब विवेकहीन वाक्य इस्तेमाल किए गए हैं । इसमें लिखा है कि "कुछ लोगों ने पुन: भीड़ को ललकारा व आपत्तिजनक नारे लगाए गए । उक्त आपत्तिजनक नारों को सुनकर दूसरे सम्प्रदाय के लोग एकत्र होने लगे ।" इस प्रकार के वाक्य को लिखकर अनावश्यक रूप से दो सम्प्रदायों में झगड़ा दिखाने का प्रयास किया गया । माननीय कमाल साहब ने मंत्री जी से पूछा कि वह गुमटियां किसकी थी? जो जलाई गया । तो माननीय मंत्री जी उसे नहीं बताये। पुलिस के द्वारा जो गोली चलाई गयी उसका औचित्य क्या था । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने अपने वक्तव्य में भी लिखा है कि आपत्तिजनक आरोप को सुनकर दूसरे सम्प्रदाय के लोग भी आ गये । तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वहां पर दूसरे सम्प्रदाय के कितने लोग आये और उनमें से क्या एक दो का नाम भी माननीय मंत्री जी को मालूम है तो माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करें ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य ने जिस बात की जानकारी चाही है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकरण की तमाम परिस्थितियों को देखते हुये जिस परिप्रेक्ष्य में यह आयोजन किया गया था और उस आयोजन पर आप स्वयं विचार करेंगे कि एक जगह पर बीस हजार की भीड़ इकट्ठा होती है, डुमरियागंज एक ऐसा कस्बा है जहां पर दोनों सम्प्रदाय के लोग हैं, क्या इस पृष्ठभूमि के अन्तर्गत वहां पर कोई विवाद नहीं हो सकता था? मान्यवर, एक हिन्दू जागरण मंच है उसके तत्वावधान में यह कार्यक्रम किया गया और जो घटना वहां पर हो सकती थी उसको ध्यान में रखते हुये, और एक

विशेष सम्प्रदाय के विशेष विचारधारा रखने वाले व्यक्तियों ने तमाम भ्रामक प्रचार किये और जज्बात भड़काने वाले भाषण किये इसमें स्वाभाविक ही है कि ऐसे भाषणों को सुनकर दूसरे सम्प्रदाय के लोग इकठ्ठा होते और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि वहां पर कोई विवाद हो सकता था।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अपनी कुछ सूचनाओं पर जिसके बारे में मुझे जानकारी, है, उसको देते हुए, जो माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है, उस परिपेक्ष्य में प्रश्न पूछूंगा।

यह सही है कि डुमरियागंज में एक जलसा करने के लिये व्यापक प्रचार कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा था परचे द्वारा भी और लाउडस्पीकर के द्वारा भी। इन परचों में जो नाम लिखे गये हैं आने के लिये कुछ महान लोगों के, उनके नाम छपे हुए थे, लेकिन मुझे यह भी जानकारी है कि 18 तारीख को ही उन लोगों को, जिनके नाम लिखे हैं, सूचना प्राप्त हो गयी थी कि ये लोग इस जलसे में भाग नहीं लेंगे क्योंकि स्थिति विस्फोटक है। इसके बाद भी इसके जो क्षेत्रीय संयोजक हैं, यह जानने के बाद भी वे लोग नहीं आ रहे हैं यह बराबर प्रचार करते रहे कि मीटिंग बुलाई जा रही है। मैं इस परिपेक्ष्य में आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जब 20 तारीख को ही धारा 144 लगा दी गयी थी, जिलाधिकारी ने मीटिंग करने की अनुमति नहीं दी तब इन संयोजकों को उसी समय गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ? ये कौन लोग थे ?

श्री हुकुम सिंह–

ये लोग 'हिन्दु जागरण मंच' से संबंधित लोग थे, उसी के पदाधिकारी थे। जो भावनायें माननीय सदस्य ने व्यक्त कीं, मैं स्वयं उनसे अपने को जोड़ता हूं, यह सही है कि अगर तभी गिरफ्तार कर लिया होता, तो यह स्थिति न आती। लेकिन यह भी ध्यान देने योग्य है कि उस वक्त तमाम प्रदेश में, एक तनाव का वातावरण था, बस्ती में तथा और जगहों पर भी तनाव का वातावरण था। जो सीमित सुरक्षा दल वहां था, उसको देखते हुए प्रयास इस बात का किया कि 22 तारीख में जब यह घटना घटी है, प्रयास यह किया गया कि इकट्ठा न होने पायें, बैठक न होने पाये, जुलूस न निकलने पाये। उसके पहले वाली जो बात आपने कही है, बैठक की अनुमति मांगी गयी 18 तारीख को, नहीं दी गयी जिलाधिकारी द्वारा, प्रशासन अपना काम करता रहा, जो गिरफ्तार करने वाली बात थी धारा-144 में, हमने यह आवाहन किया था कि बैठक नहीं होने देंगे, अनुमति नहीं देंगे, गिरफ्तार कर लेते, यह स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों का विवेक था। उस समय की परिस्थिति को देखते हुए यह समझा कि गिरफ्तार करने से तनाव बढ़ सकता है, स्थिति विस्फोटक हो सकती है, हर व्यक्ति का विवेक अलग-अलग होता है। वहां पर स्थानीय अधिकारियों ने यही ठीक समझा कि उस समय गिरफ्तार न किया जाय। इससे शायद स्थिति खराब न होने पाये और तनाव समाप्त हो जाय।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मैंने अपनी सूचना में ब्यौरा दिया था, उसका जो बिन्दुवार उत्तर आया है, सत्य से परे है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसकी उच्चस्तरीय जांच कम से कम राजस्व परिषद के एक सदस्य से कराने का कष्ट करेंगे जिससे सम्पूर्ण प्रकरण स्पष्ट हो सके ?

श्री हुकुम सिंह–

जहां तक आपकी सूचना का संबंध है, वह मेरे पास है। जो सूचना आपने दी, बिन्दु-बिन्दु पर वक्तव्य में उल्लेख किया है उत्तर दिया है। जांच आप चाहते हैं तो डिवीजनल कमिश्नर से जांच करा देंगे।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

एक लड़के को बिना कसूर इनकी पुलिस ने मार दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह लड़का, जिसकी कोई गलती नहीं थी, वह इस सभा में आया था, वह इनकी गोली का शिकार हो गया, उसकी 22 साल की बेवा है, तो क्या उसको आप एक लाख रुपया मुआविजे के रूप में देंगे और उसकी जो तीबी है उसको वहां के इन्टर कालेज में चपरासी की नौकरी पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

नियमानुसार जो भी सम्भव होगा, उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं। सोमवार को 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 32 मिनट पर सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 1986 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
14 मार्च, 1986

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

नत्थी "क"

(देखिए अता0प्र0सं0—7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 30 पर।)

दुकान आवंटियों की सूची

निर्माण स्थल—प्रतापनगर चौराहा

क्रम-सं0	विकास खण्ड का नाम	आवंटी का नाम व पता	मकान नं0
1	2	3	4
	1—कोथावां	1—श्री नन्हें लाल पुत्र चुन्नी लाल नि0 कमराबाद	1
		2—श्री शीतला प्रसाद पुत्र देव नि0 फत्तेपुर	2
		3—श्री सुमेर पुत्र छेदी नि0 बिशालपुरवा	3
		4—श्री रामचन्द्र पुत्र कुंवर नि0 ममरेजपुर	4
		5—श्री राम दयाल पुत्र भगई, नि0 बिशालपुरवा	5
		6—श्री भरोसे पुत्र रामदीन, नि0 पुरइया	6
		7—राम दास पुत्र चौथी, नि0 पुरसपुर	7
		8—मैकूलाल पुत्र देवी, नि0 झरुइया	8
		9—श्री उम्मरलाल पुत्र कालिका, नि0 लालपुर	9
		10—मैयालाल पुत्र पुत्ती, नि0 कमराबाद	10
		11—रामपाल पुत्र जगन्नाथ, नि0 कैथीपुरवा	11
		12—बहादुर पुत्र झम्मन, नि0 झरुइया	12
		13—श्री झाऊलाल पुत्र सरधा, नि0 प्रतापनगर	13
		14—श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मंज, नि0 झरूइया	14
		15—श्री गंगा पुत्र धुरई, नि0 ममरेजपुर	15
		16—श्री मनोहर पुत्र सुक्खा, नि0 मनरेजूपुर	16
		17—श्री राम दयाल पुत्र भवानी, नि0 शाहपुर	17
		18—भगवानदीन पुत्र लखई, नि0 डमरगंज	18
		19—श्री अशर्फीलाल पुत्र सुमर, नि0 ममरेजपुर	19
		20—श्री राम सनेही पुत्र भीखम, नि0 निगरी	20

निर्माण स्थल—बेनीगंज

		1—श्री रामदास पुत्र कुंवर, नि0 शाहपुर	1
		2—श्री दयाराम पुत्र लालता, नि0 नई बस्ती	2
		3—श्री पन्ना पुत्र भग्गा, नि0 पनौनी	3
		4—श्री शिवचरन पुत्र छेदालाल, नि0 पुरसनपुरवा	4
		5—श्री जयराम पुत्र सुखलाल, नि0 लोधगढ़ी	5
		6—श्री प्यारे लाल पुत्र लक्ष्मण प्रसाद, नि0 आंठसांट	6
		7—श्री प्यारेलाल पुत्र छोटेलाल, नि0 बेनीगंज	7
		8—श्री मिट्ठूलाल पुत्र लछिमन, नि0 चिलइयां	8
		9—श्री दलगंजन पुत्र बुद्धा, नि0 नई बस्ती	9
		10—श्री माता प्रसाद पुत्र सुख लाल, नि0 नई बस्ती	10

1	2	3	4
		11—श्री रामबख्श पुत्र जब्बर, नि0 बम्हनाखेड़ा	11
		12—श्री सूरजलाल पुत्र लक्ष्मण, नि0 साथा	12
		13—श्री राम प्रसाद पुत्र मुल्ला, नि0 परसपुर	13
		निर्माण स्थल—कल्यानमन	
		1—श्री बाबूराम पुत्र लक्खू, नि0 अकोहरा	1
		2—श्री हरीनाथ पुत्र मेड़ई, नि0 अकोहरा	2
		3—खंजन पुत्र कुन्हा, नि0 पकरादीवान	3
		4—श्री राम नरेश पुत्र रतन, नि0 छोटा सेमरा	4
		5—श्री राम नरेश पुत्र भइयालाल, नि0 बड़ा सेमरा	5
		निर्माण स्थल—भरावन	दुकान सं0
2—भरावन		1—श्री मूल चन्द पुत्र मंशा, नि0 भरावनगंज	1
		2—श्री शिवराम पुत्र मोहनलाल, नि0 भरावन	2
		3—श्री चौथी पुत्र लउआ, नि0 भरावनगंज	3
		4—श्री शियाराम पुत्र बाबूलाल, नि0 भरावनगंज	4
		5—श्री मूथरू पुत्र भरोसे, नि0 भरावनगंज	5

उत्तर प्रदेश गजट

नत्थी "ख"

(देखिए अता0प्र0सं0–60 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46 पर।)

हापुड़ तहसील में हरिजन कल्याण के अन्य मदों में निम्नांकित वर्षों में धनराशि आवंटित तथा व्यय की गयी––

क्रम-सं0	योजना का नाम	संदर्भित वर्ष	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि
1	2	3	4	5
1	हरिजन आवास	1982–83	65,000	44,834.57
2	पूर्वदशम् अनु0जा0 छात्रवृत्ति	1982–83	86780	86780
		1983–84	72888	72888
		1984–85	192280	192280
	योग		4,16,948	3,96,782.57
3	पूर्वदशम् शुल्क क्षतिपूर्ति अनुसूचित जाति	1982–83	784418	78418
		1983–84	77312	77312
		1984–85	78210	78210
	योग		2,33,940	2,33,940
4	अनसूचित जाति कक्षा 9 व 10 छात्रवृत्ति	1982–83	146768	146768
		1983–84	112737	112737
		1984–85	499433	499433
	योग		7,58,938	7,58,938
5	दशमोत्तर अनसूचित जाति छात्रवृत्ति	1982–83	802860	802860
		1983–84	800864	800864
		1984–85	816449	816449
	योग		24,20,173	24,20,173
6	हरिजन उत्पीड़न	1982–83	..	..
		1983–84	72,000	72,000
		1984–85	..	..
	योग		72,000	72,000
7	कक्षा 10 एवं दशमोत्तर अनुसूचित जाति के छात्रों को पुरस्कार	1982–83	800	800
		1983–84	2,400	2,400
		1984–85	800	800
	योग		4,000	4,000

1	2	3	4	5
	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
1	सामूहिक सिंचाई योजना—			
	(अ) लाभान्वित परिवार	1982–83	1,15,000	1,15,000
		1983–84	1,55,000	1,55,000
	(ब) सिंचित एरिया	1984–85	2,68 000	2,68,000
	योग ..		5,38,000	5,38,000
2	दूकान निर्माण	1982–83	3,33,000	3,33,000
		1983–84	4,25,000	4,25,000
		1984–85	65,52,000	65,52,000
	योग ..		73,10,000	73,10,000
3	अनुपूरक अनुदान	1982–83	...	..
		1983–84	4,13,000	4,13,000
		1984–85	6,45,000	6,45,000
	योग ..		10,58,000	10,58,000
4	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास द्वारा अनुदान	1982–83	2,05,000	2,05,000
		1983–84	3,22,000	3,22,000
		1984–85	9,06,000	9,06,000
	योग ..		14,33,000	14,33,000
	महायोग ..		1,42,44,999	1,42,24,833-57

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

वत्थी 'ग'

(देखिए अता: प्र0 सं0 64 का उत्तर पीछे पृष्ठ 47 पर)

नाम तहसील				नाम नगरपालिका	
उन्नाव	हसनगंज	पुरवा	सफीपुर	उन्नाव	बांगरमऊ
1—उन्नाव शहर	1—मोहान खास	1—पुरवा तहसील परिसर	1—तकिया चौराहा	1—आई0वी0पी0 चौराहा।	1—चुंगी पोस्ट
2—बिछिया	2—न्योतनी	2—पुरवा अस्पताल	2—नंगाखेड़ा चौराहा	2—रेलवे स्टेशन	2—लखनऊ रोड चौराहा
3—गंगाघाट	3—नई सराय	3—पुरवा बस अड्डा	3—शेरपुर नहर के पुल पर।	3—बस स्टेशन	3—स्टेशन रोड चौराहा।
4—अचलगंज	4—नवाबगंज	4—मंगत खेड़ा	4—चौधरीखेड़ा पुल के पास।	4—छोटा चौराहा	4—चुंगी चौकी
5—सिकन्दरपुर	5—सोहरामऊ	5—मौरावां	5—मुरादाबाद बस अड्डा।	5—रायबरेली चौराहा।	5—शेख औलिया
6—बेधर	6—हसनगंज तहसील परिसर।	6—चमियानी	6—मुरादाबाद सदर चौराहा।	6—बड़ा चौराहा	6—मुकराना
	7—कस्बा औरास	7—सुमेरपुर बस अड्डा।	7—मुरादाबाद बाजार चौराहा।	7—कसाई चौराहा	7—पन्नी टोला
	8—अदौरा	8—भगवन्त नगर	8—मुरादाबाद राजकीय मार्ग चौराहा	8—किला	8—पूर्विया टोला
	9—हैदराबाद	9—नया बक्सर	9—भिखारीपुर पतसिया।	9—जेर शिड़की	
	10—रसूलाबाद	10—पुराना बक्सर	10—महमदाबाद	10—टम्पो स्टैण्ड	
	11—मोहाबाद गाड़ा	11—ऊंचगांव चौराहा	11—रिगवरपुर गैर एह0	11—छतुरिया कुआं	
		12—ऊंचगांव	12—आलमऊ	12—रामनगर हरिजन बस्ती।	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
		13—भदेवरा	13—देवखरी		
		14—पाटन	14—बांगरमऊ अस्पताल।		
		15—बलिया मेला	15—बांगर मऊ बस अड्डा।		
		16—हिलौली	16—सिंघपुर बेरिया-गाड़ा बाजार।		
		17—मिर्रोकलां	17—गोशा पयागपुर बाजार।		
		18—कालू खेड़ा	18—सफीपुर बस अड्डा		
		19—बीघापुर	19—सफीपुर धर्मशाला		
		20—धानी खेड़ा	20—सफीपुर मोटेश्वर महादेव।		
		21—रूहाई	21—सफीपुर मख्दुम-शाह बाजार।		
		22—टेढ़ा	22—शफीपुर तहसील के सामने।		
		23—त्रिपुरारपुर बस अड्डा।	23—जाजामऊ		
		24—वारा हरदो	24—दबौली		
		25—घाटमपुर खुर्द	25—अर्जुनपुर		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

26—फतेहपुर
84
27—कुं
28—अहमदाबाद उर्फ माधर।
29—मसा नगर
30—देवरिया
31—खैरीगु खासपुर
32—कटरी तोरना।

26—चन्दरपुर

अवधेश प्रताप सभा

पी0 एस0 यू0 पी0—एल0 63 विधान सभा (103)—1986—813।